रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112026-277798
CG-DL-E-12112026-277798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 336] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई)–38/2025

विषय: मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चिकित्सा जांच रबर दस्तानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और मैसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक कंपनियां" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया

है) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मलेशिया और थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'चिकित्सा जांच रबर दस्तानों' (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तुओं" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने की मांग की गई है।

2. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, निर्धारित स्वरूप और तरीके में, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार मलेशिया और थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का आरोप लगाते हुए और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

ii. जांच शुरु करने से पूर्व नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 30 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना ("जांच शुरुआत अधिसूचना") जारी की।

iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

3.3 जांच की अवधि (पीओआई) और क्षति जांच की अवधि (आईआईपी)

i. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024, और जांच की अवधि शामिल है।

3.4 आयात आंकड़े

i. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा

के परिकलन के लिए और लेन-देनों की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

3.5 संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों को निर्यातक प्रश्नावलियों भेजीं।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1.	एसीई ग्लव (एम) एसडीएन. बीएचडी.
2.	अपोलो रबर एसडीएन बीएचडी
3.	बायोमैक्स रिसोर्सेज एसडीएन बीएचडी
4.	ड्यूरासेफ एसडीएन बीएचडी
5.	ग्लव रिसोर्सिज एसडीएन बीएचडी
6.	मजूमा ट्रेडिंग
7.	प्रोफेशनल लेटेक्स एसडीएन बीएचडी
8.	क्यूब मेडिकल प्रोडक्ट्स एसडीएन बीएचडी
9.	रे बेल इंजीनियरिंग एसडीएन बीएचडी
10.	सतनाम एसडीएन बीएचडी
थाईलैंड	
1.	हैप्पी केयर ग्लव कं लिमिटेड .
2.	एचआई – केयर थाई ग्लव्स कंलिमिटेड .

ii. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने अपने देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें।

iii. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया और प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
मलेशिया	
1.	हरतालेगा होल्डिंग्स बरहाद
2.	हरतालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी
3.	मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी
4.	टीजी मेडिकल एसडीएन बीएचडी
5.	टॉप ग्लव एसडीएन बीएचडी
6.	टीजी वर्ल्डवाइड एसडीएन बीएचडी
7.	वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
8.	टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी
थाईलैंड	
1.	श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमि.
2.	डॉ. बू कंपनी लिमिटेड

iv. डॉ बू कंपनी लिमिटेड ने अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का केवल गोपनीय रूपांतर ही दायर किया है और अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया। मौखिक सुनवाई के दौरान या उसके अनुसरण में इस पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया। डॉ बू कंपनी लिमिटेड ने, हालांकि, 28 अक्टूबर 2026 को प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर की हैं, जिनकी जांच इन अंतिम जांच परिणामों के खंड झ में की गई है।

v. संबद्ध देशों के उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 25 फरवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के उद्देश्य से मलेशिया के उत्पादकों के साथ-साथ उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों के नमूनाकरण का प्रस्ताव किया। हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च, 2026 की अधिसूचना द्वारा मलेशिया से निम्नलिखित उत्पादकों और संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों को अधिसूचित किया। नमूने का निर्धारण मलेशिया से निर्यात के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर किया गया था।

क. हार्टालेगा ग्रुप

ख. टॉप ग्लोव ग्रुप

vi. इसके बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर दिनांक 9 सितंबर, 2026 के माध्यम से नमूनाकरण लेना बंद कर दिया, और मलेशिया से सभी उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।

vii. नमूनाकरण की पद्धति के संबंध में, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 और नियमावली के नियम 17(3) के परंतुक प्राधिकारी को या तो उत्पादकों/निर्यातकों के सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने तक, या उत्पादकों/निर्यातकों तक अपनी जांच को सीमित करने की अनुमति देते हैं जो प्रश्न में देश से निर्यात की मात्रा का सबसे बड़ा प्रतिशत है जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है। दोनों विधियों के बीच का चुनाव प्राधिकारी पर निर्भर करता है। सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना उत्पादकों/निर्यातकों की एक आबादी पर्याप्त रूप से बड़ी होती है ताकि यादृच्छिक या स्तरीकृत चयन उस आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके। वर्तमान मामले में, मलेशिया के केवल चार उत्पादक/निर्यातक समूहों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, जिसने सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने के चयन की अनुमति नहीं दी थी। अत:, प्राधिकारी ने प्रस्तावित नमूने पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद, दिनांक 25 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार, अपनी स्थापित परिपाटी के अनुरूप, दूसरी विधि को अपनाया। चयनित दो समूहों ने मलेशिया से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की सबसे बड़ी मात्रा का उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के बीच हिस्सा लिया। किसी भी स्थिति में, नमूनाकरण को दिनांक 9 सितंबर 2026 की अधिसूचना के माध्यम से बंद कर दिया गया था और मलेशिया से सभी उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई है।

3.6 <u>आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता</u>

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावलियां भेजी:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1.	आदित्य ड्रग लाइन्स
2.	एसियो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3.	केयरवे मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
4.	गणेश हेल्थ केयर
5.	ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	मैट्रिक्स सर्जिकल इंडस्ट्रीज
7.	मिलेनियम हेल्थकेयर
8.	आउटकेयर मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
9.	राम्या इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	रामसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
11.	राउओ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
12.	श्री गणेश मेडिकोस
13.	टूनब्रांड्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
14.	ट्यूलिप इंटरनेशनल
15.	विक्टर सर्जिकल डिस्पोजेबल

ii. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने वर्तमान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1.	कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3.	सेवाना मेडिनीड्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	एमयूएन हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6.	मेडिकल ग्लव एसोसिएशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट

3.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

i. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत किए जाने का अनुरोध करने वाले पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उसमें उन सभी से यह भी अनुरोध किया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजें।

3.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

i. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालयों, अर्थात् उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फार्मास्युटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर घरेलू उद्योग और निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए थे:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक/आयातक/प्रयोक्ता
1	ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
4.	सेवाना मेडिनीड्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	श्री ट्रांग गलव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड

3.9 आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद ('उत्पाद क्षेत्र') और 6 अक्टूबर 2025 को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की सूचना के 30 दिनों के भीतर पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित कीं, जो 5 नवंबर 2025 को समाप्त हो गई। इसके बाद प्राधिकारी ने 21 नवंबर 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक बैठक की। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई टिप्पणियों और अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने 2 दिसंबर 2025 की सूचना द्वारा उत्पाद क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जिसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था।

ii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 22 अप्रैल, 2026 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को 29 अप्रैल, 2026 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था और उसके बाद 6 मई, 2026 तक, यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं, तो उन्हें दायर करने का अवसर दिया गया था।

iii. केंद्र सरकार ने कार्यालय ज्ञापन फा. सीबीआईसी-190354/120/2026-टीआरयू दिनांक 21 सितंबर, 2026 के माध्यम से वर्तमान जांच को पूरा करने के लिए वैधानिक समय सीमा को तीन महीने आगे बढ़ाकर 29 सितंबर, 2026 से आगे 29 दिसंबर, 2026 तक कर दिया। प्राधिकारी ने उक्त विस्तार के हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 सितंबर, 2026 की सूचना द्वारा अधिसूचित किया।

iv. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया। घरेलू उद्योग, वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी और और श्री ट्रांग गलव्ज (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना सत्यापित की गई है, और इन अंतिम जांच परिणामों में किए गए निर्धारणों के लिए सत्यापित सूचना पर भरोसा किया गया है। हार्टालेगा समूह, टॉप ग्लोव समूह बीएचडी, टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी और डॉ बू कंपनी लिमिटेड के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक सूचना या तो प्रस्तुत नहीं की गई थी या नीचे धारा एफ में दर्ज कारणों के दिए गए अवसरों के बावजूद कमी पाई गई थी, और प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार कार्य की है।

v. प्राधिकारी ने आवेदकों दी गई सूचना के आधार पर, भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टम उत्पादन लागत और उत्पादन तथा बिक्री लागत के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान रखते क्षतिरहित कीमत(एनआईपी) निर्धारित की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

vi. प्राधिकारी ने जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की जांच की है, जिसमें मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर शामिल हैं। जो अनुरोध साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत हैं, उन्हें इन अंतिम जांच परिणामों के संगत खंडों में हल किया गया है। एक से अधिक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, या जांच के विभिन्न चरणों में दोहराए गए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक साथ हल किए गए हैं।

vii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 23 अक्टूबर 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से, सहयोग करने वाले संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और पहुंच कीमत के पक्षकार-विशिष्ट प्रकटन के साथ, प्रकट किए गए थे, और हितबद्ध पक्षकारों को अनुमत समय के भीतर उस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया था। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां 28 अक्टूबर 2026 को (क) घरेलू उद्योग; (ख) श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड; (ग) वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी; (घ) हार्टालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी, मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी और मुन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से; (ड) सेवाना मेडिनीड्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेडिकल ग्लव एसोसिएशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, संयुक्त रूप से; (च) एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से; और (छ) डॉ बू कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड से प्राप्त हुई थीं। टॉप ग्लोव ग्रुप या टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों को, जहां तक वे प्रासंगिक पाई गईं और पहले से जांचे जा चुके अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति नहीं थीं, इन अंतिम जांच परिणामों के खंड झ में निपटाया गया है।

viii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

ix. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

x. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xi. प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रु. है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इन्हीं अंतिम जांच परिणामों में समान दर लागू की गई है।

(स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate)

ग. विचाराधीन उत्पााद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार था:

"1. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "चिकित्सा जांच रबर दस्तानें" है। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) है जो चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रामक एजेंटों के संचरण से बचाने के लिए मानक सावधानियों का हिस्सा है। उनका उपयोग सामान्य जांच और गैर-आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है।

2. विचाराधीन उत्पाद नाइट्राइल बुटाडीन रबर लेटेक्स या प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बना है। रबर के दस्ताने के अन्य सभी प्रकार, जैसे कि सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक दस्ताने और घरेलू दस्ताने जो बागवानी, सफाई आदि जैसे अनुप्रयोगों में पुन: प्रयोज्य दस्ताने हैं, और विनाइल दस्ताने विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

3. चिकित्सा जांच रबर दस्ताने को उनके उपयोग/अंतिम अनुप्रयोग, बंध्यता, गुणवत्ता मानकों/विनियमों, उनकी संरचना, मोटाई और डिजाइन के आधार पर अन्य दस्तानों से अलग किया जा सकता है। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े चिकित्सा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं जिसमें नियमित शारीरिक जांच , दवाएं देना और ऐसे कार्य शामिल हैं जिनमें बाहरी शरीर के साथ संपर्क शामिल है। इसके अलावा, इनका उपयोग रासायनिक विनिर्माण और प्रयोगशालाओं, दवा कार्यों, आतिथ्य क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उद्योगों में भी किया जा सकता है।

4. चिकित्सा जांच रबर दस्ताने सर्जिकल दस्ताने से अलग हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर नॉन-स्टेराइल होते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने आमतौर पर आंतरिक शरीर के ऊतकों के संपर्क के लिए नॉन-स्टेराइल होते हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने सर्जिकल अनुप्रयोगों के लिए आईएस13422/एएसटीएम डी3577 या ईएन 455-2 जैसे सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। चिकित्सा जांच रबबर दस्ताने आमतौर पर सब्यसाची होते हैं और उनकी मोटाई अनुप्रयोग पर निर्भर करती है लेकिन आईएस मानकों के अनुरूप होती है जबकि सर्जिकल दस्ताने शारीरिक रूप से अधिक सटीकता और आराम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय 40, उपशीर्ष 4015 12 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, संबद्ध सामानों को कोड 40151100 , 40151900 , 40159030 , और 40159099 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई संख्या है"

5. पक्षकारों को सलाह दी गई कि वे आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की सूचना के 30 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद पर और पीसीएन, यदि कोई है, प्रस्तावित करने के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 6.विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. विचाराधीन का निर्धारण उन उत्पादों के आधार पर किया जाना चाहिए जो भारत में वाणिज्यिक रूप से निर्मित और बेचे जाते हैं और केवल सैद्धांतिक या स्थापित क्षमताओं के आधार पर नहीं जिनका परिणाम वाणिज्यिक मात्रा में नहीं आया है। ख. भारत में घरेलू उद्योग वाणिज्यिक पैमाने पर पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने का निर्माण या बिक्री नहीं करता है और ऐसा करने की सीमित क्षमता रखता है और पीयूसी का क्षेत्र	**घरेलू उद्योग के विचार** 7. विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. मिश्रित दस्ताने आम तौर पर दस्ताने को संदर्भित करते हैं जो प्राकृतिक रबर और (एनआर) नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर का (एनबीआर) संयोजन है। जबकि इसके लिए कोई बाजार आवश्यकता नहीं है, घरेलू उद्योग नियमित रूप से उत्पादन और बिक्री नहीं कर रहा है, लेकिन कम मात्रा में इसका उत्पादन कर रहा है। ख. प्राकृतिक रबर और एनबीआर दोनों से बने पाउडर और पाउडरमुक्त - दस्ताने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं, अर्थात नवको इंडस्ट्रीज, पाउडर वाले मेडिकल जांच रबर दस्ताने बनाती है जबकि वाडी सर्जिकल पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने	**प्राधिकारी द्वारा जांच** 8. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/बहिष्करण अनुरोधों के संबंध में निम्नानुसार विचार करते हैं। पीयूसी से संबंधित मुद्दों की जांच: 9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि संबद्ध सामानों के लिए बीआईएस प्रमाणन/मानक चिह्न अनिवार्य है, जबकि घरेलू उद्योग ने इस आवश्यकता का विरोध किया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद को आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित करने की भी मांग की, जिसमें जांच शुरुआत अधिसूचना में दिए गए इस कथन पर भरोसा किया गया कि "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं"। इन विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से सीधे दिनांक 8 सितंबर, 2026 की संसूचना के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था। 10. बीआईएस ने अपने उत्तर दिनांक 22 सितंबर, 2026 के माध्यम से स्पष्ट किया कि आईएस 15354 (भाग 1):2023 में रबर लेटेक्स या रबर घोल से बने एकल-उपयोग वाले चिकित्सा जांच दस्ताने शामिल हैं, जिसमें प्राकृतिक रबर लेटेक्स और नाइट्राइल रबर शामिल हैं, जो मानक के क्षेत्र और प्रावधानों के अधीन हैं। बीआईएस ने आगे स्पष्ट किया कि इस मानक के तहत लाइसेंस बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजना-I के तहत संचालित किए जाते हैं और मानक द्वारा कवर किए गए दस्ताने वर्तमान में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत नहीं हैं। तदनुसार, यह तर्क कि संबद्ध सामानों के लिए बीआईएस प्रमाणन/मानक चिह्न अनिवार्य है, बीआईएस से प्राप्त स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित नहीं है। 11. बीआईएस ने यह भी स्पष्ट किया कि मानक में निर्धारित न्यूनतम मोटाई एक उत्पाद-अनुरूपता आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले उत्पाद को आईएस 15354 (भाग 1) के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, एक वैध बीआईएस लाइसेंस मानक के क्षेत्र में मानक चिह्न के उपयोग की अनुमति देता है, जो मानक के अनुरूपता के अधीन है; केवल लाइसेंस का कब्ज़ा प्रत्येक बैच या मॉडल की अनुरूपता स्थापित नहीं करता है। इसलिए प्राधिकारी बीआईएस लाइसेंस के कब्जे और वास्तविक उत्पाद के अनुरूपता के बीच अंतर करते हैं। बीआईएस का उत्तर 0.08 मिमी की मोटाई और लगभग 4.5 ग्राम के न्यूनतम दस्ताने वजन के बीच सुझाए गए समानता की पुष्टि नहीं करता है। परिणामस्वरूप, प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर मानक के अनुरूपता या गैर-अनुरूपता स्थापित करने के लिए केवल दस्ताने के वजन को नहीं माना जा सकता है। 12. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन का अभाव अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं के तहत तकनीकी मानकों के अनुपालन के प्रश्न से अलग है। बीआईएस का जवाब चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के नियम

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
उन उत्पादों तक सीमित होना चाहिए जो वाणिज्यिक रूप से भारत में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे जाते हैं और पाउडर चिकित्सा जांच दस्ताने को बाहर रखते हैं। च. जांच की शुरुआत अधिसूचना मुख्य रूप से इसके अंतिम प्रयोग के आधार पर उत्पाद को परिभाषित करती है, जिसका उपयोग सामान्य जांच और गैर-आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए चिकित्सा"जांच रबर दस्तानेके " रूप में किया जाता है, और इसके संघटन के आधार पर भी, यानी एनआर या एनबीआर से बने दस्ताने -गैर" आक्रामक चिकित्साजांच " के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो केवल चिकित्सा उद्देश्य अनुप्रयोगों तक क्षेत्र को सीमित करते हैं, जबकि यह अन्य गैरचिकित्सा - अनुप्रयोगों के	बनाती है। ग. विचाराधीन उत्पाद में 0.2 मिमी से कम मोटाई वाले चिकित्सा जांच रबर दस्ताने शामिल हैं। 0.2 मिमी और उससे अधिक मोटाई वाले दस्ताने एनपीयूसी माने जा सकते हैं। 0.2 मिमी और उससे अधिक मोटाई वाले दस्ताने बहु-उपयोग वाले दस्ताने हैं, जबकि पीयूसी एकल उपयोग वाला दस्ताना है। घ. आईएस 15354 के तहत आईएसआई/आई एसआई प्रमाणन चिकित्सा जांच रबर दस्ताने के लिए अनिवार्य नहीं है। बीआईएस घोषणा के बिना आयात किया जा रहा है, घरेलू उद्योग इससे अवगत है, और घरेलू उद्योग स्वयं गैर-बीआईएस प्रमाणित उत्पादों को बेचता है। ङ. आवेदकों ने बीआईएस से आधिकारिक पुष्टि प्रस्तुत की है कि	7 के तहत अनुपालन के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए अलग मुद्दे को स्पष्ट रूप से हल नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी उत्तर से यह निष्कर्ष नहीं निकालते है कि आईएस 15354 के अनुरूप न होने वाले दस्ताने कानूनी रूप से निर्मित, आयात या बिना किसी प्रतिबंध के बेचे जा सकते हैं। लागू चिकित्सा-उपकरण नियामक ढांचे का अनुपालन सक्षम नियामक प्राधिकरणों के लिए एक मामला बना हुआ है। 13. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी का मानना है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में आईएस 15354 का संदर्भ संबद्ध सामानों का वर्णन करता है और उन्हें दस्तानों की अन्य श्रेणियों से अलग करता है; यह स्पष्ट रूप से उस मानक के अनुरूप होने को विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने की शर्त नहीं बनाता है। तदनुसार, प्राधिकारी केवल उस वर्णनात्मक संदर्भ के आधार पर आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों के लिए विचाराधीन उत्पाद को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। वर्तमान जांच के तहत कवरेज अधिसूचित उत्पाद क्षेत्र और अपवर्जनों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह निर्धारण किसी भी लागू नियामक आवश्यकता से छुटकारा नहीं दिलाता है या गैर-अनुरूप उत्पादों के निर्माण, आयात या बिक्री के लिए अनुमोदन नहीं करता है। 14. थाईलैंड के निर्यातक/उत्पादक ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या दस्ताने जो मिश्रित या मिश्रित हैं, अर्थात एनआर और एनबीआर के मिश्रण से बने हैं, पीयूसी के क्षेत्र में शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसकी सूचना के अनुसार, इस मिश्रित दस्ताने का भारत को निर्यात नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसके लिए कोई बाजार नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि कोई बाजार आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे नियमित रूप से उत्पाद का उत्पादन या बिक्री नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, अपने उत्पाद श्रृंखला के हिस्से के रूप में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्होंने एनआर और एनबीआर दोनों वाले मिश्रित दस्ताने की कुछ मात्रा का उत्पादन किया है। पीयूसी के क्षेत्र में मिश्रित दस्ताने को शामिल करना उचित माना जाता है, यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने पहले ही उत्पादन कर लिया है, भले ही इसकी मांग कम हो या बिल्कुल न हो। 15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआर और एनबीआर के मिश्रण का उपयोग करके दस्ताने बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक एनआर या एनबीआर से बने दस्ताने बनाने के समान है, जिसमें केवल अंतर कच्चे माल की संरचना का है। आवश्यक उत्पादन प्रक्रिया और विनिर्माण सुविधाएं समान रहती हैं। इसलिए, केवल एनआर या एनबीआर से बने दस्तानों के क्षेत्र को सीमित करना, जबकि एनआर और एनबीआर के मिश्रण से बने दस्तानों को बाहर रखना, निर्यातकों और आयातकों को उत्पाद की कच्चे माल की संरचना को बदलने और इस प्रकार शुल्क के आवेदन से बचने में सक्षम बना सकता है, उपायों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। इस तरह की प्रवंचना को रोकने और लगाए गए किसी भी उपाय की उपचारात्मक प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए, प्राधिकारी एनआर और

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
लिए भी अनुप्रयोग का विस्तार करता है, जैसे कि रासायनिक विनिर्माण, प्रयोगशालाएं, फार्मास्यूटिकल्स, आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स। घ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल एनबीआर या एनआर से बने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने और मिश्रण से बने दस्ताने बाहर रखे जाने चाहिए। ड. यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी अन्य सामग्री से बने दस्ताने, जिसमें विनाइल, नियोप्रिन या अन्य सिंथेटिक सामग्री शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं आते हैं। च. यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जांच का क्षेत्र गैर-आक्रामक	आईएस: 15354 के तहत प्रमाणन विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है, जैसा कि 26 फरवरी 2024 को उपभोक्ता मामले विभाग (बीआईएस डिवीजन) में बैठक में पुष्टि की गई थी। च. जब तक क्यूसीओ जारी नहीं किया गया है, भारतीय मानक अनिवार्य नहीं है। निर्माताओं को बीआईएस मानक के बिना उत्पादों को बेचने की अनुमति है यदि कोई क्यूसीओ जारी नहीं किया गया है। छ.चिकित्सा उपकरण नियामावली, 2017 में नियम 7, खंड 1 में उल्लेख है कि चिकित्सा उपकरणों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। नियम 7 के खंड 2 में यह उल्लेख है कि बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अभाव में, किसी अन्य मानक का पालन किया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि आईएस मानक अनिवार्य नहीं	एनबीआर के मिश्रण से निर्मित दस्तानों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना उचित समझते हैं। 16. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर भी विचार किया है कि पीओआई के दौरान मिश्रित दस्ताने भारत को निर्यात नहीं किए गए थे। हालांकि, प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत मिश्रित दस्तानों को शामिल करना निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है, न कि केवल प्रवंचना को रोकने की आवश्यकता पर: (क) विचाराधीन उत्पाद को इसकी भौतिक, तकनीकी और अंतिम उपयोग विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है, न कि पीओआई के दौरान वास्तव में कारोबार किए गए उत्पाद प्रकारों द्वारा; न तो नियमावली और न पाटनरोधी करार के लिए यह आवश्यक है कि विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार को पीओआई के दौरान भारत में निर्यात किया गया हो, और ईसी - सैल्मन (नॉर्वे) (डब्ल्यूटी/डीएस337/आर , पैरा 7.48 - 7.76) पैनल ने यह माना गया है कि करार में विचाराधीन उत्पाद पर एकरूपता की कोई आवश्यकता नहीं लगती है; (ख) मिश्रित दस्ताने एक ही दो कच्चे माल से, एक ही प्रक्रिया के माध्यम से और एक ही उत्पादन सुविधाओं पर बनाए जाते हैं, एक ही गैर-आक्रामक चिकित्सा जांच के लिए उपयोग किए जाते हैं, और एक ही मानक, आईएस 15354 (भाग 1): 2023 द्वारा कवर किया गया है, जिसमें प्राकृतिक रबर लेटेक्स और नाइटराइल जैसा कि बीआईएस ने अपने दिनांक 22 सितंबर 2026 के उत्तर में स्पष्ट किया है, नाइटराइल रबर सहित रबर लेटेक्स से बने एकल-उपयोग वाले चिकित्सा जांच दस्ताने शामिल हैं; वे तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एनआर या एनबीआर से बने दस्तानों के साथ प्रतिस्थापित करने योग्य हैं; (ग) घरेलू उद्योग ने मिश्रित दस्ताने का उत्पादन किया है, और समान वस्तु भारत में उत्पादित की जाती है; (घ) मिश्रित दस्तानों को एक अलग पीसीएन कोड ('एम') सौंपा गया है, ताकि उनकी तुलना केवल मिश्रित दस्तानों से की जा सके, और उनका समावेश किसी भी निर्माता/निर्यातक के पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन पर कोई असर नहीं डालता है, जिसके पीओआई के दौरान भारत को निर्यात में ऐसे दस्ताने शामिल नहीं थे; और (ड.) मिश्रित दस्तानों पर स्पष्टीकरण स्वयं थाईलैंड के एक निर्माता/निर्यातक द्वारा मांगा गया था, जो दर्शाता है कि ऐसे दस्ताने संबद्ध देशों में वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किए जाते हैं और भारत को निर्यात करने में सक्षम हैं। 17. थाईलैंड के निर्यातक/उत्पादक ने पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने को बाहर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने का उत्पादन नहीं करता है और ऐसा करने की सीमित क्षमता है, इसलिए समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। यह नोट किया जाता है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने सत्यापित किया है और नोट किया है कि आवेदक कंपनियों में से एक, नवको इंडस्ट्रीज, केवल पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बेचती है। नवको इंडस्ट्रीज ने पूरी पीओआई के

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अभिप्रेत चिकित्सा जांच रबर दस्ताने तक सीमित है, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में वर्णित है, और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले गैर-चिकित्सा या ग्रेड -औद्योगिक दस्तानों तक विस्तारित नहीं है। छ. पाउडर मुक्त एनबीआर चिकित्सा जांच दस्ताने निम्नलिखित कारणों से पीयूसी के क्षेत्र से बाहर रखे जाने चाहिए: i. घरेलू उद्योग पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने का उत्पादन नहीं करता है जो आईएसओ 11193 को पूरा करता है। ii. घरेलू उत्पाद के साथ टॉप ग्लव ग्रुप के नमूनों की तुलना करने वाली स्वतंत्र	है। ज. दोनों आवेदक कंपनियों के पास बीआईएस प्रमाणन है और आईएस मानक का अनुपालन करने वाले दस्ताने का उत्पादन करते हैं, वे ऐसे सामान का उत्पादन और बिक्री भी कर रहे हैं जो आईएस मानक का पालन नहीं करते हैं। यह स्वयं दर्शाता है कि उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के लिए आईएस मानक का अनुपालन अनिवार्य नहीं है। झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि बीआईएस अनिवार्य है, लेकिन किसी ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके पास बीआईएस लाइसेंस है या बीआईएस-अनुरूप दस्ताने निर्यात किए हैं, जिससे उनके दावे विरोधाभासी और निराधार हो जाते हैं। ञ. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र आवेदन-पत्र में बताए गए और पीयूसी-पीसीएन अधिसूचना में अधिसूचित के समान होना चाहिए। ट. पीयूसी दो आकारों में निर्मित किया	दौरान पाउडर प्राकृतिक रबर के दस्ताने का उत्पादन और बिक्री की। पीओआई के दौरान इसकी *** लाख पीसी की घरेलू बिक्री को निर्धारित लाभ में प्रस्तुत करके पीसीएन-वार उत्पादन, बिक्री और लागत आंकड़ों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसे सत्यापित किया गया है, और जिसके आधार पर इन पीसीएन के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है। इसलिए, यह दावा कि समान वस्तु वाणिज्यिक मात्रा में हीं बनाई जाती है, रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है। तदनुसार, बाहर करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। 18. मलेशिया से निर्यातक/आयातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित पीयूसी के विवरण में कथित असंगति के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल एनबीआर या एनआर से बने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल एनबीआर, एनआर, या दोनों के मिश्रण से बने रबर के दस्ताने को कवर करता है। यदि कोई हो तो अन्य कच्चे माल से बने रबर के दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र से बाहर हैं। 19. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पीयूसी के क्षेत्र को केवल गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अभिप्रेत चिकित्सा जांच रबर दस्ताने तक सीमित किया जाए, जिसमें अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले गैर-चिकित्सा और औद्योगिक-ग्रेड दस्ताने को क्षेत्र से बाहर रखा जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि जांच शुरुआत अधिसूचना में उत्पाद विवरण चिकित्सा जांच दस्ताने को उनके अभिप्रेत चिकित्सा उपयोग के संदर्भ में पहचानता है, ऐसे दस्ताने, उनके भौतिक और तकनीकी विशेषताओं के आधार पर, चिकित्सा क्षेत्र से परे अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला में उपयोग किए जाने में सक्षम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक चिकित्सा जांच दस्ताने को केवल इस आधार पर क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है कि यह किसी दिए गए उदाहरण में, गैर-चिकित्सा अंतिम उपयोग के लिए रखा गया है। तदनुसार, जहां चिकित्सा जांच रबर दस्ताने चिकित्सा जांच के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऐसे दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र में आते रहेंगे। 20. जहां तक उच्च श्रेणी के पाउडर मुक्त एनबीआर चिकित्सा जांच दस्ताने को बाहर करने के अनुरोध का संबंध है, चूंकि घरेलू उद्योग ने पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे बाहर नहीं रखा गया है। इसके अलावा, दस्तानों की "उच्च श्रेणी" के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विनिर्देश प्रदान नहीं किया गया है। दूसरे हितबद्ध पक्षकार ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है कि घरेलू उत्पाद आयातित संबद्ध वस्तुओं से अलग है या दोनों के बीच परस्पर परिवर्तनीयता का अभाव है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वाडी सर्जिकल पाउडर-मुक्त एनबीआर चिकित्सा जांच दस्ताने का उत्पादन और बिक्री करता है और दोनों आवेदक कंपनियां आईएस 15354 के तहत बीआईएस लाइसेंस रखती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वाडी सर्जिकल ने वाणिज्यिक मात्रा में पीओआई के दौरान पाउडर-मुक्त एनबीआर

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
लैब जांच, दीर्घीकरण और ब्रेक पर बल जैसे मापदंडों पर आईएसओ 11193 आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है, जो दस्ताने निष्पादन, तन्य अखंडता और उपयोगकर्ता सुरक्षा के प्रमुख निर्धारक हैं। iii. आईएसओ मानक के साथ उत्पाद अनुपालन की सख्त आवश्यकता को देखते हुए, टॉप ग्लव समूह के घरेलू उत्पाद और उत्पाद तुलनीय नहीं हैं ज. उच्च श्रेणी के पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने वर्तमान में घरेलू स्तर पर समतुल्य रूप में नहीं बनाए जाते हैं और इसलिए क्षति और कीमत तुलना में विकृतियों से बचने के लिए अलग से विचार किया जाना चाहिए। झ. कच्चे माल,	जाता है, जो छोटी लंबाई और लंबी लंबाई है। छोटी लंबाई हाथ की हथेली तक कवर करती है, जबकि लंबी लंबाई कोहनी या मध्य-बांह तक कवर करती है। ठ. रंगीन और गैर-रंगीन की लागत के बीच अंतर; प्रारूप और सतह परिष्करण महत्वहीन हैं, इस प्रकार पीसीएन को इन मापदंडों के आधार पर नहीं होना चाहिए। ड. दोनों हाथों में आम उपयोग के लिए बनाए गए दस्तानों में बाएं और दाएं के लिए विशेष रूप से बनाए गए दस्तानों के बीच कोई लागत अंतर नहीं है, केवल मोल्ड अलग है। ढ. वजन और मोटाई आपस में जुड़ी हुई हैं और पीसीएन बनाने के उद्देश्यों के लिए एक सीमा में मानी जा सकती हैं। दस्ताने की मोटाई सीधे वजन और उपयोग की गई सामग्री की मात्रा को प्रभावित करती है, जिससे लागत में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। दस्तानों के अलग-अलग वजन और मोटाई के बीच	दस्ताने (पीसीएन एनबीआरपीएफएनएस1 और एनबीआरपीएफएनएस2) का उत्पादन और बिक्री की, और इन पीसीएन के लिए क्षतिरहित कीमत उसके सत्यापित लागत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा भरोसा किए गए प्रयोगशाला जांच रिपोर्टों का संबंध है, रिपोर्ट सीमित संख्या में नमूनों और बढ़ाव और ब्रेक पर बल जैसे मापदंडों से संबंधित हैं; वे यह सिद्ध नहीं करते हैं कि आयातित दस्ताने अलग-अलग भौतिक विशेषताओं या अंतिम उपयोगों के साथ एक अलग उत्पाद का गठन करते हैं। इसके अलावा, आईएसओ 11193 के अनुरूप होना प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित उत्पाद क्षेत्र का मानदंड नहीं है। 21. इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या क्लोरीनीकृत दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 दिसंबर 2025 की स्कोप अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से क्लोरीनयुक्त दस्ताने विशेष रूप से बाहर रखे गए हैं। 22. स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या प्राकृतिक रबर लेटेक्स और नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स के अलावा अन्य सामग्रियों से बने दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र में शामिल हैं। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग प्राकृतिक रबर लेटेक्स या नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग करके पीयूसी का उत्पादन और बिक्री नहीं करता है। चूंकि किसी अन्य सामग्री के माध्यम से दस्ताने का कोई उत्पादन नहीं है, इसलिए पीयूसी के क्षेत्र में उचित रूप से केवल प्राकृतिक रबर लेटेक्स या नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स या उसके मिश्रण से बने दस्ताने शामिल हैं। 23. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है ताकि चिकित्सा जांच रबर दस्ताने को अन्य प्रकार के रबर दस्ताने से अलग दिखाया जा सके जिन्हें विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। दस्ताने के निम्नलिखित प्रकार वर्तमान जांच में पीयूसी के क्षेत्र से परे हैं। क. सर्जिकल दस्ताने, ख. औद्योगिक/घरेलू/सफाई दस्ताने ग. विनाइल दस्ताने घ. नियोप्रीन दस्ताने 24. ये दस्ताने कच्चे माल, डिजाइन, भौतिक विशेषताओं और इच्छित उपयोग के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सर्जिकल दस्ताने मुख्य रूप से आक्रामक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं और डिजाइन, शारीरिक फिट, सटीकता, स्टेरिलिटी और लागू गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में अधिक कठोर आवश्यकताओं के लिए निर्मित होते हैं। औद्योगिक, घरेलू और सफाई दस्ताने सफाई, बागवानी, औद्योगिक और संबंधित अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत हैं और अधिक मोटाई, भारी और अधिक टिकाऊपन और बार-बार उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विनाइल दस्ताने पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से निर्मित होते हैं और मुख्य रूप से कम जोखिम वाले खाद्य सेवा और सफाई अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि नियोप्रीन दस्ताने नियोप्रीन से निर्मित होते हैं और आम तौर पर रसायनों, सॉल्वैंट्स

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता मानकों में पर्याप्त अंतर हैं, जो पीयूसी की लागत और कीमत को प्रभावित करते हैं, इसलिए पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। ञ. पीयूसी के भीतर अलग-अलग लागत और कीमतों के परिणामस्वरूप (i) कच्चा माल, (ii) पाउडर/स्नेहक सामग्री का उपयोग, और (iii) वजन, (iv) सतह परिष्करण, (v) प्रारूप, (vi) स्टेरीलाइजेशन, (vii) रंग/ग्रेड, और (viii) बनावट जैसे प्रमुख कारक हैं। ट. प्रस्तावित दृष्टिकोण व्यापार उपचारात्मक जांचों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप है, जैसे कि चीन, मलेशिया और थाईलैंड से गैर-सर्जिकल	लागत का अंतर 5% से अधिक है क्योंकि अलग-अलग मोटाई के लिए प्रत्येक वजन सीमा में उपयोग की जाने वाली कच्चे माल की मात्रा अलग-अलग होगी। ण.(i)प्रयुक्त कच्ची सामग्री,(ii) पाउडर/स्नेहक सामग्री के उपयोग, (iii) दस्ताने की लंबाई, (iv) स्टेरीलाइजेशन और (v) दस्ताने के वजन के आधार पर पीसीएन प्रस्तावित किया गया है। त. पुन: प्रयोज्य रबर दस्ताने का कोई अन्य रूप, जैसे कि सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक दस्ताने और घरेलू दस्ताने जो बागवानी, सफाई आदि जैसे अनुप्रयोगों में पुन: प्रयोज्य दस्ताने हैं, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने और नियोप्रीन या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने भी बाहर रखे गए हैं। थ. क्लोरीनेटेड दस्तानों को बाहर रखने के संबंध में, उत्तरदाता ने बायो मेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग)	और अत्यधिक तापमान के प्रतिरोध की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। 25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल, पाउडरिंग, स्टेरलाइजेशन, वजन, मोटाई, सतह परिष्करण के संबंध में दस्ताने की ये श्रेणियां काफी भिन्न हैं। 26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2 दिसंबर 2025 की स्कोप अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से क्लोरीनेटेड दस्ताने को बाहर रखा गया है। तदनुसार, उन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए दस्तानों की प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्थापनीय श्रेणी के रूप में नहीं माना गया है। <u>पीसीएन से संबंधित मुद्दों की जांच:</u> 27. सतह परिष्करण-निर्यातकर्ता ने अनुरोध किया है कि पीसीएन में सतह परिष्करण जैसे चिकना या बनावट शामिल होना चाहिए। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चिकने और बनावट वाले दस्तानों की लागत में अंतर नगण्य है। प्राधिकारी ने विशेष रूप से हितबद्ध पक्षकारों को अपने पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के माध्यम से सलाह दी थी कि पीसीएन मापदंडों पर प्रस्तावों को लागत और कीमतों में अंतर के सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे पता चले कि सतह की फिनिश के कारण उत्पाद की लागत में कोई अंतर है। चूंकि 5% से अधिक लागत अंतर नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसे पीसीएन मापदंड के रूप में मानना उचित नहीं था। 28. प्रारूप- निर्यातक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन में दस्तानों के प्रारूप जैसे कि एम्बिडेक्सट्रस या एनाटॉमिकल शामिल होने चाहिए, जिसमें कीमतों और लागतों में 450% से अधिक का अंतर बताया गया है। घरेलू उद्योग, जिसने मापदंड का विरोध किया, ने अनुरोध किया कि दोनों प्रारूपों के बीच कोई लागत अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही उत्पादन लाइन, कच्चा माल और प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और केवल पूर्व (मोल्ड) भिन्न होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 5% से अधिक लागत अंतर प्रदर्शित करने का दायित्व पीसीएन मापदंड प्रस्तावित करने वाले पक्षकार पर है। निर्यातक, जिसने 450% से अधिक के अंतर का दावा किया, ने लागत और कीमतों में अंतर के सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित पीसीएन प्रस्तावों की आवश्यकता वाले प्राधिकारी के 6 अक्टूबर 2025 के पत्र के बावजूद, अपने दावे के समर्थन में कोई लागत रिकॉर्ड या गणना प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा, चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर सव्यसाची होते हैं, शारीरिक डिजाइन सर्जिकल दस्तानों की एक विशेषता है, जैसा कि उत्पाद विवरण में उल्लेख किया गया है। लागत अंतर के 5% से अधिक के साक्ष्य की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी पीसीएन के लिए प्रारूप को एक मापदंड के रूप में नहीं मानते है। 29. रंग- निर्यातक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन में रंगीन और गैर-रंगीन दस्ताने शामिल करने के लिए दस्तानों का रंग शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विभिन्न रंगों के बीच बहुत मामूली लागत अंतर है। रंगीन और

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
चिकित्सा दस्ताने के आयात पर ब्राजील की डीईसीओएम। ठ. आईएसओ 11193-1, आईएस 15354, आईएस 15453, एएसटीएम, ईएन, और एफडीए मेडिकल-ग्रेड आवश्यकताओं जैसे मानकों को पूरा करने वाले दस्तानों का मूल्यांकन उसी श्रेणी के भीतर किया जाना चाहिए क्योंकि औद्योगिक दस्तानों की तुलना में उनकी अलग-अलग अनुपालन आवश्यकताएं और लागत संरचनाएं हैं। ड. दस्ताने का वजन दस्ताने के आकार, स्पर्श संवेदनशीलता, निपुणता आवश्यकताओं, एर्गोनोमिक डिजाइन, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के कारण स्वाभाविक रूप से भिन्न होता है। वैश्विक बाजारों में कीमत निर्धारण केवल	नियमावली, 2016 ("बीएमडब्ल्यू नियम") पर भरोसा किया। बीएमडब्ल्यू नियमावली के लिए सभी अंतिम उपयोगों के लिए नहीं, केवल निर्दिष्ट श्रेणियों (अस्पताल,क्लीनिक, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक आदि) के लिए क्लोरीनयुक्त दस्ताने चरणबद्ध तरीके से हटाने की आवश्यकता है। द. हालाँकि, वर्तमान जाँच में पीयूसी चिकित्सा उपयोग तक सीमित नहीं है। प्राधिकारी की अपनी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबद्ध सामानों के कई अंतिम उपयोग हैं, अर्थात फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य, आदि। इसलिए, क्लोरीनेटेड दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र में ही रहने चाहिए।	गैर-रंगीन दस्तानों की लागत में अंतर, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा कहा गया है, 5% की सीमा से काफी नीचे है। दूसरी ओर, निर्यातक ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में कोई लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इसे पीसीएन के लिए एक मापदंड नहीं मानते हैं। 30. लंबाई- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लंबाई का उपयोग पीसीएन के लिए एक मापदंड के रूप में किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग आम बाजार की भाषा में किया जाता है। हालाँकि, यह नोट किया जाता है कि चूँकि वजन को पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है, इसलिए दस्ताने की लंबाई पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दस्ताने का वजन उसकी लंबाई और मोटाई और कच्चे माल की खपत की मात्रा का एक कार्य है, जो लागत का प्रमुख संचालक है, वजन द्वारा पकड़ा जाता है। लंबे दस्ताने तदनुसार भारी होते हैं और उच्च वजन बैंड में आते हैं; उदाहरण के लिए, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात लेनदेन में, 240 मिमी लंबाई के दस्ताने जिनका वजन 4.0 से 5.8 ग्राम तक होता है, वजन बैंड 1 और 2 में आते हैं, जबकि 295 मिमी लंबाई के दस्ताने जिनका वजन 8.0 ग्राम होता है, वजन बैंड 3 में आते हैं। इसलिए, एक अलग मापदंड के रूप में लंबाई को अपनाने से वजन के प्रभाव को दोहराया जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त लागत अंतर को पकड़े, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वजन से स्वतंत्र रूप से लंबाई के लिए जिम्मेदार लागत अंतर नहीं दर्शाया है। 31. वजन और मोटाई- घरेलू उद्योग और आयातक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन के लिए दस्ताने के वजन को एक मापदंड के रूप में माना जाए। थाईलैंड के निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वजन में भिन्नता पैदा करने वाले अन्य कारक होंगे और इसलिए यह एक विश्वसनीय मापदंड नहीं हो सकता है। यह देखा जाता है कि दस्तानों का वजन उत्पाद की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि दस्ताने की मोटाई सीधे उसके वजन को प्रभावित करती है और उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा को अलग-अलग करती है, जिससे लागत में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति में भार को एक मापदंड के रूप में शामिल करना उचित समझा। घरेलू उद्योग ने अलग-अलग वजन के दस्तानों के बीच लागत अंतर का प्रमाण प्रदान किया है जिससे पता चलता है कि अंतर 5% से अधिक है। यह घरेलू उद्योग के सत्यापित पीसीएन-वार आंकड़ों से पता चलता है, जो दर्शाता है कि वजन बैंड 2 में पाउडर-मुक्त एनबीआर दस्ताने की क्षतिरहित कीमत वजन बैंड 1 की तुलना में लगभग ***% अधिक है, और वजन बैंड 2 में पाउडर एनआर दस्ताने की कीमत वजन बैंड 1 की तुलना में लगभग ***% अधिक है, साथ ही सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के सत्यापित लागत आंकड़ों से भी पता चलता है, जो आसन्न वजन बैंड के बीच 10% से अधिक का अंतर दर्शाता है। 32. पीयूसी के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग से प्राप्त विभिन्न टिप्पणियों की गहन जांच के बाद, प्राधिकारी ने पीयूसी के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को स्पष्ट किया और इसे अधिसूचना (जिसे इसके बाद "स्कोप

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
वजन से निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि इससे भ्रामक परिणाम सामने आ सकते हैं जो वाणिज्यिक या तकनीकी वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। ढ. क्या वजन को पीसीएन मापदंड के रूप में माना जाना चाहिए, इसे 2-4 ग्राम (पतले दस्ताने), 4-6 ग्राम (सामान्य दस्ताने), और 6-8 ग्राम (मोटे दस्ताने) जैसे रेंज में कैप्चर किया जाना चाहिए। ण. जांच शुरुआत अधिसूचना में पीयूसी के क्षेत्र में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं"। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मानकों को पूरा नहीं करने वाले दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र से बाहर हैं और तदनुसार पीयूसी के क्षेत्र को "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354"		अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांक 2 दिसंबर 2025 के रूप में अधिसूचित किया, जो इस प्रकार है: *"विचाराधीन उत्पाद चिकित्सा जांच रबर दस्ताने हैं। यह नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स या प्राकृतिक रबर लेटेक्स या उनके मिश्रण से बना होता है। रबर के दस्ताने के अन्य सभी प्रकार, जैसे कि सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी, सफाई आदि जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने, नियोप्रीन या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।* *चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बाजार में उनके उपयोग/अंतिम अनुप्रयोग, स्टेरिलिटी, गुणवत्ता मानकों/विनियमों, उनकी संरचना, मोटाई और डिजाइन के आधार पर अन्य दस्तानों से अलग हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े चिकित्सा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं जिसमें नियमित शारीरिक जांच, दवाएं देना और ऐसे कार्य शामिल हैं जिनमें बाहरी शरीर के साथ संपर्क शामिल है। इसके अलावा, इनका उपयोग रासायनिक विनिर्माण और प्रयोगशालाओं, दवा कार्यों, आतिथ्य क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उद्योगों में भी किया जा सकता है। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने सर्जिकल दस्ताने से अलग हैं।* *चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर नॉन-स्टेराइल होते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने अनिवार्य रूप से आंतरिक शरीर के ऊतकों के संपर्क के लिए स्टेराइल होते हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने सर्जिकल अनुप्रयोगों के लिए आईएसआई 3422/एएसटीएम डी 3577 या ईएन 455-2 जैसे सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर सब्यसाची होते हैं, और उनकी मोटाई अनुप्रयोग पर निर्भर करती है, लेकिन आईएस मानकों के अनुरूप होती है, जबकि सर्जिकल दस्ताने शारीरिक रूप से सटीकता और आराम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।"* <u>पीसीएन पद्धति</u>

क्र.सं.	मापदंड	मूल्य	कोड
1	कच्चा माल	प्राकृतिक रबर	एनआर
		नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर	एनबीआर
		मिश्रित गलव्स	एम

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच

के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए।

त. चिकित्सा जांच रबर दस्ताने ड्रग औषध और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत जारी अधिसूचना एसओ 648 (ई) के तहत "चिकित्सा उपकरणों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए चिकित्सा उपकरण नियमावली,2017 (एमडीआर) के तहत विनियमित हैं।

थ. भारत सरकार (लोकसभा का उत्तर दिनांक 08 अगस्त 2025) ने पुष्टि की कि एमडीआर के तहत चिकित्सा और सर्जिकल दस्ताने विनियमित हैं और उन्हें निर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए। औषधि विभाग (सार्वजनिक सूचना दिनांक 01 फरवरी 2022) ने नियम 7 के तहत

2	पाउडर या नहीं	पाउडर वाले	पी
		बिना पाउडर वाले	पीएफ
3	स्टेरलाइजेशन	स्टराइल	एस
		नॉन-स्टेराइल	एनएस
4	वजन	2 ग्राम और उससे अधिक, लेकिन 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं	1
		4 ग्राम से अधिक, लेकिन 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं	2
		6 ग्राम से अधिक, लेकिन 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं	3
		8 ग्राम से अधिक	4

33. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के उपशीर्ष 4015 12 00 के तहत अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, संबद्ध सामानों को कोड 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30, और 4015 90 99 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबद्ध देशों से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

35. विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र: उपर्युक्त को देखते हुए, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि अंततः निर्धारित किया गया है, नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स, प्राकृतिक रबर लेटेक्स, या उसके मिश्रण से बना "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने" है, जैसा कि ऊपर पुन:प्रस्तुत दिनांक 2 दिसंबर 2025 के स्कोप अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने और नियोप्रीन या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
अनिवार्य अनुपालन के साथ एकल उपयोग चिकित्सा जांच दस्ताने के लिए संगत मानक के रूप में आईएस 15354: भाग 1 की पहचान की। द. एमडीआर के नियम 7 के अनुसार चिकित्सा उपकरणों को बीआईएस मानकों या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एमडीआर के अनुरूप होना चाहिए, जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत तैयार किया गया है, जहां ऐसे मानक मौजूद हैं। चिकित्सा जांच के लिए रबर के दस्ताने, लागू मानक आईएस 15354 है। ध. एक स्टैंडअलोन क्यूसीओ के बिना भी, एक बार जब कोई उत्पाद एमडीआर के तहत एक चिकित्सा उपकरण के रूप में योग्य हो जाता		दस्ताने शामिल नहीं हैं। परिभाषित उत्पाद के अंतर्गत, निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना, और पहुंच कीमत के साथ क्षतिरहित कीमत की तुलना, ऊपर तालिकाबद्ध पीसीएन पद्धति के आधार पर की गई है, जिसमें कच्चा माल (एनआर/एनबीआर/एम), पाउडर या पाउडर-मुक्त (पी/पीएफ), स्टेराइल या गैर-स्टेराइल (एस/एनएस) और चार वजन बैंड (1 से 4) शामिल हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
है, तो संगत बीआईएस मानक के साथ अनुरूपता अनुपालन मूल्यांकन के लिए एक नियामक बेंचमार्क बन जाती है। न. गैर-चिकित्सा दस्ताने बिना बीआईएस प्रमाणन के बेचे जा सकते हैं यदि कोई क्यूसीओ लागू नहीं होता है, लेकिन एमडीआर व्यवस्था के तहत आईएस 15354 का पालन किए बिना भारत में चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बेचे नहीं जा सकते हैं। प. सीडीएससीओ नियम 7 का अनुपालन लागू करता है, बीआईएस नहीं। 29 मई 2024 के सीडीएससीओ परिपत्र में पुष्टि की गई है कि आईएस 15354 अनिवार्य है। सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया कि जहां बीआईएस मानक मौजूद है, वहां चिकित्सा उपकरणों की जांच उस बीआईएस मानक		

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिससे आईएस 15354 अनुपालन की अनिवार्य प्रकृति को बल मिलता है। फ. सीडीएससीओ के अनुसार, एमडीआर 2017 सभी श्रेणियों के दस्तानों पर लागू नहीं होता है। एमडीआर 2017 की प्रयोज्यता सर्जिकल दस्ताने, चिकित्सा जांच दस्ताने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत अन्य दस्तानों तक सीमित है। ब. आयात के समय चिकित्सा जांच दस्तानों का यादृच्छिक जांच आईएस 15354 के अनुपालन की जांच के लिए किया जाता है, जैसा कि जांच आवश्यकता सूचना और प्रस्तुत नमूना जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। यह पुष्टि करता है कि आईएस 15354 का अनुपालन अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से लागू किया जाता है।		

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	**घरेलू उद्योग के विचार**	**प्राधिकारी द्वारा जांच**
36. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों के आधार की पुन: जांच उनके यह स्वीकार करने को देखते हुए, किए जाने आवश्यकता है, कि कई अन्य भारतीय उत्पादकों या कंपनियों के पास पीयूसी का उत्पादन करने की क्षमता है। ख. पीयूसी का उत्पादन करने की क्षमता रखने वाले उत्पादकों को बाहर करके, घरेलू उद्योग ने नियम 5 (3) के तहत "प्रमुख अनुपात" की सीमा को पूरा करने के लिए	37. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क.आवेदन-पत्र मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियां एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ख. आवेदन-पत्र का समर्थन मैसर्स कूव आईओटी प्रा. लिमिटेड, मेसर्स लेट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किया है, जो पीओआई के दौरान पीयूसी के एकमात्र अन्य भारतीय उत्पादक हैं जिन्होंने वर्तमान जांच का समर्थन किया है। ग. इसके अलावा, सेंट मैरीज रबर प्रा. लिमिटेड, ह्यूबर्टस मेडिकल्स और एलेस्को	पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है: *38. '(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"* 39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। दोनों आवेदक कंपनियां एमएसएमई हैं और उन्होंने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। 40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र मसर्स कूव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लैट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड, और मेस टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है, जो पीओआई के दौरान पीयूसी के अन्य भारतीय उत्पादक हैं। इसके अलावा, एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लिमिटेड ने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बनाने की क्षमता स्थापित की है और वर्तमान जांच का भी समर्थन किया है। 41. समर्थक निर्माताओं की भूमिका के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि नियम 5 (1) घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से आवेदन-पत्र दायर करने की अनुमति देता है, और यह आवश्यक नहीं है कि समान वस्तु का प्रत्येक उत्पादक आवेदक के रूप में आवेदन-पत्र में शामिल हो। मेसर्स कूव आईओटी प्रा. लिमिटेड, मेस लैट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड, मेसर्स टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लिमिटेड ने आवेदन-पत्र के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और पीओआई के दौरान उनके पीयूसी का उत्पादन रिकॉर्ड पर है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। ये उत्पादक वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं, और उनके समर्थन और उत्पादन आंकड़ों पर केवल नियम 5 (3) के तहत आधार की जांच के लिए भरोसा किया गया है। खंड-III में क्षति विश्लेषण, तदनुसार, आवेदक कंपनियों तक ही सीमित है, जो नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग बनाते हैं। हालांकि, प्राधिकारी ने मांग और बाजार हिस्सेदारी निर्धारित करने में अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री को ध्यान में रखा है, और नोट करते हैं कि पीओआई में मांग में उनका संयुक्त हिस्सा लगभग ***% (0-10% की सीमा) था। किसी आवेदन-पत्र का समर्थन करने या उसमें शामिल न होने का निर्णय अपने आप में उस उत्पादक

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
कृत्रिम रूप से अपने हिस्से को बढ़ा दिया है। प्राधिकारी द्वारा इस चयनात्मक समावेशन को नजरअंदाज करने का अनुरोध किया गया है। ग. कोव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड, टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, और लैट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड का उत्पादन पर्याप्त है और कुल उत्पादन का लगभग 35% है। इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) (क) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग के आधार का पता लगाने और बाद में क्षति विश्लेषण के लिए इन उत्पादकों के आंकड़ों का विश्लेषण करना आवश्यक है।	सर्जिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बनाने की क्षमता स्थापित की है। एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लिमिटेड ने भी वर्तमान जांच में समर्थन किया है। घ. घरेलू उद्योग एक नया उद्योग है क्योंकि मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 2022 - 2023 में उत्पादन शुरू किया, और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2023 - 2024 में उत्पादन शुरू किया। हालाँकि, उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग कोई नया उद्योग नहीं है क्योंकि देश में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों में से एक है अर्थात मेस टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, 2021 - 2022 से उत्पादन में है। ड. आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, न ही यह संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबद्धत हैं। आवेदक भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। च. आवेदक नियम 2 (ख) के अभिप्राय से	को क्षति के न होने का संकेत नहीं देता है, न ही यह इस बात पर असर डालता है कि क्या आवेदक कंपनियां, जो घरेलू उद्योग का हैं, को वास्तविक क्षति हुई है। 42. जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित कंपनियों का संदर्भ दिया है और उल्लेख किया है कि ये कंपनियां, श्री अनुशाम रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. लिमिटेड, श्री एमआरके हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड, अमीगो सर्जी-केयर प्रा. लिमिटेड, और सारा हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड भी पीयूसी-आरआर लेटेक्स के उत्पादक हैं। यह एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में देखा जाता है कि इस कंपनी ने वर्तमान जांच में आयातक के रूप में भाग लिया है। अमीगो और सारा हेल्थकेयर के संबंध में दावे के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेबसाइटों पर उत्पाद लिस्टिंग की मात्र मौजूदगी भारत में पीयूसी के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री सिद्ध नहीं करती हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये कंपनियों दस्तानों के निर्माण के बजाय उनकी पैकेजिंग में लगी हुई हैं और तदनुसार व्यापारी/पैकेजर हैं और पीयूसी के उत्पादक नहीं हैं। इन कंपनियों के लिए कोई सत्यापित उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और इन कंपनियेां ने उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए जांच में भाग नहीं लिया है। 43.. प्राधिकारी आवेदक के दायित्व को ऐसी सूचना के आधार पर संगत सूचना प्रदान करने के लिए मान्यता देते हैं जो उचित रूप से उपलब्ध है। यह देखा जाता है कि आवेदकों ने जांच शुरू होने से पहले विभिन्न ज्ञात निर्माताओं को लिखा था, जिसमें आरआर लेटेक्स और श्री अनुशम रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। विशेष रूप से उन कंपनियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जो कथित तौर पर पीयूसी के उत्पादक हैं, न कि उत्पाद के व्यापारी या आयातक। जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि आवेदक नियमावली के तहत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, प्राधिकारी नोट करते है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। 44. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों की विस्तार से जांच की है। आधिकारिक राजपत्र में और डीजीटीआर वेबसाइट पर प्रकाशित जांच शुरुआत अधिसूचना के अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पहचाने गए विभिन्न पक्षों को लिखा, जिसमें आरआर लेटेक्स और श्री अनुशम रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी कंपनी द्वारा केवल संभावित बिक्री उसे उत्पादक के रूप में पात्र बनाने के लिए अपर्याप्त है और न ही उसके उत्पादन को मापने के लिए पर्याप्त है। प्राधिकारी को उत्पादन के संबंध में मात्रात्मक सूचना की आवश्यकता होती है। इन पक्षकारों ने कोई भी सूचना /साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मात्र क्षमता की मौजूदगी, या उत्पादन करने की एक घोषित क्षमता, अपने आप में किसी इकाई को घरेलू उत्पादक के रूप में पात्र नहीं बनाती है और नियम 5 (3) के तहत आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से उनके उत्पादन को मापने के लिए अपर्याप्त है। 45. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नामित कंपनियों के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण सहायक उत्पादकों के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्राधिकारी द्वारा लिया गया विशिष्ट

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
घ. नियम 6 और 7 के तहत महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किया गया कोई भी पत्राचार, समर्थन पत्र या अन्य सामग्री शामिल है, को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रभावी जांच और खंडन की अनुमति देने के लिए एक सार्थक अगोपनीय रूप में रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। हालाँकि, घरेलू उद्योग द्वारा इसे रोक दिया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदकों को इस संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दें। ड. घरेलू उद्योग का कम घरेलू उत्पादन का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। अमीगो और सारा हेल्थकेयर की	पात्र घरेलू हैं, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।	रुख अंतर रिकॉर्ड पर मात्रात्मक सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है, न कि दावे के स्रोत पर। सहायक उत्पादकों का उत्पादन लिखित रूप में रिकॉर्ड पर है, उन उत्पादकों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विपरीत साक्ष्य के साथ इसका खंडन नहीं किया गया है। इसके विपरीत, आरआर लेटेक्स और श्री अनुशम रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने न तो आवेदकों को और न ही प्राधिकारी को कोई उत्तर दिया है, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उनके पीयूसी के उत्पादन पर कोई मात्रात्मक सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। इसके अलावा, खंड-ग में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन पर की गई टिप्पणियां इस अलग प्रश्न से संबंधित हैं कि क्या समान वस्तु का उत्पादन भारत में किया जाता है, जो उत्पाद क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संगत है और उत्पाद प्रकार के उत्पादन की मौजूदगी पर निर्भर करता है, जबकि नियम 5 (3) के तहत आधार होने के लिए पीओआई के दौरान उत्पादन का परिमाणीकरण आवश्यक है। फिर भी, प्राधिकारी ने अपने निर्धारण की संवेदनशीलता की जांच की है: आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी भारतीय उत्पादन के 25% या उससे अधिक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनियों का अप्रमाणित उत्पादन लगभग *** लाख पीस से अधिक नहीं हो जाता, यानी नीचे निर्धारित भारतीय उत्पादन का लगभग ***%, और आवेदन–पत्र का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले उत्पादकों का कुल उत्पादन में 25% से अधिक बना रहेगा और समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों का कुल उत्पादन में हिस्सा बना रहेगा। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इन कंपनियों द्वारा उस क्रम के उत्पादन का सुझाव नहीं दिया है, बल्कि प्रमाणित भी नहीं किया है। 46. यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनियों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की और पाया कि आवेदक कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है 47. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी का निर्धारण निम्नानुसार किया है। यह देखा जाता है कि आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन का ***% (25-35% की रेंज) है।

क्र.सं.	भारतीय उत्पादक	मात्रा (लाख पीस)	हिस्सा (%)
आवेदकों द्वारा उत्पादन			
1	नावको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (घरेलू उद्योग)	***	5-15%
2	वाडी सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (घरेलू उद्योग)	***	15-25%
3	**कुल आवेदक कंपनियों**	*******	**25-35%**

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

वेबसाइटें मेडिकल जांच रबर दस्ताने के कम से कम दो अन्य भारतीय उत्पादकों के होने की पुष्टि करती हैं, जो घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत है।

च. घरेलू उद्योग की उत्पादन गणना से ऐसे निर्माताओं को बाहर रखने से कुल भारतीय उत्पादन के एक "प्रमुख अनुपात दर्शाने का उसका दावा कम करता है। के प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि इन उत्पादकों को क्यों बाहर रखा गया और क्या उनके शामिल करने से घरेलू उद्योग का आधार वैधानिक आवश्यकता से कम हो जाएगा।

छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सारा हेल्थकेयर, अमीगो सर्जिकेयर आदि सहित पीयूसी के सभी ज्ञात घरेलू

अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन, जो समर्थक भी हैं

4	कूव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड	***	25-35%
5	टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	***	20-30%
6	लैट्रिल ग्लव्स प्राइवेट लिमिटेड	***	5-15%
7	एलेस्को सर्जिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड	***	5-15%
8	कुल अन्य भारतीय उत्पादन	***	***
9	**कुल भारतीय उत्पादन**	***	**100%**

48.रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक कंपनियां कुल भारतीय उत्पादन का ***% हैं, जिनका नियमावली के नियम 2(ख) के प्रयोजनों के लिए भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है। इसके अलावा, समर्थक उत्पादकों के साथ साथ आवेदकों का रिकॉर्ड में संपूर्ण पहचाने गए भारतीय उत्पादन का हिस्सा है। यह कुल भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक और आवेदन-पत्र के समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों द्वारा दर्शाए गए उत्पादन के 50% से अधिक है, जिससे उसके परंतुक और स्पष्टीकरण के साथ पठित नियम 5 (3) (क) के तहत समर्थन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तदनुसार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

49. विभिन्न नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और समर्थक उत्पादकों (उपर्युक्त तालिका के क्रम सं. 4 से 7, जबकि क्रम सं. 8 और 9 कुल योग को दर्शाते हैं) की भूमिका निम्नानुसार है: (क) नियम 2(ख) – घरेलू उद्योग: घरेलू उद्योग में आवेदक कंपनियाँ शामिल हैं, जिनका सामूहिक उत्पादन *** लाख पीस है, जो कुल भारतीय उत्पादन *** लाख पीस का ***% है। नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान होना आवश्यक नहीं है; इसके लिए 'प्रमुख अनुपात' का होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, भारतीय उद्योग नवजात एवं खंडित है, आवेदकों ने क्षति संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है तथा अन्य सभी पहचाने गए उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है और किसी भी भारतीय उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया है। अतः आवेदक ऐसे उत्पादकों के समूह में से

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
उत्पादकों से सत्यापित उत्पादन और स्थापित क्षमता आंकड़ों की मांग करें, यह निष्कर्ष निकालेने से पहले कि घरेलू उद्योग कुल भारतीय उत्पादन प्रमुख अनुपात है।		चयनित उपसमूह नहीं हैं, जिसमें भिन्न निष्पादन वाले उत्पादकों को बाहर रखा गया हो, और उनके आँकड़ों पर आधारित क्षति विश्लेषण विकृत नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि ***% (25-35% की सीमा) कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, जो ईसी - फास्टनर्स (चीन) (डब्ल्यूटी/डीएस397/एबी/आर, पैरा 411-419) में अपीलीय निकाय द्वारा की गई व्याख्या के अनुरूप है; (ख) नियम 5(3)(क) – समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों के उत्पादन के 50% से अधिक का समर्थन: जिन सभी उत्पादकों ने अपना मत व्यक्त किया है, अर्थात् आवेदकों और चार समर्थक उत्पादकों ने, आवेदन का समर्थन किया है और अतः उनका समर्थन ऐसे उत्पादकों के कुल उत्पादन का 100% है; (ग) नियम 5(3)(ख) – कुल उत्पादन के कम से कम 25% का समर्थन: आवेदक और समर्थक उत्पादक मिलकर अभिलेख में उपलब्ध संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अकेले आवेदकों का योगदान ***% है; और (घ) क्षति संबंधी जानकारी: निर्धारित प्रपत्रों में क्षति संबंधी जानकारी केवल उन उत्पादकों से अपेक्षित है, जो घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। समर्थक उत्पादकों के समर्थन और उत्पादन संबंधी आँकड़े केवल नियम 5(3) के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं तथा उनका निष्पादन क्षति विश्लेषण का हिस्सा नहीं है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u> 50. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. आवेदकों ने महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसमें बिना कोई सार्थक अगोपनीय सार प्रदान किए बिना बिक्री कीमत, बिक्री लागत, लाभप्रदता, कार्यशील पूंजी, वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट और संस्थापित	**<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>** 51.गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं: क. ब्राज़ीलियाई प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों में, टॉप ग्लोव कॉर्पोरेशन बीएचडी की कई संबंधित कंपनियों ने भाग लिया था। हालांकि इन कंपनियों ने वर्तमान जाँच में स्पष्ट रूप से भाग नहीं लिया है। ख. कई उत्पादकों/निर्यातकों ने वितरण और विपणन चैनल के साथ-साथ संबंधित कंपनियों, उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद के	**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>** 52.गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है: 53. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है: *"7. गोपनीय सूचना "* *"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की*

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
क्षमता का साक्ष्य शामिल हैं। ख. आवेदकों ने सामान्य मूल्य और संबंधित साक्ष्य की गणना के लिए 10% समायोजन का प्रकटन नहीं किया है। ग. सूचना प्रदान करने में विफलता निर्यातक की प्रभावी टिप्पणियां करने की क्षमता को बाधित करती है और यदि इसे सुधारा नहीं जाता है, तो वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम पर निर्दिष्ट प्राधकारी (2011) और भारत संघ बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (2017) जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 6 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। घ. जब किसी पक्षकार को रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों तक सार्थक पहुंच से वंचित किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो प्राकृतिक न्याय का सार है।	उत्पादन में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के नामों के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। ग. उत्पाद कैटलॉग और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची, जिसे नियमित रूप से ग्राहकों के साथ साझा किया जाता है, गोपनीय होने का दावा किया गया है। घ. घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेजों के नमूने का प्रकटन नहीं किया गया है। जबकि दस्तावेज़ स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का प्रकटन नहीं किया गया है। एफ। ड. आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में कुल भारतीय उत्पादन का प्रकटन किया गया था और अन्य भारतीय उत्पादकों के कुल उत्पादन का प्रकटन किया गया है। च.औसत आंकड़ों के प्रकटन से घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उत्पादकों के साथ-साथ अन्य भारतीय उत्पादकों को भी सूचना का खुलासा होगा प्रकटन होगा और उत्पादकता के कारण सूचना प्रवृत्ति में प्रदान की गई थी। छ. निर्यातकों ने उचित तुलना के लिए उनके द्वारा मांगी गई समायोजन के प्रकार का प्रकटन नहीं किया है। ज. इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रतिक्रियाओं की पूर्णता की गंभीर रूप से जांच करे, विशेष रूप से ब्राजील की जांच के आलोक में जहां टॉप	*प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।* *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।* *(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"* 54. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 36 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 55. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। 56. घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की गई और तदनुसार उन्हें हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना पर

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
	ग्लोव की प्रतिक्रिया को समान कमियों के लिए खारिज कर दिया गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त अगोपनीय सार प्रदान किए जाएं ताकि आवेदक कार्यवाही में सार्थक रूप से भाग ले सकें।	गोपनीयता का दावा किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, सूचना से संबंधित उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम, आदि। यह भी देखा जाता है कि जहां भी सूचना किसी क्षति की अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। भारित औसत सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती जैसी सूचना एक रेंज में प्रकट की गई है। 57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा की गई गोपनीयता के लिए अच्छा कारण दिखाया है। जिन सूचनाओं के लिए पक्षकारों द्वारा प्रकटन मांगा गया है, वह वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना है, जिसका प्रकटन पक्षकारों के व्यापारिक हितों के लिए पूर्वाग्रह वाला होगा।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u> 58. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:	<u>घरेलू उद्योग के विचार</u> 59. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, मलेशिया और थाईलैंड में ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं सामान बेचा जा	<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u> **च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत** 60. धारा 9क(1)ग के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है: *"i व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा* *ii जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-* *क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
क. ई-कॉमर्स वेबसाइटों का उपयोग करके घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य त्रुटिपूर्ण पद्धति है क्योंकि यह एक अप्रतिनिधि, छोटे नमूना आकार पर आधारित है। खुदरा-स्तर ई-कॉमर्स कीमतें सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुचित आधार हैं, जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के सहयोगी निर्यातकों ने वास्तविक घरेलू बिक्री और लागत आंकड़े प्रस्तुत किए है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की कीमतें व्यापार, उपभोक्ता खंड, ब्रांडिंग,	रहा है, उन पर भरोसा किया गया है। ख. वैकल्पिक रूप से, भारत में उत्पादन की लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ शामिल हैं, पर विचार करते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का भी अनुमान लगाया गया है। ग. ई-कॉमर्स पोर्टल द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों के कारण हुए खर्चों के अनुमान के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए बिक्री कीमत पर समायोजन किया जाता है। घ. यदि भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कारखानागत स्तरों पर उत्पादन की लागत के अनुमान पर आधारित हैं। ड. गौण स्रोत के	*ख उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;* *बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।* 61. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं: क. हार्टलेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी ख. मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी ग. ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड घ. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन.बीएचडी ड. टीजी मेडिकल एसडीएन बीएचडी (मलेशिया) च. टीजी वर्ल्डवाइड एसडीएन (मलेशिया) छ टॉप गल्व (मलेशिया)एसडीएन बीएचडी ज. श्री लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन.बीएचडी. (मलेशिया) झ. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड) 62. सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा मूल रूप से प्रस्तुत किए गए उत्तरों, और कमियों के बारे में जारी पत्रों के उत्तर में दी गई प्रतिक्रियाओं की यहाँ जाँच की गई है: **<u>मलेशिया</u>** **i. हरतालेगा समूह** **हरतालेगा एनजीसी एसडीएन. बीएचडी ("हरतालेगा एनजीसी", उत्पादक)** **एमयूएन ग्लोबल एसडीएन.बीएचडी ("मुन ग्लोबल", निर्यातक)** **एमयूएन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ("मुन हेल्थ", आयातक)** 63. मेसर्स हार्टलेगा एनसीजी एसडीएन बीएचडी मलेशिया में संबद्ध सामानों के निर्माण में लगा हुआ है और पीओआई के दौरान पीयूसी के *** लाख पीस का उत्पादन किया है। सूचित किए गए निर्यात चैनल में उत्पादक के रूप में हार्टालेगा एनजीसी बीएचडी. एसडीएन, मलेशियों में उसके संबद्ध निर्यातक के रूप में मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी ("मुन ग्लोबल"), और भारत में संबद्ध आयातक के रूप में मुन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ("मुन हेल्थ") शामिल हैं। हार्टालेगा एनजीसी द्वारा उत्पादित सामानों को भारतीय बाजार में पुन: बिक्री के लिए एमयूएन ग्लोबल के माध्यम से एमयूएन हेल्थ को निर्यात किया गया था। 64. हार्टालेगा एनजीसी द्वारा दायर सूचना के अनुसार, इसने अपने संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी को घरेलू बाजार में पीयूसी के *** पीसों की आपूर्ति की है। हालाँकि, उक्त संबद्ध पक्षकार द्वारा बताई गई पीयूसी की घरेलू बिक्री *** पीस बताई गई है। हार्टालेगा एनजीसी द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा और उसके संबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू स्तर पर

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
पैकेजिंग और वाणिज्यिक परिस्थितियों के विभिन्न स्तरों को दर्शाती हैं, और व्यापार विश्लेषण के सामान्य पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं रखती हैं। ऐसे खुदरा मूल्यों के लिए आवेदकों के समायोजन पूरी तरह से अनुमानित, असत्यापित और मनमाना हैं। ख. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों की सामान्य मूल्य निर्माण की वैकल्पिक विधि भारतीय उत्पादन लागत और एसजी एंड ए और लाभ पर आधारित है। यह अस्थिर है जब एक बाजार अर्थव्यवस्था	आंकड़ों के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमतों का अनुमान लगाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, गौण पैकेजिंग, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत के निमित्त समायोजन किए गए हैं। च. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच करे कि क्या निर्यातक ने उत्पाद के निर्यात में उनके द्वारा किए गए सभी खर्चों की सूचना दी है। सभी कारकों के लिए कीमत समायोजन किया जाना चाहिए जो सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे निर्यातक द्वारा डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार	बेची गई बताई गई मात्रा के बीच के अंतर को कथित मालसूची समय अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। प्राधिकारी के 27 जुलाई 2026 के पत्र के अपने 3 अगस्त 2026 के अपने उत्तर में, उत्पादक/निर्यातक ने तर्क दिया कि पीओआई के दौरान मुन ग्लोबल द्वारा पुन: बिक्री की गई मात्राएं आवश्यक रूप से उसी अवधि के दौरान हार्टालेगा एनजीसी द्वारा उसे बेची गई मात्राओं से मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि पीओआई के दौरान मुन ग्लोबल की बिक्री में पीओआई से पहले हार्टालेगा एनजीसी से खरीदी गई मालसूची की बिक्री शामिल हो सकती है। हालाँकि, उक्त स्पष्टीकरण को प्रमाणित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज या अन्य सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। 65. यह भी नोट किया जाता है कि, एमयूएन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी द्वारा प्रस्तुत अनुबंध-1 के अनुसार, पीयूसी की इसकी घरेलू बिक्री केवल *** पीस थी। उपर्युक्त विसंगति के संबंध में, उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया कि, हार्टालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी द्वारा मुन ग्लोबल एसडीएन बीडीएच, को बेचे गए विचाराधीन पीयूसी *** पीसों में से केवल ***पीस घरेलू बाजार में मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी द्वारा फिर से बेचा गया था। घरेलू बाजार में, जबकि शेष *** पीसों को मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी द्वारा अन्य देशों में ग्राहकों मुन हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया था। 66. उत्पादक/निर्यातक और उसके संबद्ध व्यापारी/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना की समग्र जांच करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग चरणों में एक ही विसंगति के लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए गए हैं: (i) 19 जून 2026 की के उत्तर में, कि परिशिष्ट 4ख में पीसीएन और एनपीयूसी दोनों दोनों शामिल हैं, जबकि परिशिष्ट 4ख स्वयं पीयूसी के पीसीएन के तहत *** पीस की संपूर्ण मात्रा को वर्गीकृत करता है और अधिकांश लेनदेन में उत्पाद विवरण जांच दस्ताने को संदर्भित करता है; (ii) 3 अगस्त 2026 के उत्तर में, कि भिन्नता मालसूची समय अंतर के कारण है; और (iii) जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, केवल *** पीसों को एमयूएन ग्लोबल द्वारा घरेलू बाजार में फिर से बेचा गया था। ये स्पष्टीकरण एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते। यदि केवल *** पीसों को घरेलू बाजार में फिर से बेचा गया था, तो परिशिष्ट 4ख में मुन ग्लोबल द्वारा सूचित *** पीसों की घरेलू पुन: बिक्री अस्पष्टीकृत रहती है; और एक मालसूची टाइमिंग अंतर के कारण खरीद से अधिक पुन: बिक्री के लिए लगभग *** करोड़ पीस नहीं हो सकते हैं,. एमयूएन ग्लोबल की प्रारंभिक मालसूची के तदनुरूप नीचे किए बिना प्रदर्शित नहीं किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण को पुन:समाधान विवरण, सूची रिकॉर्ड, बिक्री रजिस्टर या अन्य सत्यापन योग्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी मलेशिया में स्वतंत्र ग्राहकों को पीयूसी की घरेलू बिक्री की मात्रा और मूल्य का पता लगाने में असमर्थ है, जो हर्टालेगा समूह के सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बनता है। 67. प्राधिकारी ने मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया, सत्यापन सूचना और हर्टालेगा समूह द्वारा दायर बाद के स्पष्टीकरणों की जांच की। ऐसी जांच के दौरान, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना में वास्तविक असंगतियां पाई गईं। प्राधिकारी ने एमयूएन ग्लोबल के माध्यम से घरेलू बिक्री से संबंधित विसंगतियों और परिशिष्ट 15 और 16 में एमयूएन हेल्थ द्वारा बताई गई सूचना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। पक्षकारों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि आवश्यक सूचना प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप नियम

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
देश से निर्यातक-विशिष्ट, सत्यापित आंकड़े रिकॉर्ड में उपलब्ध है। प्राधिकारी को उत्तरदाता निर्यातक द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सत्यापित सूचना का उपयोग करके सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए, और आवेदकों के अनुमान ऐसे सत्यापित निर्यातक आंकड़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। ग. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत निर्धारण गौण स्रोत आंकड़ों और अनुमानित समायोजन पर आधारित है,	पर निर्यात की मात्रा और मूल्यों का सत्यापन करे, प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करे और जब दावे भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं तो उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करे। ज. प्राधिकारी मलेशिया और थाईलैंड और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत बीजकों की जांच कर सकते है, आय और व्यय की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखा बीजक, बैंक विवरण और पक्षकार खाता रिकॉर्ड सहित भुगतान प्रमाण की जांच कर सकते हैं। यदि कोई निर्यातक मलेशियाई या थाई सीमा शुल्क और भारतीय सीमा शुल्क को विरोधाभासी कीमतों की रिपोर्ट करता है, और यदि निर्यातक भारतीय खरीदारों से भुगतान का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं तो प्रतिक्रिया को	6(8) का सहारा लिया जा सकता है। हार्टलेगा ने मांगे गए स्पष्टीकरणों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इसके बाद, संबद्ध कंपनियों के प्रकटन/प्रतिभागिता और संबद्ध कंपनियों के बीच बकाया निर्यात आय से संबंधित और कमियों को भी सूचित किया गया। पक्षकार द्वारा दायर किए गए उत्तरों की जांच यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा की गई है। 68. भारत में संबद्ध आयातक मुन हेल्थ द्वारा उसके परिशिष्ट 15 और 16 में प्रस्तुत की गई सूचना में भी वास्तविक विसंगतियां बनी हुई हैं। उत्पादक द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि परिशिष्ट 15 में पाटन मार्जिन विश्लेषण के लिए पीयूसी और पीसीएन पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित सूचना शामिल है, जबकि परिशिष्ट 16 इसके ईआरपी/लेखांकन रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले व्यापक लेनदेन को दर्शाता है और इसमें एनपीयूसी, बाहर किए गए पीसीएन, नमूने और अन्य वाणिज्यिक लेनदेन शामिल हैं। 3 अगस्त 2026 की अपनी लिखित प्रतिक्रिया में, पक्षकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि (क) पीयूसी फिल्टर, पीसीएन-स्तर को बाहर करने और जांच-विशिष्ट समायोजन लागू करने के बाद परिशिष्ट 15 तैयार किया गया है; (ख) परिशिष्ट 16 खरीद/बिक्री रजिस्टरों और ईआरपी रिकॉर्ड से लिया गया है और ऐसे बाहर किए जाने के बिना सकल लेन-देन मात्रा को दर्शाता है; और (ग) दोनों परिशिष्ट आंतरिक रूप से सुसंगत हैं और "स्कोप और फ़िल्टरिंग पद्धति में अंतर पर विचार करने के बाद पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण" हैं, भिन्नता "पूरी तरह से वर्गीकरण- और स्कोप-आधारित" है। हालाँकि, यह नोट किया जाता है कि कोई लेनदेन-वार या संख्यात्मक समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है जो एनपीयूसी, नमूनों या अन्य वाणिज्यिक लेनदेन का गठन करने वाले विशिष्ट लेनदेन की पहचान करता है और यह दर्शाता है कि परिशिष्ट 16 में दिए गए आंकड़े परिशिष्ट 15 में दिए गए आंकड़ों से कैसे मेल खाते हैं। विशेष रूप से, स्पष्टीकरण परिशिष्ट 15 में बताई गई *** करोड़ रु. की खरीद लागत में *** करोड़ रु. की रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट 16 में बताई गई *** करोड़ रु. की रिपोर्ट के बीच पर्याप्त अंतर को समेटता नहीं है। यदि परिशिष्ट 16 का क्षेत्र परिशिष्ट 15 की तुलना में व्यापक था, जैसा कि दावा किया गया है, तो उसमें बताई गई खरीद की लागत परिशिष्ट 15 में बताई गई लागत से कम नहीं हो सकती है; फिर भी परिशिष्ट 16 में खरीद की लागत परिशिष्ट 15 की लागत के एक-चौथाई से भी कम है। इसलिए, प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना से यह पता लगाने में असमर्थ है कि कौन से आंकड़े पीयूसी से संबंधित खरीद, पुनर्विक्रय और लाभप्रदता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 16 में बताई गई संख्याओं को गलत तरीके से आवंटित किया गया है, और ऐसे आवंटन के कारणों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 69. मुन हेल्थ एक संबद्ध भारतीय ग्राहक है और संबंधित निर्यात श्रृंखला का हिस्सा है। इसलिए पुनर्विक्रय तक स्वतंत्र खरीदार को लेनदेन के पूर्ण वित्तीय और वास्तविक प्रवाह के संदर्भ में निर्यात कीमत की विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। संबद्ध आयातक की खरीद लागत के विश्वसनीय समाधान और पीयूसी और एनपीयूसी लेनदेन के पृथक्करण की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत से निर्धारित करने में असमर्थ है। मुन हेल्थ, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान कार्यवाही में उत्पादक और निर्यातक के समान कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया गया है, ने

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
जो निर्यातक-विशिष्ट पाटन के लिए आधार नहीं बन सकता है जब प्रतिवादियों द्वारा लेनदेन-विशिष्ट आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादियों के स्वयं के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया जाना चाहिए। घ. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रश्नावली के उत्तरों और सार्वजनिक संस्करण की कमियों के संबंध में घरेलू उद्योग के सामान्यीकृत आरोप मुख्य रूप से हार्टालेगा के अलावा अन्य निर्यातकों पर लक्षित हैं और	अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। झ. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी भी है।	उत्पादक/निर्यातक तक से अलग कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अनुरोध, जैसा कि 3 अगस्त 2026 और 21 सितंबर 2026 की प्रतिक्रियाओं में बताया गया है, ऊपर उल्लिखित परिशिष्ट 15 और 16 पर स्पष्टीकरण और इस विवरण तक सीमित हैं कि एमयूएन ग्लोबल को बकाया भुगतान साधारण अंतर-समूह ऋण/नकद-प्रवाह दर्शाता है। मुन हेल्थ ने अपने खरीद और पुनर्विक्रय रिकॉर्ड को अपने वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया है, जिससे प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 के अनुसार, उस कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सकता है जिस पर आयातित माल को पहले स्वतंत्र खरीदार को पुनर्विक्रय किया गया था। 70. प्राधिकारी ने इस तथ्य के बारे में भी सूचना मांगी थी कि एमयूएन ग्लोबल से उसके संबद्ध आयातक एमयूएन हेल्थ को निर्यात लेनदेन की एक बड़ी संख्या के संबंध में भुगतान बकाया रहा। हार्टालेगा ने उल्लेख किया है कि बकाया राशि संबद्ध कंपनियों के बीच साधारण अंतर-समूह ऋण/नकद प्रवाह समायोजन को दर्शाती हैं। हालाँकि, प्रतिक्रिया पूर्ण बीजक-वार बकाया प्राप्य, सहमत भुगतान/क्रेडिट शर्तें, देय तिथियां, बाद की वसूली/भुगतान विवरण और संबंधित क्रेडिट-लागत समाधान प्रदान नहीं करती है। ऐसी सूचना के अभाव में, प्राधिकारी संबंधित पक्षकार निर्यात लेनदेन को नियंत्रित करने वाले भुगतान की वास्तविक शर्तों और शर्तों, आयातक को दिए गए क्रेडिट की सीमा और क्या रिपोर्ट किए गए निर्यात कीमत लेनदेन की वित्तीय शर्तों को उचित रूप से दर्शाते हैं, को सिद्ध करने में असमर्थ है। उत्पादक ने यह भी नहीं दर्शाया है कि क्या बकाया प्राप्य के लिए जिम्मेदार किसी भी वित्तपोषण या क्रेडिट लागत को रिपोर्ट की गई निर्यात कीमतों में या सामान्य मूल्य के साथ तुलना के उद्देश्य से दावा किए गए समायोजन में विधिवत रूप से गिना गया है। परिणामस्वरूप, सूचित निर्यात कीमतों की विश्वसनीयता और तुलनीयता तथा दावा किए गए समायोजन की सटीकता, पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए अप्रमाणित बनी हुई है। 71. संबंधित कंपनियों के प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के भाग I के प्रश्न 6 में जांच के तहत उत्पाद से जुड़े हों या नहीं, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ मूल कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और अन्य सभी संबद्ध कंपनियों के प्रकटन की आवश्यकता है। हार्टालेगा ने बाद में विभिन्न समूह कंपनियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया और अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया कि हार्टालेगा एसडीएन बीएचडी ("एचएसबी") औद्योगिक/सामान्य प्रयोजन वाले दस्ताने का निर्माण किया और संगत अवधि के दौरान पीयूसी का उत्पादन नहीं किया, जबकि हार्टालेगा एनएसएम एसडीएन बीएचडी ("एचएनएसएम") निष्क्रिय था। हार्टालेगा ने यह भी उल्लेख किया कि एचएसबी के खिलाफ दिखने वाले तीसरे देश के लेनदेन औद्योगिक/सामान्य प्रयोजन वाले दस्तानों से संबंधित हैं, न कि पीयूसी से। हालाँकि, भले ही उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि एचएसबी के लिए पीओआई में पीयूसी का कोई उत्पादन नहीं हुआ है और एचएनएसएम इस समय निष्क्रिय था, यह 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्ट से देखा गया है कि इन दो कंपनियों के लिए प्रमुख गतिविधि अभी भी 'लेटेक्स दस्ताने का निर्माण' बताई गई है। इसके अलावा, हार्टालेगा के लिए 2026 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि एचएसबी के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान संचालन अस्थायी रूप से बंद कर

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
ब्राजील की कार्यवाही जैसे बाहरी मामलों पर निर्भर हैं। इस तरह की निर्यातक-विशिष्ट शिकायतों को हटा लेगा पर नहीं लगाया जा सकता है, जो एक अलग कानूनी इकाई है जिसने स्वतंत्र रूप से भाग लिया है और सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। ड. जबकि घरेलू उद्योग ने सीमा शुल्क रिकॉर्ड का उपयोग करके निर्यात कीमतों के व्यापक सत्यापन की मांग की है और तर्क दिया है कि किसी भी विसंगति के कारण ईक्यूआर को अस्वीकार		दिया गया था और 31 मार्च 2026 से निष्क्रिय हो गया था और एचएनएसएम के लिए, यह 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को निष्क्रिय था। चूंकि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि इन कंपनियों की स्थिति 2026 में निष्क्रिय है, और इसका उल्लेख पहले की वार्षिक रिपोर्टों में नहीं किया गया है, इसलिए यह माना जाता है कि 2024 और 2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए अनुसार प्रमुख गतिविधि आयोजित की गई है। पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादकों के बारे में सूचना उत्पादन की लागत निर्धारित करने और सामान्य मूल्य के प्रयोजनों के लिए घरेलू बिक्री की जांच के लिए सामग्री है। 72. उपर्युक्त को देखते हुए, और विशेष रूप से यह देखते हुए कि पर्याप्त अवसरों के बावजूद ऊपर वर्णित आवश्यक सूचना और पुन: समाधान संतोषजनक ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, प्राधिकारी का मानना है कि हार्टालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी उसकी प्रतिभागी निर्यात श्रृंखला बनने वाले मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी और मुन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड के साथ प्रश्नावली के उत्तर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। अत: प्राधिकारी ने अलग पाटन मार्जिन और तदनुरूपी क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार नहीं किए और पाटनरोधी नियमावली , 1995 के नियम 6(8) के अनुसार अर्थात उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उक्त उत्पादक/निर्यातक के संबंध में कार्यवाही की है। **ii. टॉप ग्लोव ग्रुप** **टॉप ग्लोव एसडीएन बीएचडी ("टीजीएसबी", उत्पादक/निर्यातक)** **टॉप ग्लोव मेडिकल ("टीजीएम", उत्पादक/निर्यातक)** **टॉप ग्लोव वर्ल्डवाइड ("टीजीडब्ल्यूडब्ल्यू", उत्पादक/निर्यातक)** 73. टॉप ग्लोव ग्रुप ने दावा किया कि उसके पास पीयूसी की पर्याप्त घरेलू बिक्री नहीं थी और तदनुसार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना का दावा किया। इस संबंध में, दिनांक 13 अगस्त 2026 के ईमेल में, प्राधिकारी ने समूह के भीतर पीयूसी की घरेलू बिक्री और अन्य संबंधित कंपनियों की उत्पादन/बिक्री गतिविधियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। इस संबंध में, प्राधिकारी ने प्रश्नावली प्रारूप में दिए गए निर्देशों का संदर्भ दिया है, जिसमें यह प्रावधान है कि पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादकों को, चाहे उनका उत्पादन भारत को निर्यात किया गया हो या नहीं, एक अलग प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, उनका ध्यान निर्यातक प्रश्नावली के अनुदेश 8 (ii) पर था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि, बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल सभी संबंधित उत्पादकों को, चाहे उनका उत्पादन भारत को निर्यात किया गया हो या नहीं, प्रश्नावली के भाग I, II और III में सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 74. यह भी सूचित किया गया कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल संबंधित उत्पादकों ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दायर किया था और न ही प्राधिकारी के समक्ष कोई सूचना प्रस्तुत की थी। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी मलेशिया में उत्पादक समूह का हिस्सा बनाने वाले संबंधित उत्पादकों में से एक से संबंधित तथ्यों की जांच या सत्यापन करने में असमर्थ है। पूर्ण सूचना के अभाव में, प्राधिकारी वर्तमान में अपनी स्थापित परिपाटी और पाटनरोधी नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार उत्पादक समूह के लिए सामान्य मूल्य और पाटन

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
कर दिया जाना चाहिए, यह नोट किया जाए कि पीयूसी केवल प्रशुल्क मद 4015 12 00 का एक हिस्सा है, जिसमें अन्य दस्ताने भी शामिल हैं। इसलिए, उस प्रशुल्क मद के तहत डीजी सिस्टम, डीजीसीआई एंड एस, या इसी तरह के सीमा शुल्क स्रोतों से किसी भी आयात आंकड़ों को चिकित्सा जांच रबर दस्ताने से संबंधित आंकड़ों को अलग करने के लिए उचित रूप से लिया जाना चाहिए। च. इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदकों		मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। 75. उत्तर में, दिनांक 16 अगस्त 2026 के अनुरोध द्वारा, टॉप ग्लोव ग्रुप ने अनुरोध किया कि केवल टीजीएम और टीजीएसबी ने ही ग्रेड/विनिर्देशों का उत्पादन किया है जो पीओआई के दौरान भारत को निर्यात किए गए थे। समूह के भीतर कोई अन्य कंपनी या संयंत्र समान ग्रेड और विशिष्टताओं के उत्पादन में लगा हुआ नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि टॉप ग्लोव ग्रुप यह स्पष्ट करने या पुष्टि करने में विफल रहा कि क्या समूह के भीतर किसी अन्य कंपनी ने मलेशिया में पीयूसी (किसी भी ग्रेड या विनिर्देश में) का उत्पादन किया था। 76. प्राधिकारी ने दिनांक 17 अगस्त 2026 के ईमेल के माध्यम से टॉप ग्लोव ग्रुप को यह स्पष्ट करने का एक और अवसर प्रदान किया कि क्या किसी संबद्ध कंपनी ने पीयूसी का उत्पादन या बिक्री की थी, या नहीं, क्या इस तरह के ग्रेड या विनिर्देश को घरेलू बाजार में बेचा गया था। प्राधिकारी ने एक बार फिर प्रश्नावली निर्देशों के तहत संबंधित उत्पादकों के लिए भागीदारी आवश्यकताओं और डब्ल्यूटीओ पाटन करार के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 6 (8) के तहत अधूरी सूचना के परिणामों को दोहराया है। उत्तर में, टॉप ग्लोव ग्रुप ने स्वीकार किया कि एक अन्य कंपनी है जिसने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी का निर्माण और बिक्री की। इसके अलावा, घरेलू बिक्री से संबंधित कोई भी लेनदेन-वार सूचना, उत्पादन की संबंधित लागत के साथ, प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई थी। इसके बजाय, टॉप ग्लोव ग्रुप ने दावा किया कि इस तरह की घरेलू बिक्री भारत को समूह के निर्यात का 5% से भी कम थी। 77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस वास्तविक तथ्य का प्रकटन जांच के विलंबित चरण में प्राधिकारी द्वारा बार-बार और विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद ही किया गया था। फिर भी, प्रदान की गई सूचना अधूरी थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई अवसरों के बावजूद, टॉप ग्लोव समूह ने अतिरिक्त संबंधित कंपनी के लिए पूर्ण घरेलू-बिक्री और लागत सूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिसने स्वीकार किया था कि उसने घरेलू बाजार में पीयूसी का निर्माण और बिक्री की थी। 78. 19 अगस्त 2026 को अपने उत्तर में, टॉप ग्लोव ग्रुप ने अनुरोध किया कि (i) जीएमपी मेडिकेयर एसडीएन बीएचड (जीएमपी), एक संबद्ध कंपनी ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी का उत्पादन और बिक्री की; (ii) पीओआई के दौरान समूह द्वारा पीयूसी की घरेलू बिक्री *** हजार पीस (टीजीएसबी द्वारा *** हजार पीस और जीएमपी द्वारा *** हजार पीस) तक थी, जबकि टीजीडब्ल्यूडब्ल्यू के माध्यम से भारत को *** हजार पीस की बिक्री हुई थी, यानी लगभग ***%, जो घरेलू बिक्री की पर्याप्तता के लिए 5% की रेंज से कम है, इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए ऐसी बिक्री पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए; (iii) पीओआई के दौरान जीएमपी ने पीयूसी के समूह के उत्पादन का केवल ***% हिस्सा था, टीजीएसबी और टीजीएम का शेष हिस्सा था, ताकि इसके बाहर करने के निर्धारण पर कोई खास असर न पड़े; और (iv) आवश्यक समय और संसाधनों पर विचार करते हुए, समूह ने प्रतिक्रिया देने के लिए वास्तविक कंपनियों का चयन किया था, और अनुरोध किया था कि जीएमपी को प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर करने से छूट दी जाए। 79. प्राधिकारी ने उत्तर की जांच की है और निम्नलखित नोट करते हैं। सबसे पहले, प्रश्नावली के अनुदेश 8 (ii) के तहत यह आवश्यकता कि पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादक भाग I, II और III में सूचना प्रस्तुत करें, किसी भी वास्तविकता की सीमा के अधीन नहीं है, और यह किसी

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
द्वारा निर्मित सामान्य मूल्य पद्धति को अस्वीकार कर दे, उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत सत्यापित निर्यातक-विशिष्ट आंकड़ों पर भरोसा करे, और यह सुनिश्चित करे कि सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी सीमा शुल्क-आधारित आयात आंकड़ों को उचित रूप से लिया जाए ताकि केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों को अलग किया जा सके।		उत्तरदाता के लिए यह चुनने के लिए खुला नहीं है कि उसके संबंधित उत्पादकों में से कौन भाग लेगा। दूसरा, पर्याप्तता परीक्षण प्राधिकारी द्वारा उत्पादक समूह के पूर्ण और सत्यापित लेनदेन-वार आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाना है; समूह ने जीएमपी के लिए केवल कुल आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, बिना लेनदेन-वार घरेलू बिक्री या उत्पादन की लागत के, ताकि प्राधिकारी न तो दावा किए गए अनुपात को सत्यापित कर सके और न ही यह जांच कर सके कि बिक्री व्यापार के सामान्य क्रम में की गई थी। तीसरा, भले ही सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाए, पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादकों के उत्पादन की लागत का उत्पादन समूह के उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा, और जीएमपी के लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। चौथा, जीएमपी के उत्पादन और घरेलू बिक्री के मौजूदगी का प्रकटन केवल प्राधिकारी के 17 अगस्त 2026 के दूसरे पत्र के उत्तर में किया गया था, समूह ने अपनी प्रतिक्रिया 16 अगस्त 2026 को भारत को निर्यात किए गए ग्रेड तक सीमित कर दी थी। 80. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टॉप ग्लोव समूह पूरी सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा और महत्वपूर्ण सूचना रोक दी, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई, और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं किया। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के साथ पठित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, प्राधिकारी ने निर्धारण के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है और टॉप ग्लोव ग्रुप के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। **iii. वाईटीवाई ग्रुप** **वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन.बीएचडी. ("वाईटीवाई ", उत्पादक/निर्यातक)** 81. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी. (इसके बाद "वाईटीवाई") ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। वाईटीवाई ने सूचित किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान दो माध्यमों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है: (क) सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को, और (ख) एक संबद्ध व्यापारी, मेडलाइन इंटरनेशनल बी.वी., नीदरलैंड (इसके बाद "मेडलाइन बी.वी.") के माध्यम से, जिसने बदले में भारत में एक ग्राहक को माल का बीजक किया। मेडलिन बीवी के माध्यम से निर्यात परिशिष्ट 3ख में सूचित किया गया है। 82. निर्यातक प्रश्नावली के अनुसार, जहां भारत को निर्यात संबद्ध या असंबद्ध व्यापारी के माध्यम से किया जाता है, व्यापारी को प्रश्नावली के भाग-I और II के उत्तर को लाभप्रदता विवरण के साथ दायर करना आवश्यक है, ताकि जिस कीमत पर भारत को सामानों का निर्यात किया है, उसे सिद्ध और सत्यापित किया जा सके। मेडलाइन बी.वी. ने प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है या अन्यथा वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। वाईटीवाई ने उल्लेख किया है कि यह आवश्यकता उस पर लागू नहीं होती है क्योंकि वह एक उत्पादक है, व्यापारी नहीं। इन खेपों के भारत में आयातक ने भी जांच में भाग नहीं लिया है। 83. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से नोट किया है कि मेडलाइन बी.वी. और भारत में कंसाइनि एक ही कॉर्पोरेट समूह से संबद्ध प्रतीत होते हैं। भारत में ग्राहक को मेडलाइन बी.वी. द्वारा लिया गया कीमत इसलिए संबद्ध पक्षकारों के बीच की कीमत है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 10 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		2.3 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1) के अनुसार, जहां निर्यात कीमत एसोसिएशन के कारण अविश्वसनीय है, इसे उस कीमत के आधार पर निर्मित किया जा सकता है जिस पर आयातित माल को पहले स्वतंत्र खरीदार को फिर से बेचा जाता है। मेडलाइन बी.वी. और भारतीय आयातक की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, न तो वह कीमत जिस पर सामान भारत में आया था और न ही एक स्वतंत्र खरीदार को पुनर्विक्रय कीमत रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उपलब्ध सूचना से यह भी पता चलता है कि मेडलाइन बी.वी. द्वारा भारत को बिक्री के स्तर पर इन सामानों की कीमत परिशिष्ट 3ख में वाईटीवाई द्वारा सूचित कीमत के अनुरूप नहीं है। 84. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मेडलिन बी.वी. के माध्यम से वाईटीवाई द्वारा भारत को निर्यात किए गए उत्पाद की निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए परिशिष्ट 3ख में सूचित किए गए लेनदेन को विश्वसनीय आधार के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ है। तदनुसार, व्यक्तिगत पाटन मार्जिन या वाईटीवाई के क्षति मार्जिन के निर्धारण में इन लेनदेन पर विचार नहीं किया गया है। 85. हालांकि, वाईटीवाई ने जांच में सहयोग किया है और भारत को अपने प्रत्यक्ष निर्यात पर सत्यापन योग्य सूचना प्रस्तुत की है, जो जांच की अवधि के दौरान भारत को अपने निर्यात का प्रमुख हिस्सा है। इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के अनुसार भारत में असंबद्ध ग्राहकों को अपने प्रत्यक्ष निर्यात के आधार पर वाईटीवाई के लिए निर्यात कीमत और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। 86. वाईटीवाई के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, यह नोट किया गया है कि मैसर्स वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी. संबद्ध सामानों का एक मलेशियाई उत्पादक है जिसने संबद्ध सामानों का उत्पादन किया और सभी असंबद्ध ग्राहकों को पीओआई के दौरान समान वस्तु के *** लाख पीस बेचे, जो भारत को उसके निर्यात का लगभग 5% से अधिक है और उचित तुलना की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित एसजीए व्यय के संदर्भ में घरेलू बिक्री लेनदेन करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य पक्रिया की। यह परीक्षण पीसीएन-वार किया गया था। जहां पीसीएन की घरेलू बिक्री की मात्रा का 80% से अधिक लाभदायक बिक्री है, सामान्य मूल्य उस पीसीएन की सभी घरेलू बिक्री की भारित औसत कीमत पर आधारित है; जहां लाभदायक बिक्री 20% और 80% के बीच है, केवल लाभदायक बिक्री पर विचार किया जाता है; और जहां लाभदायक बिक्री 20% से कम है, घरेलू बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जाता है और सामान्य मूल्य उत्पादन लागत और लाभ मार्जिन के आधार पर निर्मित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है। 87. निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वाईटीवाई ने भारतीय ग्राहकों को सीधे *** पीस संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के प्रति समायोजन उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा किया गया है। डेस्क सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा दावा किए गए समायोजन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक लेनदेन की डिलीवरी शर्तों के संदर्भ में समायोजनों की जांच प्रत्येक लेन-देन, समुद्र माल भाड़ा और सीआईएफ शर्तों पर केवल लेनदेनों की अनुमति होने पर बीमा के संदर्भ में और प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों के संदर्भ में की गई है। प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किए गए विभिन्न पीसीएन के आधार पर भारित

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है। **iv. टन सिन लियान इंडस्ट्रीज** **टन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी. ("टीएसएलआई", उत्पादक/निर्यातक)** 88. मेसर्स टन सिन लियन इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का उत्पादन और निर्यात करने वाला संबद्ध सामानों का एक मलेशियाई उत्पादक है। निर्यातक ने परिशिष्ट 3क में अपनी निर्यात मात्रा *** पीस प्रति बैग के रूप में बताई है, जो उसकी प्रश्नावली उत्तर में उल्लिखित *** पीस प्रति बैग के रूपांतरण कारक को ध्यान में रखते हुए, *** पीस के बराबर है। हालांकि, परिशिष्ट 3क में निर्धारित इकाई (पीसों) में निर्यात मात्रा की सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी ने टीएसएलआई द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की जांच की और पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बिक्री, उत्पादन और लागत संबंधी सूचना में वास्तविक कमियों को नोट किया। 89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट एक संरक्षित प्रारूप में दायर किए गए थे, जिससे अंतर्निहित आंकड़ों और गणना की जांच को रोका जा सके। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि उसमें बताई गई क्षमता में अलग-अलग आंकड़ों का एक समुच्चय शामिल है। हालाँकि, इस तरह की रिपोर्टिंग के आधार के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ये आंकड़े कई संयंत्रों, सुविधाओं या उत्पादन लाइनों से संबंधित हैं। इसके अलावा, विभिन्न अवधियों में बताई गई क्षमता में ऐसे बदलाव के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी देखा जाता है कि पीयूसी और एनपीयूसी का कुल उत्पादन रिपोर्ट की गई क्षमता के अनुरूप है। रिपोर्टिंग क्षमता के आधार और रिपोर्ट किए गए उत्पादन और क्षमता के बीच संबंध के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में, प्राधिकारी टीएसएलआई द्वारा प्रस्तुत उत्पादन और क्षमता की सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 90. जहां तक परिशिष्ट 3क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन-वार सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा, परिशिष्ट को संरक्षित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया था, जिससे अंतर्निहित आंकड़ों की जांच रुक जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन के अनुसार व्यक्तिगत निर्यात लेनदेन की पहचान नहीं की गई है, और संबंधित पीसीएन-वार लागत की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी पीसीएन स्तर पर सूचना की जांच करने या प्रश्नावली प्रतिक्रिया में कहीं और प्रस्तुत की गई सूचना के साथ वहां बताई गई मात्राओं का पुन:समाधान करने में असमर्थ है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 91. इसी तरह, परिशिष्ट 4क में पीसीएन-वार सूचना नहीं है और इसे संरक्षित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। पीसीएन-वार सूचना का अभाव प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए निर्धारित उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध सामानों से संबंधित लेनदेन की जांच करने से रोकती है। इसके अलावा, संरक्षित प्रारूप परिशिष्ट में बताई गई संख्याओं के आधार का निर्माण करने वाली अंतर्निहित सूचना और गणनाओं की जांच को रोकता है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		92. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 7 को संरक्षित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे अंतर्निहित सूचना और गणना की जांच रुक जाती है। इसके अलावा, व्यय के आवंटन के लिए अपनाई गई विभाजन का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी इस बात की जांच करने में असमर्थ है कि उसमें बताए गए खर्चों को संबद्ध सामानों के लिए कैसे आवंटित किया गया है या स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि आवंटन पद्धति उचित रूप से पीयूसी के लिए जिम्मेदार लागतों को दर्शाती है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 93. इसके अलावा, परिशिष्ट 9 में, पीसीएन-वार लागत की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। पीसीएन-वार लागत सूचना का अभाव प्राधिकारी को पीसीएन स्तर पर लागतों की जांच करने और इस आधार को सत्यापित करने से रोकती है कि लागतों को विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में कैसे रिपोर्ट और आवंटित किया गया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि टीएसएलआई द्वारा बताई गई लागत उचित रूप से सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पीयूसी के भाग बनने वाले व्यक्तिगत उत्पाद प्रकारों के अनुरूप है या नहीं। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 94. उत्पादक/निर्यातक से अनुरोध किया गया था कि वह तत्काल आधार पर असुरक्षित (पासवर्ड सुरक्षा के बिना) परिशिष्ट प्रस्तुत करे और उचित समय में दावा की गई लागत के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करे। हालांकि, न तो ऐसी परिशिष्ट और न ही सहायक दस्तावेज उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। 95. प्राधिकारी के दिनांक 8 और 12 सितंबर 2026 के पत्र उत्तर में ही, टीएसएलआई ने दिनांक 14 सितंबर 2026 के ई-मेल द्वारा उपरोक्त उल्लिखित किसी भी कमी को हल नहीं किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय आयातक द्वारा बिक्री पर मांगी गई सूचना केवल आयातक से ही प्राप्त की जा सकती है, कि अनुमत समय अनुचित रूप से कम था, प्रभारी व्यक्ति विदेश यात्रा कर रहा था, और सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक महीने यानी 15 अक्टूबर 2026 तक का समय लगेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर 7 जनवरी 2026 को देय था; कि टीएसएलआई ने अपनी प्रतिक्रिया दो बार, जनवरी और मार्च 2026 में, दोनों मौकों पर संरक्षित प्रारूप में परिशिष्टों के साथ दायर की थी; और कमियां टीएसएलआई के अपने उत्पादन, लागत और बिक्री रिकॉर्ड से संबंधित हैं, जो पूरे समय उसके कब्जे में थे, और केवल भारतीय आयातक के पास रखी गई सूचना से संबंधित नहीं हैं। जांच पूरी करने के लिए वैधानिक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, एक और महीने के लिए अनुरोध को 14 सितंबर 2026 के ई-मेल के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था और टीएसएलआई को 15 सितंबर 2026 तक सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो उसने नहीं किया। 96. उपरोक्त को देखते हुए, और विशेष रूप से यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक वास्तविक बिक्री, उत्पादन और लागत की सूचना या तो अपूर्ण, अप्राप्य या अपेक्षित पीसीएन स्तर और निर्धारित इकाई पर प्रस्तुत नहीं की गई थी, प्राधिकारी का मानना है कि टीएसएलआई द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर पर किसी अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		टीएसएलआई द्वारा अलग पाटन मार्जिन और संबंधित क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से दायर ईक्यूआर को स्वीकार नहीं किया है। प्राधिकारी ने तदनुसार नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर टीएसएलआई के संबंध में कार्यवाही की है। **<u>थाईलैंड</u>** **i. श्री ट्रंग ग्रुप** **श्री ट्रंग ग्लोव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("एसटीजीटी")** 97. एसटीजीटी थाईलैंड की एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। पीओआई के दौरान एसटीजीटी ने समान वस्तु के *** पीस की घरेलू बिक्री की सूचना दी। इनमें से, *** पीस संबंधित पक्षकारों को बेचे गए और *** पीस असंबद्ध ग्राहकों को बेचे गए। यह नोट किया गया था कि घरेलू बिक्री भारत को निर्यात बिक्री के 5% से काफी ऊपर है। इसलिए वे डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 की फुटनोट 2 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के तहत उचित तुलना की अनुमति देने के लिए पर्याप्त हैं। 98. संबद्ध पक्षकारों को बिक्री कुल घरेलू बिक्री का लगभग ***% है। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या वे उचित कीमत पर बनाए गए थे। उनके नगण्य हिस्से को देखते हुए, इन बिक्री का सामान्य मूल्य के निर्धारण पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ता है। 99. इसके बाद प्राधिकारी ने प्रत्येक घरेलू बिक्री की निवल कारखानागत कीमत की तुलना उत्पादन की प्रति-इकाई लागत से की, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य व्यय शामिल थे। यह परीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत, अर्थात् पीओआई के लिए एसटीजीटी की पीसीएन-वार भारित औसत उत्पादन लागत, के संदर्भ में पीसीएन-वार किया गया था। एसटीजीटी द्वारा अपनी लेनदेन-वार लागत का उपयोग किए जाने के अनुरोध की जांच नीचे खंड झ में की गई है। जहां लाभप्रद बिक्री एक पीसीएन की घरेलू बिक्री मात्रा के 80% से अधिक है, सामान्य मूल्य उस पीसीएन की सभी घरेलू बिक्री की भारित औसत कीमत पर आधारित है; जहां लाभप्रद बिक्री 80% से कम है, केवल लाभप्रद बिक्री पर विचार किया जाता है। 100. तदनुसार, एसटीजीटी के लिए सामान्य मूल्य को व्यापार के सामान्य क्रम में इसकी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत और क्रेडिट लागत के लिए कारखानागत स्तर पर समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। **<u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>** 101. पीओआई के दौरान, एसटीजीटी ने विचाराधीन उत्पाद के *** पीस का उत्पादन और भारत को निर्यात किया। इन सभी निर्यातों को सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बेचा गया था, जिसमें कोई संबद्ध व्यापारी या मध्यवर्ती शामिल नहीं था। 102.एसटीजीटी ने समुद्री भाड़ा और पोत परिवहन लागत, सार-संभाल प्रभार, डेमरेज और रोक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद इन समायोजनों को स्वीकार कर किया। कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		ii. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड 103. डॉ बू कंपनी लिमिटेड ("डॉ. बू"), थाईलैंड, ने वर्तमान जांच में संबद्ध सामानों के संबंध में भाग लिया। प्राधिकारी ने डॉ. बू द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया की जांच की और जिस तरीके और रूप में प्रतिक्रिया और सहायक सूचना प्रस्तुत की गई थी, उसमें उल्लेखनीय वास्तविक कमियां हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि डॉ. बू को कई अवसरों पर अपेक्षित सूचना देने और अपनी प्रतिक्रिया में कमियों को सुधारने का अवसर दिया गया था। विशेष रूप से, दिनांक 5 मई 2026 के ईमेल में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से डॉ. बू को सूचित किया कि उनके द्वारा 10 नवंबर 2025 को प्रस्तुत प्रश्नावली की व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021, "के अनुसार नहीं था और अपूर्ण" था। यह भी दर्ज किया कि उत्पादक/निर्यातक ने उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत से संबंधित अपेक्षित प्रारूप/परिशिष्ट प्रस्तुत नहीं किए थे। डॉ बू को तदनुसार यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि इसके प्रश्नावली के उत्तर को क्यों ना नजरअंदाज किया जाए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया जाए। 104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली की प्रतिक्रिया प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन किया जा सके। हालाँकि, डॉ बू ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर नहीं दिया। विशेष रूप से, भाग। , खंड सी; भाग II, खंड डी और ई; भाग III, खंड एफ, जी और आई; और भाग IV, खंड जे लिखित उत्तर के भाग के रूप में नहीं दिए गए थे। जबकि इन अनुभागों से संबंधित कुछ परिशिष्ट प्रस्तुत किए गए थे, प्रश्नावली के तहत आवश्यक संबंधित कथात्मक प्रतिक्रियाएं और स्पष्टीकरण का अभाव था। परिणामस्वरूप, प्रश्नावली की संबंधित धाराओं के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण और सूचना के अभाव में प्रस्तुत परिशिष्टों की सार्थक रूप से जांच नहीं की जा सकी। 105. कमियों में प्रतिक्रिया की जांच और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए कमिया आवश्यक सूचना से संबंधित थी। प्राधिकारी ने विशेष रूप से अपने दिनांक 5 मई, 2026 के ईमेल द्वारा डॉ. बू का ध्यान उत्तर की अपूर्णता पर आकर्षित किया था और अपेक्षित सूचना/औचित्य की मांग की थी। उत्तर में डॉ. बूं ने दिनांक 13 मई 2026 के ईमेल द्वारा, 10 नवंबर 2025 को मूल रूप से प्रस्तुत "उत्तरित प्रश्नावली" पुन: प्रस्तुत की और अतिरिक्त रूप से विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सूचना प्रस्तुत की। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से सूचित किए जाने के बावजूद कि इसका मूल उत्तर अधूरा था और निर्धारित व्यापार नोटिस के अनुसार नहीं था और इसे ठीक करने का अवसर दिया गया था, डॉ बू ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 106. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रश्नावली की पूरी प्रतिक्रिया एक ही पीडीएफ फाइल में व्याख्यात्मक उत्तरों और परिशिष्टों के बीच स्पष्ट सीमांकन के बिना प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए सूचना इस तरह से प्रदान नहीं की गई थी कि प्राधिकारी निर्धारित प्रश्नावली की संबंधित आवश्यकताओं के साथ प्रस्तुत सूचना की पहचान और सह-संबंध कर सके। जिस तरह से सूचना प्रस्तुत की गई, उसने प्रश्नावली प्रतिक्रिया की सार्थक जांच को रोक दिया। 107. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अंतर्निहित आंकड़ों और परिशिष्ट एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, डॉ. बू द्वारा प्रस्तुत अंतर्निहित आंकड़े ऐसे रूप में उपलब्ध नहीं थे जो प्राधिकारी को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक कार्य और गणना करने की अनुमति दे सके। कार्यशील

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित आंकड़ों के अभाव ने प्राधिकारी को प्रश्नावली प्रतिक्रिया में प्रस्तुत सूचना का आवश्यक विश्लेषण करने से भी रोक दिया। 108.. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत परिचालित नहीं किया गया था। जांच के दौरान विशेष रूप से अगोपनीय अनुरोधों के परिचालन की आवश्यकता को दोहराया गया था। विशेष रूप से, प्राधिकारी ने दिनांक 7 नवंबर 2025 के पत्र द्वारा, सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध/टिप्पणियों के अगोपनीय रूपांतर को परिचालित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को आवश्यक बताया। डॉ बू इस पत्र के प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। इसलिए परिचालन की आवश्यकता डॉ. बू की जानकारी में थी और केवल एक प्रक्रियात्मक अपेक्षा नहीं थी जिसके बारे में निर्यातक को अवगत नहीं कराया गया था। 109. डॉ. बू के अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच निम्नानुसार है: (क) 13 मई 2026 के अपने ई-मेल में, प्राधिकारी के 5 मई 2026 के पत्र के उत्तर में डॉ. बू ने 10 नवंबर 2025 को दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया को फिर से प्रस्तुत किया और नाइट्राइल और लेटेक्स पाउडर-मुक्त दस्ताने के उत्पादन की लागत और उत्पादन प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया; पुनः अनुरोधों में गायत तथ्यात्मक भाग नहीं दिए गए थे और लागत संबंधी सूचना निर्धारित परिशिष्टों या पीसीएन-वार प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी, ताकि बताई गई कमियों को ठीक नहीं किया जाए; (ख) अपने पत्र दिनांक 24 सितंबर 2026 में, डॉ बू ने उल्लेख किया कि भारत में इसकी कोई संबद्ध कंपनियां या थाईलैंड या अन्यत्र संबद्ध सामानों के संबंधित उत्पादक नहीं हैं, कि इसकी प्रतिक्रिया पूर्ण और सटीक है, और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया गया है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तर को संबद्ध कंपनियों के गैर-प्रकटन के संबंध में उत्तर का निरस्तीकरण आधारहीन है पत्र में ऊपर नोट किए गए उत्तर के स्वरूप, विषय-वस्तु और कार्यशीलता में कमियों को हल नहीं किया गया है; (ग) उत्तर की जांच करने पर, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में निर्यात लेनदेन को पीसीएन-वार रिपोर्ट नहीं किया गया है, कि प्रतिक्रिया भारत में 49 निर्यात लेनदेन को संदर्भित करती है जबकि केवल 5 लेनदेन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, और घरेलू बिक्री की सूची में ग्राहकों के नाम, संबंध, डिलीवरी और भुगतान की शर्तें, सकल और निवल बीजक मूल्य, छूट, भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट अवधि और लागत, पैकिंग या अन्य कटौती शामिल नहीं हैं; इस सूचना के अभाव में, न तो सामान्य मूल्य और न ही निवल निर्यात कीमत डॉ. बू के लिए निर्धारित की जा सकती है। भले ही उत्तर अन्यथा स्वीकार किए जाएं; और (घ) घरेलू उद्योग ने दिनांक 25 सितंबर 2026 के अपने अनुरोध द्वारा यह उल्लेख किया कि उसे मालूम नहीं था जानता था कि डॉ बू ने कोई प्रश्नावली उत्तर दायर किया है क्योंकि कोई अगोपनीय रूपांतर उसे नहीं दिया गया था और यह कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित 27 फरवरी, 2026 के ईमेल द्वारा डॉ. बू सहित कई उत्पादकों/निर्यातकों से अगोपनीय रूपांतर प्राप्त न होने को जारी किया गया था; डॉ. बू ने इसका विरोध नहीं किया। 110 उपर्युक्त के मद्देनज, और विशेष रूप से यह देखते हुए कि डॉ बू को प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रतिक्रिया में कमियों के बारे में विशेष रूप से सूचित किया गया था और उसे इसे सुधारने का अवसर दिया गया था, प्रतिक्रिया का एक अगोपनीय रूपांतर फाइल पर नहीं रखा गया

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

था या परिचालित नहीं किया गया था, निर्धारित प्रश्नावली प्रतिक्रिया के पर्याप्त हिस्से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और प्रस्तुत की गई सूचना और अंतर्निहित आंकड़े निर्धारित रूप और तरीके में प्रदान नहीं किए गए थे, जिसमें कार्यशील एक्सेल प्रारूप भी शामिल था, जिसने सार्थक विश्लेषण और निर्धारण की अनुमति दी थी या जिसे प्राधिकारी ने निर्धारित किया था, प्राधिकारी को पता चला है कि डॉ. बू द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया किसी अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए बू पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने अलग पाटन मार्जिन और तदनुरूपी क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए डॉ. बू द्वारा दायर ईक्यूआर को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर डॉ. बू के संबंध में कार्यवाही की है। डॉ. बू की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, उनके साथ दायर किए जाने के रूप में कथित दस्तावेजों सहित, नीचे खंड झ में जांच की गई है और वे इस निर्धारण को परिवर्तित नहीं करती हैं।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

111. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके प्रश्नावली के उत्तर ऊपर बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किए गए हैं, प्राधिकारी ने नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है। अवशिष्ट मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च.3.2. पाटन मार्जिन का निर्धारण

112. जिन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी ने भारत में पीसीएन-वार कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना पीसीएन-वार पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए तदनुरूपी पीसीएन-वार सामान्य मूल्य के साथ की है। नीचे दी गई तालिका में ऊपर वर्णित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित अवशिष्ट मार्जिन के साथ जांच की अवधि में भारत को निर्यातित पीसीएन को ध्यान में रखने के बाद, उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत, भारित औसत सामान्य मूल्य और भारित औसत पाटन मार्जिन दर्शाया गया है।

113. ऊपर बताए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	सामान्य मूल्य (यूएसडॉफ./लाख पीस)	निर्यात कीमत (यूएसडॉ../ लाख पीस)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./ लाख पीस)	%	रेंज
थाईलैंड					
श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("एसटीजीटी")	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य	***	***	***	***	70-80

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच				
		मलेशया				
		मै. वाईटीवाई इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	40-50
		कोई अन्य	***	***	***	***	95-105

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन</u>

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u> 114. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: क. आवेदकों का संचयी मूल्यांकन का अनुरोध एक कठोर निर्यातक-विशिष्ट और देश-विशिष्ट विश्लेषण की वैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकता है। ख. आवेदकों के आंकड़ों से पता चलता है कि आवेदक हाल ही में प्रवेश	**<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>** 115. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: क. पाटित आयात घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। ख. आधार वर्ष में संबद्ध सामानों की मांग अधिक थी, कोविड - 19 महामारी के दौरान और उसके बाद 2022-23 में कम हो गई। मांग पीओआई में बढ़ गई। ग. संबद्ध	**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>** 116. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद नियमावली अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां नीचे यथतथ्यत: हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न किए गए अनुरोधों को हल करता है। 117 अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान सामानों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए" घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए,इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग,बिक्री की मात्रा,मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली,पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। 118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 2022-23 में उत्पादन शुरू किया और वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-24 में उत्पादन शुरु किया और इस प्रकार विकास के एक नए चरण में नए उत्पादक/प्रवेशकर्ता हैं। नए स्थापित उत्पादक होने के नाते, क्षति की अवधि में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि उनके विकास पथ की स्वाभाविक और अपेक्षित विशेषता है। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विकास की प्रकृति और चरण को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित संगत क्षति मापदंडों के आलोक में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
करने वाले हैं और उनका निष्पादन एक नए उद्योग की सामान्य कठिनाइयों को दर्शाता है, जिसमें स्टार्ट-अप अक्षमताएं, पैमाने की कम अर्थव्यवस्थाएं, वित्तपोषण बोझ और बाजार-प्रवेश चुनौतियां शामिल हैं। ग. आवेदकों के आंकड़े क्षतिकारक आयात मात्रा के उनके दावे का खंडन करते हैं। संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष से 2023-24 कम हो गए और यहां तक कि पीओआई में भी 2021-22 के स्तर से नीचे रहे। आधार वर्ष कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण असामान्य था, इस प्रकार सामान्यीकरण के बाद आयात में कोई भी वृद्धि अपने आप में क्षति सिद्ध नहीं	आयात की मात्रा 2023-24 तक घट गई और पीओआई में बढ़ गई। संबद्ध आयात कुल आयात का 90% है। घ. 2022-23 को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती काफी और सकारात्मक थी। ड. आयातों से घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण हुआ है। च. क्षति की अवधि में कीमत अंतर काफी बढ़ गया है। पहुंच कीमत और घरेलू बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई, लेकिन पहुंच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में गिरावटी की तुलना में अधिक थी। छ.घरेलू उद्योग की क्षमता	**छ.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन** 119. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है, अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है। 120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) प्रत्येक संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है; (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा जांच की अवधि में समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत से अधिक है, जिसमें मलेशिया और थाईलैंड से आयात क्रमशः कुल आयात का लगभग 73% और 17% है; (ग) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, समान उपभोक्ता क्षेत्रों को वितरण के समान चैनलों के माध्यम से बेची जाती हैं, और भारतीय बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं; और (घ) दोनों संबद्ध देशों से आयात क्षति की अवधि के दौरान एक साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना उचित समझते हैं। अन्य हितधारक पक्षकारो का यह तर्क कि संचयी मूल्यांकन देश-विशिष्ट विश्लेषण को दरकिनार कर देगा, स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मात्रा और मूल्य प्रभावों की भी प्रत्येक संबद्ध देश के लिए अलग से जांच की गई है, जहां भी संगत है। **छ.3.2 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन** 121. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की राशि के रूप में परिभाषित किया है। पीयूसी की मांग इस प्रकार है.

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	लाख पीस में	68,528	39,272	30,443	42,106
मलेशिया	लाख पीस में	54,764	31,286	22,147	34,222
थाईलैंड	लाख पीस में	13,764	7,986	8,296	7,884
अन्य देशों से आयात	लाख पीस में	5,118	2,884	3,883	4,930

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

करती है।

घ. एक ऐसे बाजार में जिसे आवेदक स्वयं अत्यधिक आयात निर्भर और मांग समृद्ध बताते हैं, केवल आयात की मौजूदगी क्षति सिद्ध नहीं करती है। प्राधिकारी को यह पहचानना चाहिए कि महामारी के बाद बाजार का सामान्यीकरण, न कि पाटन, मात्रा और कीमतों में सुधार की व्याख्या करता है।

ड. घरेलू उद्योग इस वैश्विक बाजार सुधार के प्रभावों को कथित तौर पर संबद्ध आयात के कारण होने वाले प्रभावों से अलग करने में विफल रहा है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के तहत आवश्यक है।

दूसरे उत्पादक के प्रवेश से 2023-24 में बढ़ गई और उसके बाद पीओआई में स्थिर रही।

ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की मात्रा में क्षति की अवधि में वृद्धि देखी गई, हालांकि, क्षमता उपयोग केवल 33% पर बना हुआ है।

झ. संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी 81% पर काफी बनी हुई है।

ञ. घरेलू उद्योग 2022-23 में अपना परिचालन शुरू करने पर लाभप्रद था। चूंकि क्षति की अवधि में आयात कीमत में गिरावट आई, घरेलू हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई।

कुल आयात	लाख पीस में	73,646	42,156	34,326	47,036
घरेलू उद्योग की बिक्री	लाख पीस में	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*400*	*906*
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	लाख पीस में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*271*	*2,562*	*5,413*
मांग/खपत	लाख पीस में	73,704	42,498	36,546	51,841
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*58*	*50*	*70*
भारतीय क्षमता	लाख पीस में	7,200	12,910	19,507	19,507
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*179*	*271*	*271*

122. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग आधार वर्ष से 2023-24 तक कम हो गई है और उसके बाद पीओआई में बढ़ गई है। यह नोट किया जाता है कि कोविड के प्रभाव के कारण आधार वर्ष में पीयूसी की मांग काफी अधिक थी क्योंकि उत्पाद का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भारी मात्रा में किया जाता है।

छ.3.3 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से आयात

123. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के अंतिम रूप दिए गए पीयूसी और पीसीएन के आधार पर आंकड़ों पर विचार किया है। क्षति की अवधि में पूर्ण रूप से और सापेक्ष रूप से आयात की मात्रा की सूचना निम्नानुसार है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पूर्ण दृष्टि से आयात:					
मलेशिया से आयात	लाख. पीस में	54,764	31,286	22,147	34,222
थाईलैंड से आयात	लाख. पीस में	13,764	7,986	8,296	7,884
संबद्ध देशों से आयात	लाख. पीस में	68,528	39,272	30,443	42,106
अन्य देशों से आयात	लाख. पीस में	5,118	2,884	3,883	4,930
सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध आयात					
भारतीय उत्पादन	%	60,644%	6,809%	1,024%	738%
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*11*	*2*	*1*

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
च. आवेदकों का व्यापक आयात रुझानों और एकत्रित पहुंच मूल्य विश्लेषण पर भरोसा उचित उत्पाद-विशिष्ट पृथक्करण और एक दूसरे के समान तुलना के अभाव में अविश्वसनीय है। छ. आवेदकों का मूल्य प्रभाव विश्लेषण अविश्वसनीय है क्योंकि यह आवेदकों की कीमतों और लागतों के साथ पहुंच मूल्य की व्यापक एकत्रित तुलना पर निर्भर करता है, बिना किसी पीसीएन-वार, विनिर्देश-वार, या एक दूसरे के समान विश्लेषण के। पीयूसी में कई सामग्री श्रेणियां, पाउडर/पाउडर -मुक्त रूप, स्टेराइल/गैर-स्टेराइल रूप और वजन-आधारित वेरिएंट शामिल	ट. क्षति की अवधि में औसत मालसूची स्तर में काफी वृद्धि हुई। ठ. क्षति की अवधि में रोजगार का स्तर बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई। प्रति दिन उत्पादकता रोजगार, वेतन और मजदूरी के समान गति का अनुसरण करती है। ड. घरेलू उद्योग की वृद्धि पर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ढ. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार संबद्ध देशों से आयात बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप , घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी नहीं बढ़ा पाया। ण. विचाराधीन	

भारतीय खपत	%	93	92	83	81
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*90*	*87*

124. यह देखा जाता है कि पूर्ण दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात की मात्रा आधार वर्ष से 2023-24 में कम हो गई और उसके बाद पीओआई में काफी बढ़ गई। वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च आयात को कोविड के कारण माना जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि देश में मांग आपूर्ति अंतर है और आयात एक आवश्यकता है, आयात में वृद्धि क्षमता के बावजूद है, घरेलू उद्योग काफी निष्क्रिय है।

125. सापेक्ष दृष्टि से, भारतीय उत्पादन के संबंध में और भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। यह इस तथ्य के कारण है कि भारतीय उत्पादन में क्षति की अवधि में विस्तार हुआ, जिसमें आवेदक कंपनियां नवको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, ने क्रमशः 2022-23 और 2023-24 में उत्पादन शुरू किया। संबद्ध आयात भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बने हुए हैं, विशेष रूप से पीओआई में।

छ.3.4 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

126.कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती।

127. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

128. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की की कटौती कर रहे हैं, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतकी तुलना करके कीमत कटौती निकाली गई है। इस प्रकार, संबंधित आयात मात्रा पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है। इस तुलना से पता चला कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध वस्तुओं उन कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात किए गए थे, जो वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के आयात घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे थे और कटौती का मार्जिन नीचे तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	मलेशिया	थाईलैंड	संबद्ध देश
पहुंच कीमत	रु./लाख पीस	1,22,488	1,45,397	1,26,777
बिक्री कीमत	रु./लाख पीस	***	***	***

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

हैं, जिनके लिए तुलनीय आधार पर सार्थक तुलना की आवश्यकता होती है। आयात कीमतों में गिरावट महामारी के स्तर से है और पाटन-प्रेरित कीमत दबाव से नहीं है, और आवेदक इन दो अलग-अलग प्रभावों को अलग करने में विफल रहे हैं।

ज.किसी अपरिपक्व घरेलू उत्पादक की लागत से कम आयात मूल्य स्वचालित रूप से क्षतिकारक पाटन सिद्ध नहीं करते हैं। आवेदकों का "मानकीकृत" लागत पर भरोसा इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी वास्तविक लागत अभी तक एक स्थिर, अनुकूलित लागत संरचना का

उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

त. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए मापदंड केवल घरेलू निष्पादन के लिए हैं और इसलिए घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

थ. पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।

कीमत कटौती	रु./लाख पीस	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	रेंज	25-35	5-15	25-35

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, और इस तरह की कीमत कटौती काफी है।

कीमत न्यूनीकरण या ह्रास

130. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दी गई है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*214*	*147*
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*123*	*123*
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ संख्या लाख	2,91,792	1,38,022	1,30,519	1,26,777
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*47*	*45*	*43*

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत में, बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक होने के कारण क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, लागत में वृद्धि के बावजूद, पीओआई तक आयात के पहुंच मूल्य में काफी गिरावट आई। 2023-24 और जांच की अवधि में पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से से कम ही नहीं है, बल्कि इसकी लागत से भी कम है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 में आयात की पहुंच कीमत में 50% से अधिक की भारी गिरावट आई थी। घरेलू उद्योग ने 2022-23 में मामूली लाभ कमाया, लेकिन इसकी बिक्री कीमत 2023-24 और पीओआई में बिक्री की लागत से कम थी। इस प्रकार, आयातों से घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। चूंकि आवेदक कंपनियों ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था, इसलिए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की जांच करने के लिए मानकीकृत लागत की तुलना बिक्री कीमत से की गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। मानकीकृत लागत की गणना उत्पादन के स्तर पर बिक्री की लागत की गणना करके की गई है जो क्रमशः 2022-23, 2023-24 और पीओआई में ***%, ***% और ***% के क्षमता उपयोग के अनुरूप है, जबकि वास्तविक क्षमता उपयोगिता

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और इस मानकीकरण पद्धति की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, कम क्षमता का उपयोग, प्रति इकाई उच्च लागत और कमजोर प्रारंभिक लाभपद्रता यह सामान्य है एक नएत उद्योग के लिए।

झ. आयातों का पहुंच मूल्य कम रहने के बावजूद पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को समायोजित करने की शक्ति बरकरार रखी।

ञ. कीमत कटौती का दावा पूंजी पर 22% आय का उपयोग करके

***%, ***% और ***% है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत					
वास्तविक	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*214*	*147*
सामान्यीकृत	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*169*	147
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*123*	*123*
आयात का पहुंच मूल्य	रु./ संख्या लाख	2,91,792	1,38,022	1,30,519	1,26,777
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*47*	*45*	*43*

132. यह देखा जाता है कि यहां तक कि जब मानकीकृत लागत से तुलना की जाती है, जो परिचालन के शुरुआती वर्षों में कम क्षमता उपयोग के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देती है, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति 2023-24 और पीओआई में लागत से कम रही। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा झेला गया कीमत न्यूनीकरण को केवल एक नए उद्योग की स्टार्ट-अप अक्षमताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव

133. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विकास के नए चरण में है और इसकी लाभप्रदता इसकी विश्वसनीयता के रुझानों का मूल्यांकन उस संदर्भ में किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने केवल 2022-23 में लाभ कमाया, जो उसके प्रचालनों का प्रारंभिक वर्ष था। हालाँकि, बाद में, पाटित आयातों ने घरेलू बाजार में काफी कीमत दबाव डाला और घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थापना और विस्तार के महत्वपूर्ण चरण में होने के बावजूद, घरेलू उद्योग को 2022-23 में लाभप्रद स्थिति से जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुई।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

गणना किए गए एक बढ़े हुए एनआईपी पर आधारित है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि नियोजित पूंजी पर 22% आय मान लेने से "कम कीमत पर बिक्री की एक बढ़ी हुई तस्वीर मिलती है जो क्षति का एक सच्चा संकेतक नहीं हो सकता है", और घरेलू उद्योग को ऐसे उच्च बेंचमार्क को सही ठहराने के लिए उत्पाद खंड में ऐतिहासिक आय का प्रमाण प्रदान करना चाहिए।

ट. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री सभी क्षति की अवधि में बढ़ गई है, और मात्रा के मामले

2023-24 में लाभप्रदता में गिरावट पहुंच कीमतों में और अधिक गिरावट के अनुरूप थी। उस वर्ष संबद्ध आयात की मात्रा में गिरावट आई और पीओआई में वृद्धि हुई।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

135. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के बारे में सूचना इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संस्थापित क्षमता	पीस (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*222*	*222*
कुल उत्पादन (पीयूसी)	पीस (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*500*	*870*
क्षमता उपयोग	%	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*226*	*392*
घरेलू बिक्री	पीस (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*400*	*906*

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 2022-23 में उत्पादन शुरू किया और वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-24 में उत्पादन शुरु किया। तदनुसार, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 2023-24 में वृद्धि दिखाती है और उसके बाद पीओआई में समान बनी हुई है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के भीतर उत्पादन शुरू करने के कारण क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है। हालाँकि, देश में प्रचलित मांग के स्तर की तुलना में उत्पादन और बिक्री महत्वहीन बनी रही। इसके अलावा, उत्पादन और बिक्री में यह सीमित वृद्धि भी हानि उठाने की कीमत पर हासिल की गई थी।

ग. घरेलू उद्योग उप-इष्टतम स्तरों पर काम करना जारी रखता है, जिसमें संस्थापित क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहता है। पीओआई के दौरान क्षमता उपयोग केवल ***% (सीमा 25-35%) था। इस प्रकार, देश में काफी मांग के बावजूद, संस्थापित क्षमता का लगभग ***% (65-75% की रेंज) बेकार रहा।

137. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा नई उत्पादन सुविधा पर उत्पादन शुरू करने और भारतीय बाजार में काफी मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में आनुपातिक रूप से वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग उत्पादन क्षमताओं के काफी कम उपयोग से हानि झेल रहा है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

138. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान मांग में संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

में पीओआई सबसे अच्छा वर्ष था। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है, इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, और यह पीओआई के दौरान अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है। यह एक बढ़ते, विस्तारित घरेलू उद्योग को दर्शाता है। इस चरण के दौरान कोई भी हानि एक नए उद्योग के साथ संगत है जो अभी भी सीखने के माड पर है और स्टार्ट-अप लागत को अवशोषित कर रहा है।

ठ. इसके अलावा आवेदकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए "हानि उठाने की लागत पर" उत्पादन और

निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	%	93%	92%	83%	81%
	सूचीबद्ध	*100*	*99*	*90*	*87*
मलेशिया से आयात	%	74%	74%	61%	66%
	सूचीबद्ध	*100*	*99*	*82*	*89*
थाईलैंड से आयात	%	19%	19%	23%	15%
	सूचीबद्ध	*100*	*101*	*122*	*81*
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*465*	*743*
आयात – अन्य देश	%	7%	7%	11%	10%
	सूचीबद्ध	*100*	*98*	*153*	*137*
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*470*	*5,167*	*7,696*
कुल हिस्सा	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग घरेलू बाजार का केवल ***% (0-10% की सीमा) रखता है। भारतीय उद्योग भी समग्र रूप से बाजार में काफी कम हिस्सेदारी रखता है, जबकि आयातित वस्तुओं की बाजार हिस्सेदारी 81% है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जबकि मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उचित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने से रोक दिया है। घरेलू उद्योग देश में काफी मांग को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए था। हालाँकि, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम है, जिसमें आयात वस्तुतः बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आयात

140. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता , नकद लाभ, कर-पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर पूर्व लाभ	लाख रु.	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-25,604*	*-14,473*
कर पूर्व लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-6,401*	*-1,597*
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	-	***	***	***

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

बिक्री में वृद्धि की है। जानबूझकर बाजार में प्रवेश करने की रणनीति से उत्पन्न होने वाले नुकसान को संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह के वाणिज्यिक विकल्प पाटनरोधी कानून के तहत आवश्यक कारणात्मक श्रृंखला को तोड़ते हैं।

ड. क्षमता की मात्र मौजूदगी या घोषित विस्तार योजनाएं पाटन या विश्लेषण के खतरे का आधार नहीं बन सकते हैं। आवेदकों ने यह दर्शाने वाला निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि स्थापित क्षमता भारत के लिए नियत है या यह कि किसी भी परिवर्तन का स्पष्ट रूप से अनुमान

	सूचीबद्ध	-	*100*	*-1,245*	*207*
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-311*	*23*
नकद लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-3,806*	*-2,634*
नकद लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-952*	*-291*
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-293*	*47*

141.यह नोट किया जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 में मामूली लाभ कमाया। घरेलू उद्योग को तब 2023-24 में एक तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसमें जांच की अवधि में केवल आंशिक वसूली से पूर्व संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट आई। घरेलू उद्योग को पीओआई में भी काफी हानियां हुई।

ख. पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की इस पैटर्न को दर्शाती हैं: प्रत्येक मापदंड में 2023-24 में तेजी से गिरावट आइ, और पीओआई में केवल आंशिक सुधार दिखाया, पीबीआईटी और आरओसीई मामूली रूप से सकारात्मक हो गए जबकि नकद लाभ काफी नकारात्मक रहा।

142. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उत्पादक इतने कम दामों पर पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से काफी कम है। इसलिए, घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप काफी वित्तीय नुकसान हुआ है और इसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। यह तथ्य कि पहुंच कीमत 2023-24 और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लागत से भी कम कीमत बनी रही, पाटित आयातों प्रतिकूल कीमत प्रभाव को दर्शाता है और घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में ह्रास का प्रमाण देता है।

घ. मालसूची

143. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति से संबंधित आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। यह देखा गया है कि देश में पर्याप्त मांग के बावजूद क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची का औसत स्तर काफी बढ़ गया है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	लाख पीस में	-	-	***	***
	सूचीबद्ध	-	-	*100*	*8,891*

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

लगाया गया है और आसन्न है। एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आवेदक उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करने में विफल रहे हैं और ज्ञात गैर-आयात कारकों जैसे कि नए उद्योग, स्टार्ट-अप अक्षमताओं, उच्च वित्तपोषण बोझ, कम क्षमता उपयोग, जानबूझकर बाजार प्रवेश कीमत निर्धारण, महामारी के बाद संबद्ध आयातों के प्रभावों को अलग नहीं किया है। यह कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने के कानूनी मानक को विफल कर देता है। ढ. प्राथमिक कच्चा माल मलेशिया और थाईलैंड में सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, जिससे बुनियादी ढांचे

अंतिम मालसूची	लाख पीस में	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*8,891*	*8,372*
औसत मालसूची	लाख पीस में	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*8,991*	*17,263*

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

144. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*587*	*680*
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*3,427*	*3,923*
प्रतिदिन उत्पादकता	संख्या (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*500*	*870*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	संख्या (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*85*	*128*

145.प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या और वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई। उत्पादन के संचरण के बाद प्रति दिन उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। 2023-24 में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई और जांच की अवधि में ठीक हो गई।

च. वृद्धि

146 यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन(पीयूसी)	%	-	400%	74%
घरेलू बिक्री	%	-	300%	127%
पीबीआईटी	%	-	-1345%	-117%

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

पर आधारित लाभ मिलता है।

ण. अधिकांश घरेलू उत्पादक सर्जिकल दस्ताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रतिस्पर्धी दरों पर पीयूसी का उत्पादन करने के लिए अनुभव, उपकरण या पर्याप्त क्षमता की कमी है। बीआईएस आईएस: 15354 मानकों को पूरा करने वाले पीयूसी के साथ एनपीयूसी की कीमतों की तुलना भ्रामक है। इस तरह की कार्रवाइयों से कृत्रिम कमी पैदा होने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए लागत बढ़ने का खतरा है।

त. कुछ भारतीय दस्ताना निर्माताओं द्वारा अपनी क्षमता और पीयूसी के लिए कीमत निर्धारण के बारे में प्रदान किए गए आंकड़े गलत हैं।

नकद लाभ	%	-	-3906%	-31%
आरओसीई	%	-	-393%	-116%

नोट: पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई के लिए पीओआई प्रतिशतता परिवर्तनों में नकारात्मक पूर्व वर्ष के डेनोमिनेटर्स है। नकारात्मक संकेत आगे गिरावट का संकेत नहीं देते हैं; तीनों मापदंडों में 2023-24 में सुधार हुआ।

147. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री के रूप में मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, इसके लाभप्रदता मापदंडों, अर्थात् पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में 2023-24 में तेज नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई और, पीओआई में आंशिक सुधार के बावजूद, घरेलू उद्योग ने पीओआई में हानियां और नकद हानियां उठाई। इस मात्रात्मक वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा जांच की अवधि में क्रमश:***% (रेंज 25-35%) और ***% (रेंज 0-10%) पर कम रही।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

148. पाटन की मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में आयात किस हद तक किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

149. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसने क्षति की अवधि में निवेश किया और क्षमताएं जोड़ीं, हालांकि, आयात में गिरावट ने घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसकी दीर्घकालिक संधारणीयता को खतरे में डाल दिया है। प्राधिकारी नोट करते है कि क्षति की अवधि में उसकी लाभप्रदता में काफी गिरावट सहित घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पूंजी निवेश जुटाने में उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

150. देश में उत्पाद की मांग, मौजूदा क्षमता और उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उत्पाद में क्षमता वृद्धि की अपार संभावना है। हालाँकि, जब मौजूदा उत्पादक अपने संयंत्रों को चलाने में असमर्थ हैं और काफी वित्तीय हानियां झेल रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि देश में काफी पाटन के कारण देश में नए निवेश के लिए बाजार अनुकूल नहीं है।

झ. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि *2023-24* और पीओआई में संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से काफी कम रही है। इसके अलावा, बिक्री लागत निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि से अधिक बढ़ गई है जिससे कीमत ह्रास हुआ है। क्षति की अवधि में आयात की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। इसलिए, पाटित आयात जो काफी कम कीमत पर हैं, घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हैं।

छ.4 गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक) और कारणात्मक संपर्क

152. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हे। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और पता लगाया कि क्या ये एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, ताकि अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति, यदि कोई हो, तो पाटित आयात के कारण नहीं है। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

153. क्षति की अवधि में अधिकांश आयात संबद्ध देशों से किए गए हैं। यह देखा गया है कि तीसरे देशों से आयात या तो मात्रा में कम है या अधिक कीमत पर है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण मांग अधिक थी। इसके बाद, 2022-23 में और जांच की अवधि में वृद्धि से पूर्व 2023-24 में, मांग में गिरावट आई। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में मांग बढ़ी है, घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण बहुत कम है। इस प्रकार, मांग में किसी भी संकुचन के लिए क्षति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

155. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

156. यह देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई प्रमाण नहीं है जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हों।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

157. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च. उत्पादकता

158. उत्पादन की गतिविधि के बाद क्षति की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 में घट गई और पीओआई में ठीक हो गई, जो इसके 2022-23 स्तर से अधिक है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

159. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन नगण्य है। किसी भी मामले में, ऊपर जाँची गई क्षति की सूचना, जहां तक आवश्यक और उचित है, केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन ने घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के बिक्री निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

160. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से इसे अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार

नहीं किया गया है। अत:, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

161. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का पता चलता है। पाटित आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित कारकों के संबंध में सिद्ध है:

क. संबद्ध आयात 2023-24 तक कम हो गया और उसके बाद पीओआई में काफी बढ़ गया। भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात काफी बने हुए हैं, साथ ही घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग भी जारी है।

ख. क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की कीमतें कम हो गई हैं। परिणामस्वरूप, आयातों भारतीय बाजार में एक प्रमुख हिस्सेदारी पर कब्जा करना जारी रखा और घरेलू उद्योग ने काफी बाजार अवसर खो दिए।

ग.. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत से कम कीमत पर हैं, जो कीमत न्यूनीकरण कर रहे हैं तथा घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रहे हैं। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानियां हो रही है।

घ. घरेलू उद्योग के नकद लाभ भी नकारात्मक हैं और नियोजित पूंजी पर आय थोड़ी सी सकारात्मक है।

ड. देश में मांग और इसकी संस्थापित क्षमता के सापेक्ष मात्रा मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि अपर्याप्त रही है, और इसकी लाभप्रदता मापदंडों में पाटित आयातों के कारण 2023-24 में तेज नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

छ.5 क्षति मार्जिन की मात्रा

162. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करना हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर 22% कर-पूर्व आय (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए मानी गई थी। बिक्री लागत में ब्याज घटाने के बाद अनुमति दी गई थी। नियमावली के अनुबंध-III के सिद्धांतों के अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में शेष की अनुमति दी गई थी।

163. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर,प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

विवरण	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
	(यूएसडॉ/लाख पीस)	(यूएसडॉ/लाख पीस)	(यूएसडॉ/लाख पीस)	%	रेंज
थाईलैंड					
श्री ट्रंग ग्लोव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("एसटीजीटी")	***	***	***	***	15-25

विवरण	क्षतिरहित कीमत (यूएसडॉ/लाख पीस)	पहुंच कीमत (यूएसडॉ/लाख पीस)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉ/लाख पीस)	%	रेंज
अन्य कोई	***	***	***	***	20-30
मलेशिया					
मै.वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	15-25
कोई अन्य	***	***	***	***	25-35

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 164. सार्वजनिक हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. यह अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात एक परिपक्व और आत्मनिर्भर घरेलू उद्योग को विस्थापित नहीं कर रहा है। बल्कि, वे आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। ख. पीयूसी के लिए कोई उत्पाद विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। ग. प्राथमिक कच्चा माल मलेशिया और थाईलैंड में सस्ते दामों पर उपलब्ध है। उनके पास कई बुनियादी ढांचा-आधारित लाभ हैं। घ. वर्तमान कच्चे माल की कमी और आपूर्ति-पक्षीय दबाव पाटनरोधी शुल्क को प्रतिकूल बना देता है। ड. कच्चे माल जैसे मलेशिया में नाइट्राइल रबर/एनबीआर की कमी, प्राकृतिक रबर लेटेक्स के लिए संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले अमोनिया की कमी और भारत में जलवायु परिस्थितियों के कारण रबर उत्पादन में कमी के कारण बढ़ती कीमतें। च. शुल्क लगाने से अस्पतालों,	**घरेलू उद्योग के विचार** 165. हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. भारत में घरेलू उद्योग की दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग को पाटित आयात से बचाना वैध और आवश्यक दोनों है। ख. भारतीय चिकित्सा जांच दस्ताना उद्योग एमएसएमई श्रेणी से संबंधित है, भारत में एमएसएमई के विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एक विनिर्माण पावरहाउस बनने में इसकी भूमिका में सहायता करने, रोजगार को बढ़ावा देने और देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ग. घरेलू उद्योग से खरीद करना उपभोक्ताओं के हित में है, क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में उपभोक्ताओं के हित में काम करेगा। घ. सार्वजनिक हित केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवेदक और अंततः आम जनता का हित भी शामिल है। ड. उपभोक्ताओं के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी आवेदक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य वाले आयात के मुकाबले उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो। च. उत्पादों के एक जोड़े की लागत	**प्राधिकारी द्वारा जांच** 166. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा। यह जांच घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार करने पर आधारित है। 167. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जांच के संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण नई स्थिति के समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी। 168. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं को नुकसान होगा जो स्थिर, प्रतिस्पर्धी कीमत वाली आपूर्ति पर निर्भर हैं। उच्च मात्रा वाले खरीदारों पर संचयी वित्तीय बोझ पर्याप्त है, जो आवेदकों के "नगण्य प्रभाव" के दावे के विपरीत है बाजार आयात पर निर्भर और आपूर्ति बाधित बना हुआ है। शुल्क जोखिम कम करना आपूर्ति लचीलापन और अक्षमता को बचाना। छ. घरेलू उद्योग की उसकी एमएसएमई करेक्टर पर निर्भरता सामान्य वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा के लिए एक अपील प्रतीत होती है, जो पाटनरोधी कानून का उद्देश्य नहीं है। ज. आवेदकों द्वारा आत्मनिर्भरता का आह्वान और पोषण इस बात की पुष्टि करता है कि वे व्यापार उपचार के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। पाटनरोधी शुल्क अनुचित व्यापार परिपाटियों के लिए एक उपचारात्मक तंत्र है, न कि उभरते उद्योगों को पोषित करने या सीमित घरेलू क्षमता की भरपाई करने का उपकरण। आयात द्वारा वैध बाजार संतुलन को आपूर्ति मांग अंतराल दर्शाता है, न कि पाटन। झ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रति जोड़ी केवल 3 रु. का हवाला देकर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को महत्वहीन बनाने का प्रयास त्रुटिपूर्ण है। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, दंत चिकित्सालयों, नैदानिक केंद्रों, नर्सिंग होम और सरकारी	लगभग 3 रु. प्रति जोड़ी है। यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव अत्यधिक महत्वहीन होगा। छ. भारत को वह विनिर्माण शक्ति बनाने के लिए घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है जो वह बनना चाहता है। ज. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए सुरक्षा नहीं है, बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का एक उपकरण है। झ. संबद्ध देशों से चिकित्सा जांच रबर दस्ताने के आयात के अलावा अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं।	उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण से घरेलू उद्योग में और गिरावट को रोका जा सकेगा, भारतीय उद्योग को उचित बाजार स्थिति की अनुमति मिलेगी, और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 169. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग ने निचल स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्ज किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, अस्पतालों और अंतिम उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो जांच दस्ताने की निर्बाध और लागत प्रभावी आपूर्ति पर निर्भर हैं, विशेष रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उत्पाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के पास पूरी घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, और मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए आयात आवश्यक है। 170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है, लेकिन घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षमता अत्यधिक कम उपयोग की जाती है। यह कम उपयोग स्वयं संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार है, जिसने घरेलू कीमतों को कम कर दिया है और घरेलू उद्योग की इष्टतम क्षमता स्तर पर काम करने की क्षमता को दबा दिया है, न कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता या अनिच्छा का संकेत है। प्राधिकारी का विचार है कि पाटित आयातों द्वारा प्राप्त अनुचित कीमत लाभ को हटाने से, घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग को बढ़ाने और मौजूदा स्थापित क्षमता से ही घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति करने की स्थिति में होगा, जिसके लिए नई क्षमता जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकारी यह भी नोट

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
अस्पतालों में लगातार उपयोग किए जाने वाले उच्च मात्रा वाले, आवर्ती उपभोग वाली वस्तुएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यूनतम प्रति इकाई वृद्धि एक बड़े, आवर्ती वित्तीय बोझ में बदल जाता है, जो छोटे स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के लिए पतले मार्जिन पर काम कर रहा है, क्योंकि यहां तक कि एक छोटी सुविधा प्रति माह कई हजार जोड़े का उपभोग करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकत्रित, इस तरह के शुल्कों से कृत्रिम रूप से इनपुट लागत बढ़ जाएगी, जिससे सीधे रोगी देखभाल व्यय में वृद्धि होगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट पर दबाव पड़ेगा और सस्ती चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच कमजोर होगी। ञ. एक आवश्यक संक्रमण नियंत्रण बाधा पर शुल्क लगाना सुरक्षा पर प्रीमियम रखता है और अंतिम उपभोक्ता यानी रोगी को दंडित करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक कृत्रिम रूप से भारत में स्वास्थ्य सेवा समुदाय के नुकसान के लिए चिकित्सा दस्तानों की कमी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ट. कम लागत, स्टेराइल चिकित्सा वातावरण बनाए रखने में व्यापक सार्वजनिक हित दो घरेलू उत्पादकों के संकीर्ण वाणिज्यिक हितों से अधिक होना चाहिए। ठ. अधिकांश घरेलू उत्पादक सर्जिकल दस्ताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रतिस्पर्धी दरों पर पीयूसी का उत्पादन		करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा बेहतर उपयोग के लिए मानने के बाद भी, एक अवशिष्ट मांग-आपूर्ति अंतर बने रहने की संभावना है, जो गैर-पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से और अन्य स्रोतों से आयात सहित आयात के माध्यम से पूरा किया जाएगा। बेहतर व्यवहार्यता घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। 171. प्राधिकारी ने कोविड -19 महामारी के दौरान अनुभव पर भी ध्यान दिया, जब सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल द्वारा चिकित्सा जांच रबर दस्ताने की घरेलू मांग में अचानक और अभूतपूर्व वृद्धि के कारण घरेलू आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए बहुत अधिक कीमतों पर बड़े पैमाने पर आयात की आवश्यकता थी। आधार वर्ष में मांग सबसे अधिक थी और यदि पाटनरोधी लगाया जाता है तो आयात से बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कीमतों पर इसे पूरा किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात पर इस भारी निर्भरता ने घरेलू बाजार को गंभीर रूप से कमजोर बना दिया और कीमतों में भारी वृद्धि हुई। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे आवश्यक और रणनीतिक महत्व के उत्पाद के लिए अत्यधिक आयात निर्भरता के जोखिम को रेखांकित करता है। आयात पर इस तरह की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए पर्याप्त और टिकाऊ घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण आवश्यक है। वित्तीय रूप से अर्थक्षम और आत्मनिर्भर घरेलू उद्योग, जो आयात पर अनुचित निर्भरता के बिना घरेलू मांग के एक पर्याप्त हिस्से को पूरा करने में सक्षम है, जन हित में है। 172. जहां तक अंतिम उपभोक्ताओं/स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर कीमत प्रभाव के संबंध में तर्क है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगभग ***रु. प्रति पीस, या लगभग ***रु. प्रति जोड़ा है। यह कीमत आधार वर्ष में प्रचलित कीमतों से बहुत कम है। उत्पाद एक कम मूल्य की उपभोज्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी लागत अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न राजस्व या खर्च किए गए व्यय के एक महत्वहीन हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, प्राधिकारी का विचार है कि सिफारिश किए गए शुल्कों से उपभोक्ताओं या निचले स्तर के

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
करने के लिए अनुभव, उपकरण या पर्याप्त क्षमता की कमी है। बीआईएस आईएस: 15354 मानकों को पूरा करने वाले पीयूसी के साथ एनपीयूसी की कीमतों की तुलना भ्रामक है। इस तरह की कार्रवाइयों से कृत्रिम कमी पैदा होने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए लागत बढ़ने का खतरा है। ड. मलेशियाई और थाई कंपनियां जैसे टॉप ग्लव, हार्टालेगा होल्डिंग्स, कोसान रबर, सुपरमैक्स (मलेशिया), और श्री-ट्रैंग (थाईलैंड) बड़े पैमाने पर काम करते हैं जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होते हैं, जो मात्रा और गुणवत्ता दोनों को सुनिश्चित करता है, जो भारतीय कंपनियों के विपरीत है जो आमतौर पर केवल 3 से 4 उत्पादन लाइनें रखती हैं। ढ. पाटनरोधी शुल्क से लागतें काफी बढ़ेंगी और अंतत: सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों में पहुंच और बढ़ना कम होगा। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद की लागत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को गैर-आनुपातिक रूप से प्रभावित करता है जिसके प्रदाता सेवाएं कम करने या रोगियों पर लागत लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ण. पाटनरोधी शुल्क मलेशिया और थाईलैंड के साथ तनावपूर्ण संबंधों को जोखिम में डालता है और जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित करता है। त. आयातों से घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं हो रही है। थ. पाटनरोधी उपाय के बजाय घरेलू क्षमता के निर्माण पर		उद्योगों पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना नहीं है और उन उत्पादों और सेवाओं की सामर्थ्य या उपलब्धता को वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं करेगा जिनमें संबद्ध सामानों का उपयोग किया जाता है। 173. प्राधिकारी ने उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का भी विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड में सबूत रखा है कि उसने गुणवत्ता के लिए बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की उपभोक्ताओं को बड़ी मात्रा में आपूर्ति की है और उत्पाद का निर्यात भी शुरू कर दिया है। प्रकटन विवरण के बाद, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दो अन्य भारतीय उत्पादकों, जो घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं, के दस्तानों के बाजार नमूनों पर परीक्षण रिपोर्टें अभिलेख पर रखी हैं; इन रिपोर्टों की जांच नीचे खंड झ में की गई है। इसके विपरीत, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के बराबर नहीं है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
जोर दिया जाना चाहिए। द. अतः, सार्वजनिक हित उस बाजार में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन नहीं करता जो आयात पर निर्भर रहता है और स्थिर तथा विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्पर्धी कीमत वाली आपूर्ति चाहता है।		

झ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणिया</u>

174. जांच के अंतर्गत आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को 23 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की नीचे जांच की गई है। अनेक टिप्पणियां जांच के पूर्ववर्ती चरणों में किए गए अनुरोधों को दोहराती हैं, जिनकी जांच इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में पहले ही की जा चुकी है। अतः प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों को नीचे केवल उसी सीमा तक दर्ज किया है और उनकी जांच की है, जिस सीमा तक वे नए मुद्दे उठाती हैं अथवा अतिरिक्त कारणों की मांग करती हैं।

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

175. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में किए गए अनुरोधों का विषयवार सारांश नीचे दिया गया है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

क. जांच शुरुआत अधिसूचना में पीयूसी को आईएस 15354 को पूरा करने के लिए निर्मित दस्तानों के रूप में वर्णित किया गया था, जो उत्पाद की एक मूलभूत विशेषता है। चिकित्सा जांच दस्ताने चिकित्सा उपकरण हैं और चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के नियम 7 के अंतर्गत इनका आईएस 15354 के अनुरूप होना अनिवार्य है; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का न होना असंगत है। प्राधिकारी को बीआईएस के स्थान पर सीडीएससीओ से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, जो चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 को प्रशासित करता है। प्रकटन विवरण के पैरा 12 में यह कहने के पश्चात कि वह इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि गैर-अनुरूप दस्तानों का विधिपूर्वक आयात या बिक्री की जा सकती है, प्राधिकारी ऐसे दस्तानों को पीयूसी का भाग नहीं मान सकते, और पीयूसी को आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित किया जाना चाहिए।

ख. प्रकटन विवरण के पैरा 19 को औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई अनुप्रयोगों में प्रयुक्त दस्तानों के स्पष्ट अपवर्जन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आकस्मिक रूप से गैर-चिकित्सा उपयोग में लाए गए चिकित्सा जांच दस्तानों, जो पीयूसी के अंतर्गत हैं, और औद्योगिक/सामान्य-प्रयोजन दस्तानों, जो अपवर्जित हैं, के

बीच भेद किया जाना चाहिए। वार्षिक रिपोर्टों में हार्टालेगा एसडीएन. बीएचडी. (एचएसबी) के प्रमुख कार्यकलाप का "लेटेक्स दस्तानों का विनिर्माण" के रूप में सामान्य विवरण यह स्थापित नहीं करता कि उसने पीओआई के दौरान पीयूसी का विनिर्माण किया था। जब आईएस 15354 के अनुरूप होना कार्यक्षेत्र की शर्त नहीं है, तो प्राधिकारी को उन प्रभावी तकनीकी मानदंडों का उल्लेख करना चाहिए जिनके द्वारा चिकित्सा जांच दस्तानों की पहचान की जाती है।

ग. बीआईएस लाइसेंस, प्रयोगशाला रिपोर्टों और गुणवत्ता के संबंध में प्रकटन विवरण के पैरा 11, 20 और 173 के निष्कर्ष परस्पर असंगत हैं। जो साक्ष्य एक पृथक उत्पाद श्रेणी स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है, वह इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक हो सकता है कि घरेलू उत्पाद तुलनीय गुणवत्ता का है या नहीं।

घ. ट्रस्टिन लेबोरेटरीज, चेन्नई की अक्टूबर 2026 की चार बाजार नमूनों पर जांच रिपोर्टें दर्शाती हैं कि दो आयातित ब्रांड आईएस 15354 के जांचे गए मापदंडों पर खरे उतरे, जबकि दो भारतीय उत्पादकों, लैट्राइल ग्लव्स प्रा. लि. और कूवे आईओटी प्रा. लि., द्वारा विनिर्मित दस्तानों के नमूने मोटाई और टूटने पर बल (फोर्स-एट-ब्रेक) की अपेक्षाओं पर विफल रहे। ये परिणाम 23 अक्टूबर, 2026 के पत्र द्वारा औषध विभाग के ध्यान में लाए गए हैं।

घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

क. नियम 2(ख), जो घरेलू उद्योग की प्रतिनिधिकता से संबंधित है, और नियम 5(3), जो आवेदक की स्थिति (स्टैंडिंग) से संबंधित है, भिन्न अपेक्षाएं हैं, और बाद वाली अपेक्षा की पूर्ति से पहली अपेक्षा स्थापित नहीं होती। प्राधिकारी को उस साक्ष्य-आधार को स्पष्ट करना चाहिए जिस पर आवेदकों के कार्य-निष्पादन को भारतीय उद्योग का प्रतिनिधि माना गया है।

ख. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लि., जिसके बारे में कहा गया है कि उसने "क्षमताएं स्थापित की हैं", ने वास्तव में पीओआई के दौरान पीयूसी का उत्पादन किया था, और किस आधार पर उसके उत्पादन को आवेदक की स्थिति की गणना में शामिल किया गया है।

आयातक प्रश्नावली

क. प्रकटन विवरण में नामित आयातकों को किसी भी चरण पर आयातक प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई, जिससे वे सहयोग नहीं कर सके और इससे क्षति तथा आयात विश्लेषण दूषित होता है।

प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति

क. उपलब्ध तथ्यों का सहारा अंतिम उपाय है। प्रकटन विवरण में चिह्नित मामले मात्रा और पुष्टि संबंधी मिलान की कमियां हैं, न कि इनकार या असहयोग, और प्राधिकारी को उत्तरों को पूर्णतः अस्वीकार करने के बजाय यह आकलन करना चाहिए कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध सूचना का आंशिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। हार्टालेगा समूह और टॉप ग्लव समूह के लिए, केवल अनुपलब्ध सूचना हेतु उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करते हुए, व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किए जाने चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें उन निर्यातकों के समकक्ष माना जाए जिन्होंने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

ख. एमयूएन ग्लोबल एसडीएन. बीएचडी. की घरेलू बिक्री के संबंध में हार्टालेगा समूह के स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न प्रश्नों के क्रमिक उत्तर थे, न कि परस्पर विरोधी; खरीद के केवल एक भाग की घरेलू बाजार में पुनर्बिक्री, शेष का निर्यात किया जाना या माल-सूची में रखा जाना, माल-सूची के समय-अंतर संबंधी स्पष्टीकरण का परिष्कार है। यदि स्पष्टीकरणों को अपर्याप्त माना जाता है, तो पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 6 के अनुसार विशिष्ट कमी की पहचान की जानी चाहिए और मिलान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

ग. एमयूएन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लि. का परिशिष्ट 15 फिल्टर लगाने के पश्चात पीयूसी और संबंधित पीसीएन को शामिल करता है, जबकि परिशिष्ट 16 एनपीयूसी, नमूनों और अन्य लेन-देनों सहित सकल ईआरपी अभिलेखों को दर्शाता है, जिससे खरीद लागत में अंतर स्पष्ट होता है; दोनों परिशिष्टों के लेन-देन-वार मिलान पर विचार किया जाना चाहिए। प्रकटन विवरण के पैरा 69 के विपरीत, एमयूएन हेल्थ के खरीद और नमूना पुनर्बिक्री अभिलेख तथा एमयूएन हेल्थ और एमयूएन ग्लोबल के बीच बकाया भुगतानों की सूची डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई थी और 19 अगस्त, 2026 के ई-मेल द्वारा भेजी गई थी, और वित्तीय विवरणों के साथ मिलान के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

घ. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 के साथ पठित नियम 10 के अंतर्गत, निर्यात कीमत की उपेक्षा केवल तभी की जा सकती है जब वह संबद्धता अथवा प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय हो। कोई प्रतिपूरक व्यवस्था या कीमत पर संबद्धता का कोई प्रभाव नहीं पाया गया है, और बकाया अंतर-समूह प्राप्य राशियां अपने आप में निर्यात कीमत को अविश्वसनीय नहीं बनातीं।

ङ. हार्टालेगा समूह की संबंधित संस्थाओं ने पीओआई के दौरान पीयूसी का उत्पादन या निर्यात नहीं किया। हार्टालेगा एनएसएम एसडीएन. बीएचडी. 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2026 को निष्क्रिय थी; एचएसबी को 2023 के अंत में बंद (डीकमीशन) कर दिया गया था और उसने अपनी विद्यमान माल-सूची का निपटान करते हुए जनवरी से दिसंबर 2023 तक ऐसी माल-सूची एमयूएन हेल्थ को बेची; और समूह की अन्य संस्थाएं एक अनुसंधान संस्था, एक साझा-सेवा संस्था, एक परोपकारी फाउंडेशन तथा न्यूजीलैंड में एक खुदरा/थोक संस्था हैं।

च. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के उत्तर में उद्धृत कमियां, अर्थात पीडीएफ पाठ-रूपांतरण संबंधी समस्याएं और असंबद्ध (अनलिंक्ड) एक्सेल स्प्रेडशीट, एक लघु और मध्यम उद्यम के रूप में उसकी आंतरिक प्रशासनिक बाधाओं से उत्पन्न तकनीकी त्रुटियां थीं, और ये असहयोग या महत्वपूर्ण सूचना को रोके रखने की श्रेणी में नहीं आतीं। अनुबंध II के पैरा 5 और 7 के अनुसार, जिस पक्षकार ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य किया है उसकी सूचना की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और उस पक्षकार के विरुद्ध उपलब्ध तथ्यों का दंडात्मक रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसने सद्भावपूर्वक अपनी लेन-देन-स्तर की निर्यात कीमतें, घरेलू बिक्री बीजक और कारखाना लागत अभिलेख प्रस्तुत किए हैं।

छ. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड ने प्रकटन विवरण के उत्तर में अनुरोध किया कि उसने भारत को अपनी निर्यात बिक्री (परिशिष्ट 3क), घरेलू बिक्री (परिशिष्ट 4क) और पीसीएन-वार लागत (परिशिष्ट 8 और 9) की कार्यशील एक्सेल फाइलों, अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ मिलान, और तामील के प्रमाण सहित एक प्रमाणित अगोपनीय रूपांतर के साथ टिप्पणियां दायर की हैं, और यह पुष्टि की है कि भारत, थाईलैंड या अन्यत्र उसकी कोई संबद्ध कंपनी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें अभिलेख पर लिया जाना चाहिए, और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के अधिदेश के अनुसार अंतिम जांच परिणामों से पूर्व उसके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।

सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन

क. श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एसटीजीटी) ने 7 जनवरी, 2026 के अपने प्रश्नावली उत्तर से ही और पुनः 4 तथा 9 सितंबर, 2026 के अपने पत्रों द्वारा अनुरोध किया है कि सामान्य व्यापार क्रम परीक्षण के लिए उसकी लेन-देन-वार उत्पादन लागत का उपयोग किया जाए, जो विनिर्माण लागतों और विचरणों हेतु माह-अंत समायोजनों के पश्चात उसके एसएपी लाभप्रदता विश्लेषण मॉड्यूल (केई24) में दर्ज है। ये अभिलेख परिशिष्ट 4क का और, पीसीएन-वार समेकित रूप में, परिशिष्ट 9 का आधार हैं, और परस्पर मिलान योग्य हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 99 और 100 में यह उल्लेख नहीं है कि लेन-देन-वार लागत को स्वीकार किया गया, समायोजित किया गया या उस पर निर्भर नहीं किया गया। उसके सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को संशोधित किया जाना चाहिए अथवा, यदि नहीं, तो कारण और लागत गणनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और एसटीजीटी को सुना जाना चाहिए; उसकी कारखाना-द्वार निर्यात कीमत और पहुंच कीमत को यथावत रखा जाए, और उसके सत्यापित अभिलेखों के आधार पर शुल्क की व्यक्तिगत दर निर्धारित की जाए।

ख. प्रकटन विवरण में अवशिष्ट मार्जिनों हेतु सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने में प्रयुक्त स्रोतों और कार्यप्रणाली का, अथवा इस बात का कि उत्तरदाताओं की अपनी सूचना के बजाय वे मार्जिन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना क्यों हैं, अनुबंध II के पैरा 7 की अपेक्षा के अनुसार कोई सार्थक अगोपनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ग. भारत में कम कीमत वाले आयात व्यापारियों के माध्यम से वितरित विनिर्देश-से-भिन्न, निम्न श्रेणी के या घटिया उत्पादों के कारण हैं। केवल चिकित्सा-श्रेणी के जांच दस्तानों का निर्यात करने वाले विनिर्माता को ऐसे माल का व्यापार करने वाले असहयोगी व्यापारियों के साथ समूहित करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 द्वारा अपेक्षित उचित तुलना को कमजोर करता है।

आयात आंकड़े

क. 4015 12 00 के अतिरिक्त टैरिफ मद 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30 और 4015 90 99 के अंतर्गत आयातों पर निर्भरता यह दर्शाती है कि गैर-चिकित्सा दस्तानों को शामिल किया गया है, जिससे मलेशिया के लिए ₹1,22,488 प्रति लाख पीस और संबद्ध देशों के लिए ₹1,26,777 प्रति लाख पीस की पहुंच कीमत कम हो जाती है, और पाटन मार्जिन, कीमत कटौती तथा क्षति मार्जिन विकृत हो जाते हैं। आयात आंकड़ों का सत्यापन प्रवेश पत्रों (बिल ऑफ एंट्री) और एडीसी/सीडीएससीओ संदर्भ अभिलेखों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

ख. प्राधिकारी को यह प्रकट करना चाहिए कि पीयूसी से संबंधित घरेलू उद्योग के आंकड़ों को अन्य दस्तानों से संबंधित आंकड़ों से किस प्रकार पृथक किया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

क. घरेलू उद्योग का सबसे खराब कार्य-निष्पादन 2023-24 में था, जब संबद्ध आयात अपने न्यूनतम स्तर पर थे, और पीओआई में उसकी हानियां कम हुईं, जब आयात में लगभग 38% की वृद्धि हुई। आयात की मात्रा, जिसमें निरंतर वृद्धि नहीं हुई, का आकलन कोविड-पश्चात मांग में सुधार (करेक्शन) और घरेलू उत्पादन के हाल ही में आरंभ होने के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

ख. लागत और कीमत के बीच का अंतर घरेलू उद्योग की अपनी बिक्री लागत के दोगुने से अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न हुआ, जबकि 2022-23 के पश्चात पहुंच मूल्यों में केवल एकल अंकों में परिवर्तन हुआ। हानियां नई, ऋण-वित्तपोषित सुविधाओं की आरंभिक स्थिर लागतों, प्रारंभिक उपरिव्ययों, वित्त लागतों, मूल्यह्रास और कर्मचारी लागतों को दर्शाती हैं, जैसा कि वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि. की 2024-25 की निदेशक रिपोर्ट से भी स्पष्ट है; वेतन और मजदूरी 3,923 के सूचकांक तक बढ़ी जबकि उत्पादन 870 पर था। मानकीकरण (नॉर्मेशन) केवल क्षमता उपयोग का समाधान करता है, न कि वित्त लागतों, मूल्यह्रास और कर्मचारी लागतों का, और मानकीकरण संबंधी मान्यताओं को अगोपनीय रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने महामारी-काल की आधार-वर्ष कीमतों के आधार पर निवेश किया। नियमावली के अनुबंध II के पैरा (v) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, ऐसी क्षति को संबद्ध आयातों पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

ग. कीमत कटौती अपने आप में कारणता स्थापित नहीं करती। आयात कीमतों में गिरावट बाजार के महामारी-पश्चात सामान्यीकरण तथा प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स और एनबीआर की कीमतों, भाड़े और अन्य वाणिज्यिक कारकों में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, न कि पाटन को।

घ. भारतीय क्षमता पूर्ण उपयोग की स्थिति में भी मांग का केवल लगभग 38% ही पूरा कर सकती है, अतः आयातों की निरंतर उपस्थिति आपूर्ति का परिणाम है, न कि पाटन का। हार्टालेगा समूह के भारत को निर्यात में गिरावट आई और उनकी कीमत अन्य निर्यातकों की तुलना में अधिक थी, अतः वे क्षति में योगदान नहीं कर सकते थे।

ङ. गैर-आरोपण विश्लेषण में चिकित्सा दस्तानों की गैर-चिकित्सा दस्तानों से तुलना, कीमत कटौती की गणना पीसीएन-वार की गई या नहीं, आयातित कच्चे माल पर शुल्कों के कारण लागत संबंधी हानि, स्थापित विदेशी उत्पादकों की बड़े पैमाने की मितव्ययिता और प्रौद्योगिकी, तथा मांग और कीमतों में महामारी-पश्चात समायोजन की जांच नहीं की गई है, जो यूएस – हॉट-रोल्ड स्टील (डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर) में अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित मानक के प्रतिकूल है। कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ने कहा है कि चिकित्सा दस्तानों की तुलना गैर-चिकित्सा दस्तानों से की जा रही है।

क्षति रहित कीमत

क. एनआईपी में प्रयुक्त नियोजित पूंजी पर 22% की आय का घरेलू उद्योग की वास्तविक आय से कोई संबंध नहीं है, जो 2023-24 में ऋणात्मक थी और पीओआई में केवल आंशिक रूप से सुधरी। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

सार्वजनिक हित

क. चिकित्सा जांच दस्ताने आवश्यक स्वास्थ्य-देखभाल वस्तुएं हैं, जिनकी खपत आवर्ती आधार पर बड़ी मात्रा में होती है। मांग का अधिकांश भाग आयातों से पूरा होता है, और नव-स्थापित घरेलू उद्योग के पास सभी उत्पाद प्रकारों की आपूर्ति हेतु क्षमता, उत्पाद-श्रृंखला और विनिर्देशों का अभाव है।

ख. 2 से 5 अरब दस्तानों पर ₹1.50 प्रति पीस की वृद्धि से स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली पर प्रति वर्ष ₹300–750 करोड़ का भार पड़ेगा, और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादकों पर 70–80% का अवशिष्ट शुल्क आपूर्ति को सीमित करेगा तथा अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और अन्य स्वास्थ्य-देखभाल सुविधाओं पर भार डालेगा। यह निष्कर्ष

कि शुल्कों से कोई महत्वपूर्ण भार नहीं पड़ेगा, लागत-अंश, भार-अंतरण (पास-थ्रू) और समग्र प्रभाव के मात्रात्मक आकलन से रहित है।

ग. भारत प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स की संरचनात्मक कमी का सामना कर रहा है, जिसकी कीमत जनवरी और अक्टूबर 2026 के बीच लगभग 47% बढ़ी; आयातित लेटेक्स पर लगभग 70% शुल्क लगता है; और फारस की खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण एनबीआर की आपूर्ति दबाव में है। मलेशिया और थाईलैंड से आयातों पर शुल्क केवल आयातों को चीन जन. गण. की ओर मोड़ देंगे। आपूर्ति-लचीलेपन संबंधी तर्क का आकलन महामारी की स्थितियों के बजाय वर्तमान स्थितियों में किया जाना चाहिए, और पाटनरोधी उपायों से नव-स्थापित घरेलू उत्पादकों को सामान्य बाजार प्रतिस्पर्धा से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

176. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

प्रस्तावित निर्धारण

क. घरेलू उद्योग पीयूसी के कार्यक्षेत्र, जिसमें यह भी शामिल है कि पीयूसी आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित नहीं है, घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आवेदक की स्थिति, गोपनीयता, मलेशिया से हार्टालेगा समूह, टॉप ग्लव समूह और टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी. तथा थाईलैंड से डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति, और क्षति एवं कारणात्मक संबंध के विश्लेषण संबंधी प्रस्तावित निर्धारणों से सहमत है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

क. घरेलू उद्योग में सीमित संसाधनों वाले एमएसएमई शामिल हैं। संबद्ध आयातों ने उसकी कीमतों में कटौती की और वे 2023-24 तथा पीओआई में उसकी बिक्री लागत और मानकीकृत लागत से भी नीचे थे, अतः कीमत न्यूनीकरण आरंभिक अदक्षताओं के कारण नहीं है। उसकी क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग हो रहा है, उसका बाजार हिस्सा कम है, और उसे हानियों, नकद हानियों और अपर्याप्त आय का सामना करना पड़ा है।

सार्वजनिक हित

क. एमएसएमई को समर्थन देने की आवश्यकता, भारत में बढ़ती मांग, एक आवश्यक स्वास्थ्य-देखभाल उत्पाद के लिए आयातों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता, जैसा कि कोविड-19 के दौरान अनुभव किया गया, भारतीय उत्पादकों द्वारा नियोजित क्षमता विस्तार, संबद्ध देशों में विशाल क्षमताएं, अंतिम उपयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव, और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में है।

शुल्क का स्वरूप और अवधि

क. रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मेट कोक मामले में सीईएसटीएटी के निर्णय द्वारा समर्थित है, पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों के लिए अमेरिकी डॉलर में व्यक्त निश्चित राशि के रूप में अधिरोपित किया जाना चाहिए। संदर्भ-कीमत के रूप में शुल्क आयातकों द्वारा घोषित मूल्य पर निर्भर होगा और बीजक मूल्यों को बढ़ाकर तथा अंतर को क्रेडिट नोटों के माध्यम से वापस करके इसे विफल किया जा सकता है, जो एक वास्तविक जोखिम है जहां कई प्रमुख निर्यातकों के उत्तर अस्वीकार किए गए हैं। आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए यथामूल्य शुल्क उपयुक्त नहीं है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

177. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। जो अनुरोध केवल पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराते हैं, उनकी जांच इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में पहले ही की जा चुकी है और उनकी पुनः जांच नहीं की गई है। शेष मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

178. प्रस्तावित निर्धारणों का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग के अनुरोध, और क्षति, कारणात्मक संबंध तथा सार्वजनिक हित पर उसके अनुरोध, इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में दर्ज निष्कर्षों के अनुरूप हैं और उन्हें नोट किया गया है। शुल्क के स्वरूप और अवधि पर उसके अनुरोधों की जांच नीचे की गई है।

विचाराधीन उत्पाद

179. इस तर्क के संबंध में कि जांच शुरुआत अधिसूचना में पीयूसी को "आईएस 15354 के अनुरूप" दस्तानों के रूप में वर्णित किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर पैरा 4 में पुनः प्रस्तुत जांच शुरुआत अधिसूचना में यह कहा गया था कि चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने "आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित किए जाते हैं", ताकि उन्हें शल्य-चिकित्सा दस्तानों से भिन्न दर्शाया जा सके, जो "अधिक कठोर अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं"। "आईएस 15354 के अनुरूप" शब्द न तो जांच शुरुआत अधिसूचना में और न ही 2 दिसंबर, 2025 की कार्यक्षेत्र अधिसूचना में पीयूसी के विवरण में आते हैं। अतः अनुरोध का आधार तथ्यात्मक रूप से गलत है।

180. इस तर्क के संबंध में कि चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के नियम 7 के अंतर्गत आईएस 15354 के अनुरूप होना अनिवार्य है, और प्राधिकारी को सीडीएससीओ के विचार प्राप्त करने चाहिए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने यह निर्धारित नहीं किया है, और उनसे यह निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं है, कि क्या किसी विशेष दस्ताने का भारत में विधिपूर्वक आयात या बिक्री की जा सकती है। यह प्रश्न चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के अंतर्गत केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में आता है, जैसा कि ऊपर पैरा 12 में दर्ज है। पाटनरोधी जांच का कार्यक्षेत्र भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किए जा रहे उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु द्वारा निर्धारित होता है, न कि अलग-अलग खेपों की विनियामक स्थिति द्वारा। पीयूसी को आईएस 15354 के अनुरूप घोषित दस्तानों तक सीमित करने का अर्थ यह होगा कि जो दस्ताने इसके अनुरूप नहीं हैं, और जो भारतीय बाजार में समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे गैर-अनुरूपता की घोषणा द्वारा उपाय से बचा जा सकेगा। ऐसा दृष्टिकोण अननुपालन को पुरस्कृत करेगा और शुल्क के प्रयोजन को विफल करेगा। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किसी भी प्रकार से चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 अथवा किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं से छूट नहीं देता या उन्हें शिथिल नहीं करता। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

181. पैरा 19 और औद्योगिक, घरेलू, बागवानी तथा सफाई दस्तानों के अपवर्जन के बीच संबंध को स्पष्ट करने, और पीयूसी की पहचान हेतु प्रभावी मानदंडों का उल्लेख करने के हार्टालेगा समूह के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पीयूसी की पहचान उसकी भौतिक और तकनीकी विशेषताओं द्वारा की जाती है, अर्थात प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स, नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ लेटेक्स या उनके मिश्रण से बने एकल-उपयोग, उपयोगोपरांत फेंके जाने वाले जांच दस्ताने, जो 2 दिसंबर, 2025 की कार्यक्षेत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित पीसीएन मापदंडों के अंतर्गत आते हों और किसी अपवर्जित श्रेणी में न आते हों। अपवर्जित औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई दस्ताने, जैसा कि ऊपर पैरा 24 में नोट किया गया है, ऐसे दस्ताने हैं जो अपनी बनावट और भौतिक विशेषताओं के कारण

अधिक मोटे, भारी और टिकाऊपन तथा बार-बार उपयोग के लिए बने होते हैं। पीयूसी की विशेषताओं वाला एकल-उपयोग, उपयोगोपरांत फेंका जाने वाला दस्ताना केवल इस कारण अपवर्जित औद्योगिक दस्ताना नहीं बन जाता कि उसे "औद्योगिक" या "सामान्य-प्रयोजन" दस्ताने के रूप में वर्णित, विपणित या बेचा जाता है, अथवा उसे गैर-चिकित्सा उपयोग में लाया जाता है; इसके विपरीत, जो दस्ताना अपनी विशेषताओं के कारण किसी अपवर्जित श्रेणी का है, वह चिकित्सा परिवेश में उपयोग किए जाने से पीयूसी नहीं बन जाता। अतः हार्टालेगा समूह का यह दावा कि एचएसबी द्वारा उत्पादित दस्ताने पीयूसी से बाहर औद्योगिक/सामान्य-प्रयोजन दस्ताने थे, उन दस्तानों के विनिर्देशों के संदर्भ में स्थापित किया जाना होगा। हार्टालेगा समूह द्वारा इस संबंध में, यहां तक कि अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के साथ भी, कोई उत्पाद विनिर्देश, उत्पादन अभिलेख या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पहलू की आगे "प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति" शीर्ष के अंतर्गत जांच की गई है।

182. प्रकटन विवरण के पैरा 11, 20 और 173 के बीच कथित असंगति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये तीनों पैरा भिन्न-भिन्न प्रश्नों से संबंधित हैं। पैरा 11 बीआईएस के इस स्पष्टीकरण को दर्ज करता है कि लाइसेंस अपने आप में प्रत्येक बैच की अनुरूपता स्थापित नहीं करता; पैरा 20 यह दर्ज करता है कि उस समय अभिलेख पर उपलब्ध प्रयोगशाला रिपोर्टों से यह स्थापित नहीं हुआ कि आयातित दस्ताने एक पृथक उत्पाद हैं; और पैरा 173 घरेलू समान वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में सार्वजनिक हित संबंधी तर्क से संबंधित है। प्राधिकारी ने टिप्पणियों के आलोक में पैरा 173 को संशोधित किया है ताकि प्रकटन विवरण के पश्चात दायर जांच रिपोर्टों पर ध्यान दिया जा सके, जिनकी जांच नीचे की गई है।

183. प्राधिकारी ने आयातकों और उनके संघ द्वारा दायर ट्रस्टिन लेबोरेटरीज की जांच रिपोर्टों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) रिपोर्टें चार बाजार नमूनों से संबंधित हैं, जिनमें से जिन दो नमूनों के आईएस 15354 के कुछ मापदंडों पर विफल रहने का कथन है, वे लैट्राइल ग्लव्स प्रा. लि. और कूवे आईओटी प्रा. लि. द्वारा विनिर्मित दस्तानों के हैं, जो समर्थक उत्पादक हैं और घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं, तथा जिनके आंकड़ों का क्षति विश्लेषण में उपयोग नहीं किया गया है; (ख) नावको इंडस्ट्रीज प्रा. लि. या वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि., जो घरेलू उद्योग का गठन करती हैं और आईएस 15354 के अंतर्गत बीआईएस लाइसेंस धारित करती हैं, द्वारा उत्पादित समान वस्तु के किसी नमूने की जांच नहीं की गई है; (ग) रिपोर्टों में स्वयं कहा गया है कि नमूने प्रयोगशाला द्वारा नहीं लिए गए थे, और नमूनों के स्रोत, बैच और अभिरक्षा-श्रृंखला को स्थापित नहीं किया गया है; (घ) नमूने अक्टूबर 2026 में, पीओआई के अठारह माह से अधिक पश्चात, प्राप्त किए गए और उनकी जांच की गई; और (ङ) यह तथ्य कि आयातित ब्रांडों के दो नमूने जांचे गए मापदंडों पर खरे उतरे, यह स्थापित नहीं करता कि संबद्ध देशों से आयात सामान्यतः आईएस 15354 के अनुरूप हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य भारतीय उत्पादकों के दो नमूनों की विफलता यह स्थापित नहीं करती कि समान वस्तु अनुरूप नहीं है। अतः ये रिपोर्टें, जिन्हें संघ ने विनियामक कार्रवाई हेतु औषध विभाग को भी अग्रेषित किया है, यह स्थापित नहीं करतीं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु आयातित उत्पाद से तुलनीय नहीं है, अथवा दोनों वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। विशेष ब्रांड आईएस 15354 के अनुरूप हैं या नहीं, यह विनियामक प्राधिकारियों का विषय है।

184. पीसीएन मापदंडों के रूप में फॉर्मेट और रंग के संबंध में, न तो इन्हें प्रस्तावित करने वाले निर्यातक ने और न ही घरेलू उद्योग ने एम्बिडेक्सट्रस (दोनों हाथों के लिए उपयुक्त) और एनाटॉमिकल दस्तानों के बीच, अथवा रंगीन और रंगहीन दस्तानों के बीच, लागत में अंतर का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, रंग की लागत विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के 1% से कम है,

जो 5% की सीमा से काफी कम है। तदनुसार, फॉर्मेट और रंग को पीसीएन पद्धति में मापदंडों के रूप में नहीं अपनाया गया है।

घरेलू उद्योग और आवेदक की स्थिति

185. प्राधिकारी हार्टालेगा समूह से सहमत हैं कि नियम 2(ख) और नियम 5(3) भिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं, और ऊपर पैरा 49 में दोनों की पृथक रूप से जांच की गई है। नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्धारण अन्य उत्पादकों के समर्थन पर आधारित नहीं है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आवेदक कंपनियां समान उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अतिरिक्त, उनका चयन भिन्न कार्य-निष्पादन वाले उत्पादकों को बाहर रखने हेतु नहीं किया गया था, अन्य सभी पहचाने गए भारतीय उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है, और आवेदकों की क्षति संबंधी सूचना का सत्यापन किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह संकेत मिले कि अन्य भारतीय उत्पादकों का कार्य-निष्पादन आवेदकों से भिन्न था, जो पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 के अंतर्गत प्रासंगिक चिंता है, जैसा कि ईसी – फास्टनर्स (चीन) में अपीलीय निकाय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

186. एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लि. के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पैरा 40 में यह टिप्पणी कि एलेस्को ने "क्षमताएं स्थापित की हैं", उसे एक नए उत्पादक के रूप में वर्णित करती है। पीओआई के दौरान पीयूसी का उसका उत्पादन, *** लाख पीस, उसके द्वारा आवेदन के समर्थन में लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि पैरा 47 की तालिका में दर्शाया गया है, और उसे उसी आधार पर भारतीय उत्पादन में शामिल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लि. के उत्पादन को बाहर भी कर दिया जाए, तो भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों का हिस्सा बढ़कर ***% (सीमा 25-35%) हो जाएगा, और नियम 2(ख) तथा 5(3) के अंतर्गत निर्धारण प्रभावित नहीं होंगे।

आयातक प्रश्नावली

187. एमआरके हेल्थकेयर प्रा. लि. और कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के इस तर्क के संबंध में कि आयातकों को आयातक प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली ऊपर पैरा 3.6(i) में सूचीबद्ध ज्ञात आयातकों को उपलब्ध पतों पर भेजी गई थी, और राजपत्र तथा प्राधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित जांच शुरुआत अधिसूचना ने आयातकों और उपयोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में प्रश्नावली उत्तर दायर करने के लिए आमंत्रित किया था। एमआरके हेल्थकेयर प्रा. लि. और कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. सहित छह आयातकों/उपयोक्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण कराया और आयातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए, जैसा कि ऊपर पैरा 3.6(ii) में दर्ज है। अतः यह तर्क कि आयातकों को सहयोग करने से रोका गया, अभिलेख के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त, आयातों की मात्रा और कीमत का निर्धारण सभी आयातों को शामिल करने वाले डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है, न कि अलग-अलग आयातकों के उत्तरों के आधार पर।

प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति

188. प्राधिकारी ने हार्टालेगा समूह की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकारी आरंभ में ही नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 6 के अनुसार, हार्टालेगा समूह को उसके उत्तर की कमियों और आवश्यक सूचना प्रस्तुत न करने के परिणामों के बारे में प्राधिकारी के 27 जुलाई, 2026 के पत्र और 18 अगस्त, 2026 तथा 14 सितंबर, 2026 के पत्रों सहित पश्चातवर्ती संसूचनाओं द्वारा सूचित किया गया था, जिनका समूह ने क्रमशः 3

अगस्त, 2026, 19 अगस्त, 2026 और 21 सितंबर, 2026 को उत्तर दिया। तत्पश्चात प्रकटन विवरण के पैरा 64 से 72 में प्रत्येक कमी और उन कारणों को निर्धारित किया गया जिनके लिए उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां अनुबंध II के पैरा 6 में परिकल्पित अतिरिक्त अवसर थीं। तथापि, यद्यपि टिप्पणियों में एमयूएन ग्लोबल के माध्यम से घरेलू बिक्री के मिलान और एमयूएन हेल्थ के परिशिष्ट 15 और 16 के लेन-देन-वार मिलान पर "प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने का अनुरोध" किया गया है, टिप्पणियों के साथ ऐसा कोई मिलान, माल-सूची अभिलेख, बिक्री रजिस्टर, बकाया प्राप्य राशियों का बीजक-वार विवरण या ऋण शर्तों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकटन विवरण में चिह्नित कमियां दूर नहीं हुई हैं। पाटनरोधी करार के नियम 10 और अनुच्छेद 2.3 पर आधारित तर्क के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि उत्तर की अस्वीकृति ऊपर पैरा 64 से 71 में दर्ज कमियों के संचयी प्रभाव पर आधारित है, विशेष रूप से उस घरेलू बिक्री का निर्धारण करने में असमर्थता जिस पर सामान्य मूल्य निर्भर करता है, संबंधित आयातक के असंगत आंकड़े, और संबंधित पक्षकार के बड़ी संख्या में उन निर्यात लेन-देनों को नियंत्रित करने वाली भुगतान और ऋण शर्तों का अभाव जिनका भुगतान नहीं हुआ। संबंधित संस्थाओं के संबंध में, प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि हार्टालेगा एनएसएम एसडीएन. बीएचडी. निष्क्रिय थी, और वे अपना निर्धारण उस संस्था पर आधारित नहीं करते। यह कथन कि एचएसबी को 2023 के अंत में बंद (डीकमीशन) कर दिया गया था और उसने जनवरी से दिसंबर 2023 तक अपनी माल-सूची एमयूएन हेल्थ को बेची, किसी भी दस्तावेज, जैसे बंद किए जाने संबंधी अभिलेख, उत्पाद विनिर्देश अथवा माल-सूची और बिक्री अभिलेख, द्वारा समर्थित नहीं है। यह अभिलेख पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों के अनुरूप भी नहीं है, जिनमें 2024 और 2025 के लिए एचएसबी का प्रमुख कार्यकलाप लेटेक्स दस्तानों का विनिर्माण दर्शाया गया है और यह दर्ज है कि उसका प्रचालन केवल वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बंद हुआ।

189. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी यह पाते हैं कि हार्टालेगा समूह ने बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की, और प्रस्तुत सूचना व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु सत्यापन योग्य या उपयोग योग्य नहीं है। अतः प्राधिकारी ऊपर पैरा 72 के निर्धारण की पुष्टि करते हैं, और हार्टालेगा समूह का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

190. टॉप ग्लव समूह ने प्रकटन विवरण पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। समूह अपने संबंधित उत्पादक, जीएमपी मेडिकेयर एसडीएन. बीएचडी., की घरेलू बिक्री और उत्पादन लागत प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिनके बिना समूह के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

191. प्राधिकारी ने डॉ. बू की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकारी आरंभ में ही नोट करते हैं कि जिन कमियों के कारण डॉ. बू के उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सका, जैसा कि ऊपर पैरा 103 से 110 में दर्ज है, वे पाठ के पीडीएफ में रूपांतरण या असंबद्ध स्प्रेडशीट तक सीमित नहीं हैं। वे ये हैं कि (क) प्रश्नावली के महत्वपूर्ण भागों, अर्थात भाग I, खंड C; भाग II, खंड D और E; भाग III, खंड F, G और I; तथा भाग IV, खंड J, का उत्तर नहीं दिया गया था; (ख) भारत को निर्यात बिक्री पीसीएन-वार सूचित नहीं की गई थी, और उत्तर में उल्लिखित भारत को 49 निर्यात लेन-देनों में से केवल 5 का विवरण प्रस्तुत किया गया था; (ग) घरेलू बिक्री की सूची में ग्राहकों के नाम, उनके संबंध, सुपुर्दगी और भुगतान की शर्तें, सकल और निवल बीजक मूल्य, अथवा कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु आवश्यक कोई भी समायोजन शामिल नहीं था; (घ) उत्पादन लागत पीसीएन-वार अथवा निर्धारित परिशिष्टों में प्रस्तुत नहीं की गई थी; और (ङ) प्राधिकारी की 7 नवंबर, 2025 की संसूचना और घरेलू उद्योग के 27 फरवरी, 2026 के ई-मेल के बावजूद उत्तर का कोई अगोपनीय रूपांतर अभिलेख

पर नहीं रखा गया या अन्य हितबद्ध पक्षकारों को तामील नहीं किया गया। ये कमियां सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों के निर्धारण हेतु आवश्यक मूल सूचना से संबंधित हैं; ये सारभूत कमियां हैं, न कि तकनीकी त्रुटियां। डॉ. बू ने अपनी टिप्पणियों में इनमें से किसी भी तथ्यात्मक निष्कर्ष का खंडन नहीं किया है।

192. टिप्पणियों के साथ संलग्न बताए गए एक्सेल परिशिष्टों, मिलान विवरणों और अगोपनीय रूपांतर के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है।

193. पाटनरोधी करार के अनुबंध II का पैरा 1 प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना और उसके संरचित किए जाने के तरीके को विनिर्दिष्ट करने की अनुमति देता है, और पैरा 3 प्राधिकारी से उस सूचना को ध्यान में रखने की अपेक्षा करता है जो सत्यापन योग्य हो, जो उचित रूप से प्रस्तुत की गई हो ताकि उसका बिना अनुचित कठिनाई के उपयोग किया जा सके, और जो समय पर प्रस्तुत की गई हो। यूएस – हॉट-रोल्ड स्टील (डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर) में अपीलीय निकाय ने अभिनिर्धारित किया है कि सूचना उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई है या नहीं, इसका आकलन अन्य बातों के साथ-साथ सूचना की प्रकृति और मात्रा, पक्षकार के समक्ष आई कठिनाइयों, सूचना की सत्यापनीयता, क्या अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और क्या उसकी स्वीकृति से प्राधिकारी की जांच को शीघ्रता से संचालित करने की क्षमता प्रभावित होगी, को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। ये सभी विचार प्रकटन-पश्चात चरण पर बिक्री और लागत परिशिष्टों के पूर्ण समुच्चय को स्वीकार करने के विरुद्ध हैं। अतः इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने और उनके आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित करने का डॉ. बू का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

194. इसके अतिरिक्त, अनुबंध II के पैरा 6 के अनुसार डॉ. बू को 5 मई, 2026 के ई-मेल द्वारा विशिष्ट कमियों के बारे में सूचित किया गया था। उसके 13 मई, 2026 के उत्तर में अनुपलब्ध खंडों के बिना वही उत्तर पुनः प्रस्तुत किया गया, और कमियों को दूर करने हेतु आगे कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। डॉ. बू द्वारा किसी भी चरण पर समय-विस्तार या सहायता हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.13 में परिकल्पित रूप से पक्षकार के आकार को समुचित रूप से ध्यान में रखा है। तथापि, अनुपलब्ध सूचना, जैसे भारत को निर्यात लेन-देनों की पूर्ण सूची, घरेलू बिक्री की बिक्री शर्तें और समायोजन, तथा प्रश्नावली के वर्णनात्मक खंडों के उत्तर, स्वयं डॉ. बू के अभिलेखों और जानकारी में थे, जो स्वयं को 1988 से व्यवसाय में बताती है, और उसका प्रस्तुतीकरण किसी विशेषीकृत व्यापार-उपचार व्यवस्था पर निर्भर नहीं था। इन परिस्थितियों में डॉ. बू को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, डॉ. बू का यह कथन कि उसके कारखाना लागत अभिलेखों का सत्यापन किया गया था, सही नहीं है; जैसा कि ऊपर पैरा 3.9(iv) में दर्ज है, सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना डॉ. बू द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी, और उसकी सूचना का कोई सत्यापन नहीं किया जा सका।

195. अनुबंध II के पैरा 7 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.10 सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक ज्ञात उत्पादक/निर्यातक के लिए व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण का प्रावधान करता है, किंतु ऐसा निर्धारण यह पूर्वमान्य करता है कि उत्पादक/निर्यातक ने उस प्रयोजन हेतु आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है; जहां उसने ऐसा नहीं किया है, वहां अनुच्छेद 6.8 और अनुबंध II उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण की अनुमति देते हैं। अवशिष्ट मार्जिन अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि नीचे "अवशिष्ट मार्जिन" शीर्ष के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, और यह एसटीजीटी के अतिरिक्त थाईलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर समान रूप से लागू होता है। अनुबंध II का पैरा 7 स्वयं यह मान्यता देता है कि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और उसके द्वारा प्रासंगिक सूचना रोकी जाती है, वहां परिणाम उस

पक्षकार के लिए उस स्थिति से कम अनुकूल हो सकता है जब उसने सहयोग किया होता। डॉ. बू की असंबद्धता के संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं, जैसा कि ऊपर पैरा 109(ख) में दर्ज है, कि उसके उत्तर की अस्वीकृति संबद्ध कंपनियों के किसी अप्रकटन पर आधारित नहीं है।

सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन

196. श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड: प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार क्रम परीक्षण हेतु अपनी लेन-देन-वार उत्पादन लागत के उपयोग के एसटीजीटी के अनुरोध की जांच की है। अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के साथ पठित पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1 प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा करता है कि क्या घरेलू बिक्री प्रति इकाई (स्थिर और परिवर्तनीय) उत्पादन लागत तथा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों से कम कीमतों पर की गई है, और क्या ऐसी बिक्री विस्तारित अवधि के भीतर, पर्याप्त मात्रा में और ऐसी कीमतों पर की गई है जो उचित अवधि के भीतर सभी लागतों की वसूली का प्रावधान नहीं करतीं। अनुच्छेद 2.2.1 यह भी प्रावधान करता है कि यदि बिक्री के समय प्रति इकाई लागत से कम कीमतें जांच की अवधि हेतु भारित औसत प्रति इकाई लागत से अधिक हैं, तो ऐसी कीमतों को उचित अवधि के भीतर लागतों की वसूली का प्रावधान करने वाला माना जाएगा। इस प्रकार परीक्षण का मानदंड जांच की अवधि हेतु भारित औसत प्रति इकाई लागत है। इस प्रावधान और अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार, प्राधिकारी ने एसटीजीटी द्वारा परिशिष्ट 9 में सूचित और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित पीओआई हेतु प्रत्येक पीसीएन की भारित औसत उत्पादन लागत के संदर्भ में पीसीएन-वार परीक्षण किया है।

197. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, जैसा कि एसटीजीटी ने अपने 4 सितंबर, 2026 के पत्र में स्पष्ट किया है, केई24 में प्रत्येक बिक्री लेन-देन के सापेक्ष दर्ज लागत, विनिर्माण लागतों और विचरणों हेतु माह-अंत समायोजनों के पश्चात, बिक्री की बुकिंग के समय निर्दिष्ट लागत है। ऐसी लागतें एक ही पीसीएन के लिए बिक्री के माह और अवधि-अंत विचरणों के आवंटन के आधार पर लेन-देन-दर-लेन-देन भिन्न होती हैं, और उस पीसीएन के उत्पादन की लागत का कोई भिन्न माप नहीं दर्शातीं। जैसा कि एसटीजीटी ने स्वयं कहा है, परिशिष्ट 4क और परिशिष्ट 9 समान अभिलेखों से लिए गए हैं और परस्पर मिलान योग्य हैं, अतः प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन-वार भारित औसत लागत पीओआई की उन्हीं लागतों को समाहित करती है, साथ ही लागत आवंटन के समय से उत्पन्न उतार-चढ़ाव को समाप्त करती है। अतः एसटीजीटी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता। लेन-देन-वार लागत न अपनाने के कारण यहां दर्ज किए गए हैं, और निर्यातक-विशिष्ट सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और मार्जिन प्रकटन विवरण के साथ एसटीजीटी को प्रकट किए गए थे, जिन पर एसटीजीटी ने टिप्पणी की है। एसटीजीटी का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन प्रकट किए गए अनुसार ही रहता है, और एसटीजीटी हेतु व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित किया गया है।

198. अवशिष्ट मार्जिन: अवशिष्ट मार्जिनों के आधार के अगोपनीय स्पष्टीकरण के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि नियम 6(8) और पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 7 के अनुसार, अवशिष्ट सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की सूचना और डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों हेतु अवशिष्ट पाटन मार्जिन निकाला है। यह नोट किया जाता है कि अवशिष्ट मार्जिन उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर समान रूप से लागू होते हैं जिनके लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित नहीं किए जा सके, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर अधिक सटीक अवशिष्ट मार्जिन निर्धारित किया जा सके।

199. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 पर आधारित तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुच्छेद 2.4 संबंधित उत्पादक/निर्यातक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उचित तुलना को नियंत्रित करता है, और अवशिष्ट मार्जिन के निर्धारण से इसका कोई संबंध नहीं है। यह दावा कि कम कीमत वाले आयात व्यापारियों के माध्यम से बेचे गए विनिर्देश-से-भिन्न या घटिया दस्तानों के हैं, किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। तुलनाएं अधिसूचित पीसीएन के आधार पर की गई हैं, और स्वयं डॉ. बू की निर्यात कीमतें स्थापित नहीं की जा सकीं।

आयात आंकड़े

200. इस तर्क के संबंध में कि आयात आंकड़ों में गैर-चिकित्सा दस्ताने शामिल हैं क्योंकि 4015 12 00 के अतिरिक्त अन्य टैरिफ मदों के अंतर्गत लेन-देनों पर विचार किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, जैसा कि ऊपर पैरा 123 में दर्ज है, डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच पीयूसी के अंतिम कार्यक्षेत्र के संदर्भ में की गई है। टैरिफ मद 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30 और 4015 90 99 के अंतर्गत लेन-देनों को केवल वहीं शामिल किया गया है जहां माल के विवरण से वे पीयूसी दर्शाते थे, और शल्य-चिकित्सा, औद्योगिक, घरेलू, विनाइल, क्लोरीनेटेड, नियोप्रीन और अन्य अपवर्जित दस्तानों के आयातों को, चाहे वे किसी भी टैरिफ मद के अंतर्गत घोषित किए गए हों, बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जिन पर उनके शुल्क आधारित हैं, उनके अपने सत्यापित पीसीएन-वार निर्यात लेन-देनों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों की संरचना से प्रभावित नहीं होते। विशेष आयातकों की आयात कीमतें, जो डीजी सिस्टम्स आंकड़ों का भाग हैं, अपने आप में संपूर्ण पीयूसी की आयात कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं।

201. घरेलू उद्योग के आंकड़ों के पृथक्करण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों ने निर्धारित प्रोफार्मा में पीयूसी संबंधी सूचना पृथक रूप से प्रस्तुत की है, और पीयूसी से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता संबंधी सूचना का उनके अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापन किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण ऐसे सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पीसीएन-वार किया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

202. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति 2023-24 में सर्वाधिक गंभीर थी, जब संबद्ध आयात अपने न्यूनतम स्तर पर थे, और पीओआई में कम हुई जब आयात में वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2023-24 वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि. के प्रचालन का पहला वर्ष था, जिसमें घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता दोगुने से अधिक हो गई और उसका क्षमता उपयोग केवल ***% था। उस वर्ष में वास्तविक बिक्री लागत में वृद्धि एक नए संयंत्र के आरंभ को दर्शाती है। इसी कारण से प्राधिकारी ने मानकीकृत लागत की भी जांच की है, जो कम क्षमता उपयोग के प्रभाव को निष्प्रभावी करती है: 2023-24 में ₹*** प्रति लाख पीस और पीओआई में ₹*** प्रति लाख पीस की मानकीकृत लागत भी क्रमशः ₹*** और ₹*** प्रति लाख पीस की निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक थी, जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, ₹1,30,519 और ₹1,26,777 प्रति लाख पीस, दोनों से काफी नीचे रही। 2023-24 में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट उस वर्ष मांग में गिरावट के साथ हुई, और मांग में उनका हिस्सा 83% बना रहा। पीओआई में संबद्ध आयातों की मात्रा में लगभग 38% की वृद्धि हुई और उनकी पहुंच कीमत में और गिरावट आई। पीओआई में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में आंशिक सुधार उसके उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिर लागतों के अधिक अवशोषण के कारण है, और घरेलू उद्योग को हानियां और नकद हानियां होती रहीं। वर्तमान मामले में क्षति मुख्यतः पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के माध्यम से होती है, और कारणात्मक संबंध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्षति संकेतक प्रत्येक वर्ष आयात मात्रा के साथ समान दिशा में चले।

203. इस तर्क के संबंध में कि हानियां ऋण-वित्तपोषित विस्तार से उत्पन्न वित्त लागतों, मूल्यह्रास और कर्मचारी लागतों के कारण हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्याज और कर पूर्व लाभ, जो वित्त लागतों से पूर्व है, 2023-24 में ₹(-)*** प्रति लाख पीस पर ऋणात्मक था और पीओआई में केवल ₹*** प्रति लाख पीस, अर्थात निवल बिक्री प्राप्ति का लगभग ***%, था; और नकद लाभ, जो मूल्यह्रास से पूर्व है, 2023-24 और पीओआई दोनों में ऋणात्मक था। अतः घरेलू उद्योग की वित्त लागतें और मूल्यह्रास उचित आय अर्जित करने में उसकी असमर्थता को स्पष्ट नहीं कर सकते। कर्मचारी लागतों के संबंध में, दूसरे संयंत्र के आरंभ होने के साथ कर्मचारियों की संख्या *** से बढ़कर *** (2022-23 में सूचकांक 100 से पीओआई में 680) हो गई, और पीओआई में प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2022-23 की तुलना में अधिक थी। किसी भी स्थिति में, वेतन और मजदूरी, वित्त लागतें और मूल्यह्रास स्थिर लागतें हैं, जिनका उत्पादन के इष्टतम स्तर पर मानकीकरण किया गया है; मानकीकृत लागत पर भी, 2023-24 और पीओआई में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति लागत से कम थी, जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत दोनों से नीचे रही।

204. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने महामारी-काल की कीमतों के आधार पर निवेश किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2022-23 में, महामारी वर्ष के पश्चात, संबद्ध आयातों की ₹1,38,022 प्रति लाख पीस की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की ₹*** प्रति लाख पीस की बिक्री लागत से अधिक थी, और घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया। पहुंच कीमत में उसके पश्चात घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से नीचे के स्तर तक आई गिरावट ने ही क्षति कारित की।

205. इस तर्क के संबंध में कि कीमत कटौती अपने आप में कारणता स्थापित नहीं करती, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनका निर्धारण केवल कीमत कटौती पर आधारित नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, जिसमें मानकीकृत लागत भी शामिल है, से कम कीमत वाले संबद्ध आयातों द्वारा कारित कीमत न्यूनीकरण पर भी आधारित है (ऊपर पैरा 131)। पीओआई में, जब 2023-24 की तुलना में मांग में वृद्धि हुई, पहुंच कीमत में गिरावट जारी रही, और यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि भाड़ा या अन्य वाणिज्यिक कारक इस गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं; अतः इसे महामारी-पश्चात सामान्यीकरण पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

206. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, प्राधिकारी ने ऊपर पैरा 170 में पहले ही नोट किया है कि एक अवशिष्ट अंतर बने रहने की संभावना है और वह आयातों के माध्यम से पूरा होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क आयातों की मात्रा को प्रतिबंधित नहीं करता; यह केवल उस कीमत का समाधान करता है जिस पर वे किए जाते हैं। मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व निर्यातकों को पाटित कीमतों पर बेचने का अधिकार नहीं देता, और यह स्पष्ट नहीं करता कि अपनी क्षमता के ***% (सीमा 25-35%) पर प्रचालन कर रहा घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतों पर अधिक क्यों नहीं बेच सका।

207. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध आयातों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता स्थापित उत्पादकों की बड़े पैमाने की मितव्ययिता और प्रौद्योगिकी को दर्शाती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों का कोई भी लागत लाभ उनकी अपनी उत्पादन लागत और घरेलू कीमतों में, और इस प्रकार सामान्य मूल्य में, परिलक्षित होता है। ऐसी लागतों और कीमतों को ध्यान में रखने के पश्चात ही पाटन मार्जिन पाए गए हैं। केवल दक्षता के कारण कम कीमतों से पाटन नहीं होगा। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत, जिसमें आयातित प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स या नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ पर कोई सीमा शुल्क या अन्य शुल्क शामिल हैं, एक ऐसी विशेषता है जो संपूर्ण क्षति अवधि में विद्यमान रही है और घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत में परिलक्षित है, जिसकी वास्तविक और

मानकीकृत आधार पर जांच की गई है। जनवरी और अक्टूबर 2026 के बीच लेटेक्स की कीमतों में वृद्धि पीओआई से काफी पश्चात की अवधि से संबंधित है और पीओआई के दौरान हुई क्षति पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण पीओआई के दौरान अपना उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ था; उसका क्षमता उपयोग इसलिए कम था क्योंकि वह लाभकारी कीमतों पर अधिक नहीं बेच सका।

208. हितबद्ध पक्षकार(रों) के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी यह पुष्टि करें कि क्या कीमत कटौती का निर्धारण पीसीएन-से-पीसीएन आधार पर किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, जैसा कि ऊपर पैरा 128 में कहा गया है, प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में कीमत कटौती का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद हेतु डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों से व्युत्पन्न आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से तुलना करके किया गया है। प्राधिकारी ने पीसीएन-वार तुलना करने की दृष्टि से आयात आंकड़ों की जांच की। तथापि, बड़ी संख्या में आयात लेन-देनों में माल के विवरण में पर्याप्त ब्योरे नहीं थे जिससे उन लेन-देनों को वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके। अतः ऐसे लेन-देनों को विशेष पीसीएन में निर्दिष्ट करना अनुमानात्मक होता और उससे कोई विश्वसनीय या प्रतिनिधि परिणाम प्राप्त नहीं होता। इन परिस्थितियों में, संबद्ध आयात मात्राओं द्वारा भारित पीसीएन-वार आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं था, और तदनुसार प्राधिकारी ने समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के स्तर पर तुलना की है।

209. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.2 और न ही पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध II कीमत कटौती विश्लेषण हेतु कोई विशेष पद्धति निर्धारित करता है, जिसके लिए प्राधिकारी से यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग के समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।

210. अतः प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के आधार पर निर्धारित कीमत कटौती सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ जांच है।

211. क्षति मार्जिन, जो शुल्क का आधार हैं, का निर्धारण पीसीएन-वार क्षति रहित कीमत की संगत पीसीएन की पहुंच कीमत से तुलना करके किया गया है। कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के इस कथन के संबंध में कि चिकित्सा दस्तानों की तुलना गैर-चिकित्सा दस्तानों से की जा रही है, घरेलू उद्योग की सूचना केवल पीयूसी से संबंधित है, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है।

212. हार्टालेगा समूह के इस अनुरोध के संबंध में कि उसके निर्यात में गिरावट आई और उनकी कीमत अन्य निर्यातकों की तुलना में अधिक थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन किया गया है, क्योंकि ऊपर पैरा 120 में संचयी मूल्यांकन की शर्तें पूरी पाई गई हैं। संचयन इस मान्यता पर आधारित है कि घरेलू उद्योग समग्र रूप से पाटित आयातों के प्रभाव का सामना करता है, और एक बार इसकी शर्तें पूरी हो जाने पर, पाटनरोधी करार प्रत्येक देश के, और प्रत्येक निर्यातक के तो और भी कम, क्षति में योगदान के पृथक प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करता, जैसा कि ईसी – ट्यूब ऑर पाइप फिटिंग्स (डब्ल्यूटी/डीएस219/एबी/आर) में अपीलीय निकाय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हार्टालेगा समूह की निर्यात कीमतें स्वयं उन सूचनाओं में से हैं जिनका ऊपर दर्ज कारणों से सत्यापन नहीं किया जा सका।

213. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी. और डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के अनुरोधों सहित गैर-आरोपण पर शेष अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रत्येक ज्ञात कारक, अर्थात

घरेलू उद्योग की प्रारंभिक अवस्था और उसकी आरंभिक लागतें, वित्त लागतें और मूल्यह्रास, मांग का महामारी-पश्चात सामान्यीकरण, कच्चे माल की लागतें, विदेशी उत्पादकों की बड़े पैमाने की मितव्ययिता, और मांग-आपूर्ति अंतर, की ऊपर और पैरा 152 से 161 में जांच की गई है, और उनके प्रभावों को पाटित आयातों के प्रभावों से पृथक और विभेदित किया गया है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इनमें से कोई भी कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को भंग नहीं करता।

क्षति रहित कीमत

214. क्षति रहित कीमत की गणना हेतु नियोजित पूंजी पर 22% आय की पद्धति पर विचार करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का अनुबंध III नियोजित पूंजी पर उचित आय (कर-पूर्व) का उल्लेख करता है और नियोजित पूंजी पर उचित आय, जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निर्धारित करना प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति है। वर्तमान मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वर्तमान मामले में 22% से कम आय उपयुक्त होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि माननीय सीईएसटीएटी ने मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और पर्स्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामलों में नियोजित पूंजी पर 22% आय लागू करने की प्राधिकारी की पद्धति को बरकरार रखा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि न तो नियमावली का अनुबंध III और न ही प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति यह अपेक्षा करती है कि आय की दर संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ऐतिहासिक आय से व्युत्पन्न की जाए, और उक्त दर सभी जांचों में एकरूपता से लागू की गई है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु औसत नियोजित पूंजी पर 22% की आय अपनाना उचित पाते हैं।

सार्वजनिक हित

215. शुल्क के प्रभाव के मात्रात्मक आकलन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे संस्तुत शुल्क 2.88 अमेरिकी डॉलर से 5.65 अमेरिकी डॉलर प्रति 1,000 पीस के बीच हैं, अर्थात इन जांच परिणामों में अपनाई गई विनिमय दर पर लगभग ₹0.25 और ₹0.48 प्रति पीस के बीच, अथवा लगभग ₹0.49 और ₹0.97 प्रति जोड़ी के बीच। इस प्रकार आयातकों और उनके संघ की ₹1.50 प्रति पीस की वृद्धि की मान्यता वास्तविक शुल्क का लगभग तीन से छह गुना है। यदि संस्तुत उच्चतम शुल्क को पीओआई में 42,106 लाख पीस के संबद्ध आयातों की संपूर्ण मात्रा पर लागू भी किया जाए, तो समग्र शुल्क लगभग ₹200 करोड़ होगा, जो एक ऊपरी सीमा है, न कि दावा किए गए ₹300–750 करोड़, क्योंकि एसटीजीटी, वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी. हेतु शुल्क और थाईलैंड हेतु अवशिष्ट दर कम हैं, अन्य देशों से आयातों और घरेलू आपूर्तियों पर शुल्क नहीं लगता, और यह आवश्यक नहीं कि शुल्क का भार पूर्णतः आगे अंतरित किया जाए। चिकित्सा जांच दस्ताने कम मूल्य की उपभोज्य वस्तु हैं, जिनकी लागत उस किसी भी स्वास्थ्य-देखभाल सेवा की लागत का बहुत छोटा भाग है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। अतः अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और रोगियों पर शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, और पाटन से हुई क्षति को समाप्त करने तथा एक आवश्यक स्वास्थ्य-देखभाल उत्पाद के घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के सार्वजनिक हित की तुलना में यह कम महत्वपूर्ण है।

216. डॉ. बू के इस तर्क के संबंध में कि चिकित्सा जांच दस्तानों पर 70–80% का अवशिष्ट शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 70–80% की सीमा थाईलैंड हेतु अवशिष्ट पाटन मार्जिन की है, न कि शुल्क की। कमतर शुल्क नियम के अनुसार, संस्तुत शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, वह है। डॉ. बू सहित एसटीजीटी के अतिरिक्त थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों हेतु संस्तुत शुल्क 4.86 अमेरिकी डॉलर प्रति

1,000 पीस है, जो अवशिष्ट क्षति मार्जिन के अनुरूप है, जो पहुंच कीमत के 20–30% की सीमा में है, और इन जांच परिणामों में अपनाई गई विनिमय दर पर लगभग ₹0.42 प्रति पीस है। उपयोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव की जांच पूर्ववर्ती पैरा में की गई है और यह महत्वपूर्ण नहीं है। घरेलू उद्योग की क्षमता के संबंध में, प्राधिकारी ने ऊपर पैरा 170 में नोट किया है कि अवशिष्ट मांग-आपूर्ति अंतर आयातों के माध्यम से पूरा होता रहेगा, जिन्हें शुल्क प्रतिबंधित नहीं करता। शुल्क का आशय घरेलू उद्योग को उचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना नहीं है; यह केवल वर्तमान जांच में स्थापित क्षतिकारी पाटन का समाधान करता है, और अपाटित कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु स्वतंत्र रहते हैं।

217. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क से आयात चीन जन. गण. की ओर मुड़ जाएंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों, जिनमें चीन जन. गण. शामिल है, से आयातों का पीओआई में मांग में लगभग 10% हिस्सा था, और यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ऐसे आयात संबद्ध देशों की कीमतों से कम कीमतों पर या पाटित कीमतों पर किए गए थे। भविष्य में व्यापार विपथन की संभावना अनुमानात्मक है और स्थापित पाटन के विरुद्ध राहत से इनकार का आधार नहीं है। आपूर्ति-लचीलेपन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर पैरा 171 में उनकी टिप्पणी महामारी की स्थितियों की पुनरावृत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि एक आवश्यक उत्पाद हेतु आयातों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम पर आधारित है, जो वहां प्रासंगिक बना रहता है जहां संबद्ध आयात मांग का लगभग 81% हैं।

218. प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स और एनबीआर की आपूर्ति और कीमत के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस लेटेक्स कीमत वृद्धि और एनबीआर आपूर्ति में व्यवधान पर निर्भरता व्यक्त की गई है, वे पीओआई के पश्चात 2026 से संबंधित हैं। यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शुल्क, जो केवल संबद्ध माल पर लागू होता है और उनके आयातों की मात्रा को प्रतिबंधित नहीं करता, भारत में कच्चे माल अथवा चिकित्सा जांच दस्तानों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा।

शुल्क का स्वरूप और अवधि

219. प्राधिकारी ने शुल्क के स्वरूप के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर विचार किया है। मामले के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अमेरिकी डॉलर में व्यक्त शुल्क की निश्चित राशि वर्तमान मामले में शुल्क का उपयुक्त स्वरूप होगी। प्राधिकारी पांच वर्षों की अवधि हेतु शुल्क की संस्तुति करना भी उचित मानते हैं।

ञ. निष्कर्ष

220. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों, तथा इन अंतिम जांच परिणामों में दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ लेटेक्स, प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स अथवा उनके मिश्रण से बने "चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने" हैं, जैसा कि 2 दिसंबर, 2025 की कार्यक्षेत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। शल्य-चिकित्सा दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई जैसे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने, और नियोप्रीन अथवा किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने अपवर्जित हैं। विचाराधीन उत्पाद आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित नहीं है, और पाउडरयुक्त

दस्तानों, उच्च श्रेणी के पाउडर-रहित एनबीआर दस्तानों और मिश्रित दस्तानों के अपवर्जन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं।

ग. आवेदक कंपनियां, मैसर्स नावको इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मैसर्स वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि., भारतीय उत्पादन के ***% (सीमा 25-35%) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्रमुख अनुपात है, और नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करती हैं। आवेदन को अन्य सभी पहचाने गए भारतीय उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है और यह नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया, और श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड, के प्रश्नावली उत्तर स्वीकार किए गए हैं, और उनके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं। वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी. के मेडलाइन इंटरनेशनल बी.वी. के माध्यम से किए गए निर्यातों पर उसके व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने में विचार नहीं किया गया है।

ङ. मलेशिया से हार्टालेगा समूह, टॉप ग्लव समूह और टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी., तथा थाईलैंड से डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तरों पर, इन जांच परिणामों में दर्ज कारणों से, निर्भर नहीं किया जा सका, और उनके मार्जिन, असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मार्जिनों के साथ, नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

च. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया गया है, और पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा महत्वपूर्ण हैं।

छ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन की शर्तें पूरी होती हैं।

ज. पीओआई में संबद्ध आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में महत्वपूर्ण बनी रही। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की और वे उसकी बिक्री लागत, जिसमें उसकी मानकीकृत लागत भी शामिल है, से नीचे थे, जिससे उसकी कीमतों का न्यूनीकरण हुआ।

झ. प्रारंभिक अवस्था में स्थित घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। देश में उल्लेखनीय मांग के बावजूद, पीओआई में उसने अपनी क्षमता के केवल ***% (सीमा 25-35%) पर प्रचालन किया और उसका बाजार हिस्सा ***% (सीमा 0-10%) था, और उसे हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर मुश्किल से सकारात्मक आय हुई, जिसका उसकी वृद्धि और पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ञ. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है। जांचे गए अन्य ज्ञात कारकों ने ऐसी क्षति कारित नहीं की है जिससे कारणात्मक संबंध भंग हो।

ट. संबद्ध देशों हेतु निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं।

ठ. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है। उपयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, और शुल्क भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करेगा।

ट. सिफारिश

221. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी, और घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/उपयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति की भरपाई हेतु पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण आवश्यक मानते हैं और इसकी संस्तुति करते हैं।

222. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने हेतु पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि हेतु, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	**(8)**	(9)
1.	4015 11 00, 4015 12 00, 4015 19 00, 4015 90 30, 4015 90 99*	चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने**	मलेशिया	मलेशिया	वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी.	442	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया	क्रम सं. 1 के अतिरिक्त कोई उत्पादक	565	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	मलेशिया	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	कोई	565	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	मलेशिया	कोई	565	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
5.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड	श्री ट्रंग ग्लोव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड	288	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
6.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड	क्रम सं. 5 के अतिरिक्त कोई उत्पादक	486	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	**(8)**	(9)
7.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	कोई	486	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
8.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	थाईलैंड	कोई	486	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर

** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

*** नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ लेटेक्स, प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स अथवा उनके मिश्रण से बने "चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने" है। शल्य-चिकित्सा दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई जैसे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने, और नियोप्रीन अथवा किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने अपवर्जित हैं।*

223. ऊपर दी गई शुल्क तालिका में क्रम सं. 1 और क्रम सं. 5 पर उल्लिखित कंपनी हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित निम्नानुसार प्रारूपित घोषणा अंकित होगी:

> *"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए चिकित्सा जांच रबड़ दस्तानों के (पीस) का विनिर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।"*

224. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऊपर दी गई शुल्क तालिका में यथाविनिर्दिष्ट "कोई" हेतु लागू पाटनरोधी शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई किसी भी सत्यापन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ठ. आगे की प्रक्रिया

225. इन अंतिम जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ग के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर (सीईएसटीएटी) अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 6th November, 2026

Case No. AD (OI)-38/2025

Subject: Final Findings in the Anti-dumping investigation concerning imports of Medical Examination Rubber Gloves originating in or exported from Malaysia and Thailand.

F. No. 6/43/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Anti-Dumping Rules" or the "Rules") thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application filed on behalf of the domestic industry by M/s Navco Industries Pvt. Ltd. and M/s Wadi Surgicals Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the 'applicants' or the "applicant companies" or the "domestic industry") seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of 'Medical Examination Rubber Gloves' (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or the "PUC"), originating in or exported from Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as the "subject countries").

2. On the basis of the application filed by the applicants, in the form and manner prescribed, the Authority issued a public notice vide Notification F. No. 6/43/2025-DGTR dated 30th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the product under consideration from Malaysia and Thailand in accordance with Rule 5 of the Rules to examine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:

3.1 Initiation

i. The Authority received a written application from the domestic industry alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry.

ii. In accordance with Rule 5(5), prior to the initiation of the investigation, the Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application.

iii. In accordance with Rule 6(1) of the Rules, the Authority issued a Public Notice dated 30th September 2025 ("Initiation Notification"), published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.

iv. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users, and the domestic industry as well as other domestic producers as per the email addresses made available by the applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.

3.3 Period of Investigation (POI) and Injury Investigation Period (IIP)

i. The POI for the purpose of the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024, and the POI.

3.4 Import Data

i. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The Authority has relied upon the DG systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

3.5 Participation by Producers/Exporters of Subject Countries

i. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters/traders in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

S.N.	Producer/Exporter
Malaysia	
1.	Ace Glove (M) Sdn. Bhd.
2.	Apollo Rubber Sdn Bhd
3.	Biomax Resources Sdn Bhd
4.	Durasafe Sdn Bhd
5.	Glove Resources Sdn Bhd
6.	Mazuma Trading
7.	Professional Latex Sdn Bhd
8.	Qube Medical Products Sdn Bhd
9.	Ray Bell Engineering Sdn Bhd
10.	Satnam Sdn Bhd
Thailand	
1.	Happy Care Glove Co., Ltd.
2.	Hi - Care Thai Gloves Co. Ltd

ii. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers/exporters from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

iii. The following producers/exporters have registered themselves as interested parties and have filed a response to the exporters' questionnaire issued by the Authority.

S.N.	Producer/Exporter
Malaysia	
1.	Hartalega Holdings Berhad
2.	Hartalega NGC SDN Bhd

S.N.	Producer/Exporter
3.	Mun Global Sdn Bhd
4.	TG Medical Sdn. Bhd.
5.	Top Glove Sdn Bhd
6.	TG Worldwide Sdn. Bhd.
7.	YTY Industry Sdn. Bhd.
8.	Tan Sin Lian Industries Sdn Bhd
Thailand	
1.	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Ltd.
2.	Dr. Boo Company Limited

iv. Dr. Boo Company Limited filed only the confidential version of its exporter questionnaire response and did not circulate the non-confidential version to the other interested parties. No submissions were made by this party during or pursuant to the oral hearing. Dr. Boo Company Limited has, however, filed comments on the disclosure statement on 28th October 2026, which have been examined in Section I of these final findings.

v. Considering the number of responding exporters/producers from the subject countries, the Authority proposed sampling of producers from Malaysia along with their associated exporters/traders for the purpose of individual dumping margin vide notification dated 25th February 2026. After receiving comments from the interested parties, the Authority notified the following producers/exporters from Malaysia along with their associated exporters/traders, vide notification dated 20th March 2026. The sample was determined on the basis of the largest percentage of exports from Malaysia.
   a. Hartalega Group
   b. Top Glove Group

vi. Subsequently, the Authority discontinued sampling vide notification F No. 6/43/2025-DGTR dated 9th September, 2026, and the questionnaire responses of all the responding producers/exporters from Malaysia have been examined individually to assess whether individual dumping margins can be determined.

vii. As regards the method of sampling, Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement and the proviso to Rule 17(3) of the Rules permit the Authority to limit its examination either to a statistically valid sample of producers/exporters, or to the producers/exporters accounting for the largest percentage of the volume of exports from the country in question which can reasonably be investigated. The choice between the two methods rests with the Authority. A statistically valid sample presupposes a population of producers/exporters large enough for a random or stratified selection to be representative of that population. In the present case, only four producer/exporter groups from Malaysia had responded to the questionnaire, which did not permit the selection of a statistically valid sample. The Authority, therefore, adopted the second method, consistent with its established practice, after inviting the comments of the interested parties on the proposed sample vide notification dated 25th February 2026. The two groups selected accounted for the largest volume of exports of the subject goods to India from Malaysia among the responding producers/exporters. In any event, sampling was discontinued vide notification dated 9th September 2026 and the responses of all the responding producers/exporters from Malaysia have been examined individually.

3.6 Participation by Importers/Users

i. The Authority sent importers and users' questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

S.N.	Importers/Users
1.	Adithya Drug Lines
2.	Asio Healthcare Pvt. Ltd.
3.	Careway Medical Devices Private Limited
4.	Ganesh Health Care
5.	Grahams Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
6.	Matrix Surgical Industries
7.	Millennium Healthcare
8.	Outcare Medical Devices Pvt. Ltd.
9.	Ramya Impex Pvt. Ltd.
10.	Ramson Health Care Pvt. Ltd.
11.	Rauo Healthcare Pvt. Ltd.
12.	Shree Ganesh Medicos
13.	Toonbrands Solutions Pvt. Ltd.
14.	Tulip International
15.	Victor Surgical Disposable

ii. The following importers and users have registered themselves as interested parties in the present proceedings and have filed importers' questionnaire responses:

S.N.	Importers/Users
1.	Kanam Latex Industries Pvt. Ltd.
2.	MRK Healthcare Pvt. Ltd.
3.	Sevana Medineeds Pvt. Ltd.
4.	Grahams Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
5.	MUN Health (India) Pvt. Ltd.
6.	Medical Glove Association Import and Export

3.7 Registered Interested Parties

i. A list of parties who requested to be registered as interested parties in response to the initiation notification was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to forward the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

3.8 Economic Interest Questionnaire

i. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned line ministries, namely, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Responses to the Economic Interest Questionnaire were received from the domestic industry and the following interested parties:

S.N.	Producer/Exporter/Importer/Users
1.	Grahams Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
2.	Kanam Latex Industries Pvt. Ltd.
3.	MRK Healthcare Pvt. Ltd.
4.	Sevana Medineeds Pvt. Ltd.
5.	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

3.9 Further Procedure

i. The Authority invited comments on the scope of the product under consideration ('product scope') and the PCN methodology within 30 days of intimation of the non-confidential version of the application on 6th October 2025, which ended on 5th November 2025. The Authority then conducted a meeting on 21st November 2025 with all the interested parties. Based on the comments given and submissions made by the interested parties, the Authority notified the product scope and the PCN methodology vide notice dated 2nd December 2025, which was notified on the website of the Authority.

ii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 22nd April, 2026, in hybrid mode. The interested parties who attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions of the views expressed orally by 29th April, 2026, followed by rejoinder submissions, if any, by 6th May, 2026.

iii. The Central Government, vide Office Memorandum F. No. CBIC-190354/120/2026-TRU dated 21st September, 2026, extended the statutory time limit for completion of the present investigation by three months beyond 29th September, 2026, i.e. up to 29th December, 2026. The Authority notified the interested parties of the said extension vide notice dated 21st September, 2026.

iv. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The information furnished by the domestic industry, YTY Industry Sdn. Bhd. and Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited has been verified, and the verified information has been relied upon for the determinations made in these final findings. In respect of the Hartalega Group, the Top Glove Group, Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. and Dr. Boo Company Limited,

the information necessary for verification was either not furnished or was found deficient despite the opportunities given, for the reasons recorded in Section F below, and the Authority has proceeded in their case in terms of Rule 6(8) of the Rules.

v. The Authority determined the non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and the cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicants and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, so as to ascertain whether the anti-dumping duty recommended herein is sufficient to remove injury to the domestic industry.

vi. The Authority has examined all the submissions made by the interested parties during the course of the investigation, including the written submissions and rejoinders filed after the oral hearing. The submissions which are supported by evidence and are relevant to the present investigation have been addressed in the relevant sections of these final findings. Submissions made by more than one interested party, or reiterated at different stages of the investigation, have been addressed together to avoid repetition.

vii. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts under consideration were disclosed to the interested parties vide disclosure statement dated 23rd October 2026, together with the party-specific disclosure of the normal value, export price, dumping margin, and landed price to the cooperating producers/exporters concerned, and the interested parties were given an opportunity to comment thereon within the time allowed. Comments on the disclosure statement were received on 28th October 2026 from (a) the domestic industry; (b) Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited; (c) YTY Industry Sdn. Bhd.; (d) Hartalega NGC Sdn. Bhd., MUN Global Sdn. Bhd. and MUN Health Product (India) Pvt. Ltd., jointly; (e) Sevana Medineeds Pvt. Ltd., Grahams Pharmaceuticals Pvt. Ltd. and Medical Glove Association Import and Export, jointly; (f) MRK Healthcare Pvt. Ltd. and Kanam Latex Industries Pvt. Ltd., jointly; and (g) Dr. Boo Company Limited, Thailand. No comments were received from the Top Glove Group or Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. The post-disclosure comments, to the extent considered relevant and not merely repetitive of submissions already examined, have been addressed in Section I of these final findings.

viii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded its determinations in these final findings on the basis of facts available.

ix. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.

x. '***' in these final findings represents information furnished on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xi. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US$= ₹ 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.
Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as defined at the stage of initiation was as follows:

"1. The product under consideration in the present investigation is "Medical Examination Rubber Gloves". It is a type of personal protective equipment (PPE) that is part of standard precautions to protect medical staff from transmission of infectious agents. They are used for general examination and non-invasive procedures.

2. The product under consideration is made out of nitrile butadiene rubber latex or natural rubber latex. All other forms of rubber gloves, such as surgical gloves, industrial gloves, and household gloves which are reusable gloves used in applications such as gardening, cleaning, etc., and vinyl gloves are specifically excluded from the scope of product under consideration.

3. Medical Examination Rubber Gloves can be differentiated from other gloves on the basis of their use/end application, sterility, quality standards/ regulations, their composition, thickness and design. Medical Examination Rubber Gloves are intended for medical use involving non-invasive medical procedures that include routine physical examinations, administering medications and tasks that involve contact with the outer body. Further, they can also be used across industries like chemical manufacturing and labs, pharmaceutical works, hospitality sector, food processing, aerospace, electronics etc.

4. Medical Examination Rubber Gloves are different from surgical gloves. Medical Examination Rubber Gloves are usually non-sterile while surgical gloves are usually sterile made for contact with the internal body tissues. Medical Examination Rubber Gloves are made to meet IS 15354 standards whereas surgical gloves are produced to meet stricter international standards such as IS13422/ASTM D3577 or EN 455-2 for surgical applications. Medical Examination Rubber Gloves are usually ambidextrous and their thickness depends upon the application but is in conformity with the IS Standards while surgical gloves are anatomically designed for more precision and comfort.

5. The product under consideration is classified under Chapter 40, subheading 4015 12 00, of Schedule I to the Customs Tariff Act. However, subject goods are also being imported under codes 40151100, 40151900, 40159030, and 40159099. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.

6. The unit of measurement for product under consideration is numbers."

5. The parties were advised to offer their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 30 days of intimation of the non-confidential version of the application.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Views of the other interested parties 6. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article:	**Views of the domestic industry** 7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard	**Examination by the Authority** 8. The Authority considers as follows with regard to issues/exclusion requests raised by the interested parties. Examination of PUC related issues: 9. The Authority notes that other interested parties contended that BIS certification/Standard Mark is mandatory for the subject goods, whereas the domestic industry disputed this requirement. Certain interested parties also sought restriction of the product under consideration to gloves conforming to IS 15354, relying on the statement in the initiation notification that "Medical

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
a. Determination of the PUC must be based on products that are commercially manufactured and sold in India and not merely on theoretical or installed capacities that have not resulted in commercial quantities. b. Domestic industry in India does not manufacture or sell powdered medical examination rubber gloves on a commercial scale and possesses only limited capacity to do so and the scope of the PUC should be limited to products that are commercially manufactured and sold in India by the domestic industry and exclude powdered medical examination gloves. c. Initiation notification defines the product primarily based on its end use as "Medical Examination Rubber Gloves" used for general examination and non-invasive procedures, and also based on its composition, i.e. gloves made of NR or NBR as being used for "non-invasive medical examination"	to the scope of the product under consideration and like article: a. Mixed gloves generally refer to gloves which are a combination of Natural Rubber (NR) and Nitrile Butadiene Rubber (NBR). While there is no market requirement for the same, the domestic industry is not regularly producing and selling but has produced low quantities of the same. b. Powdered and powder-free gloves made of both natural rubber and NBR are being produced by the domestic industry, i.e. Navco Industries, produces powdered medical	Examination Rubber Gloves are made to meet IS 15354 standards". In view of these differing submissions, the Authority sought clarification directly from the Bureau of Indian Standards (BIS) vide communication dated 8th September, 2026. 10. BIS, vide its reply dated 22nd September, 2026, clarified that IS 15354 (Part 1):2023 covers single-use medical examination gloves made from rubber latex or rubber solution, including natural rubber latex and nitrile rubber, subject to the scope and provisions of the standard. BIS further clarified that licences under this standard are operated under BIS Conformity Assessment Scheme-I and that the gloves covered by the standard are presently not under mandatory BIS certification. Accordingly, the contention that BIS certification/Standard Mark is mandatory for the subject goods is not supported by the clarification received from BIS. 11. BIS also clarified that the minimum thickness prescribed in the standard is a product-conformity requirement and that a product not meeting this requirement cannot be considered conforming to IS 15354 (Part 1). Further, a valid BIS licence permits use of the Standard Mark within the scope of the licence, subject to continued conformity with the standard; mere possession of a licence does not establish conformity of every batch or model. The Authority therefore distinguishes between possession of a BIS licence and conformity of the actual product. BIS's reply does not confirm the suggested equivalence between a thickness of 0.08 mm and a minimum glove weight of approximately 4.5 grams. Consequently, glove weight alone cannot be treated as establishing conformity or non-conformity with the standard on the basis of the clarification received. 12. The Authority further notes that absence of mandatory BIS certification is distinct from the question of compliance with technical standards under other applicable regulatory requirements. BIS's reply does not expressly resolve the separate issue raised by the parties regarding compliance under Rule 7 of the Medical Devices Rules, 2017. Accordingly, the Authority does not infer from the reply that gloves failing to conform to IS 15354 may lawfully be manufactured, imported or sold without restriction. Compliance with the applicable medical-device regulatory framework remains a matter for the competent regulatory authorities. 13. For the purpose of the present investigation, the Authority considers that the reference to IS 15354 in the initiation notification describes the subject goods and distinguishes them from other categories of gloves; it does not expressly make conformity with that standard a condition for inclusion within the product under consideration. Accordingly, the Authority has decided not to restrict the product under consideration to gloves conforming to IS 15354 solely on the basis of that descriptive reference. Coverage under the present investigation shall be determined by the notified product scope and exclusions. This determination does not dispense with any applicable regulatory requirement or constitute approval for the manufacture, import or sale of non-conforming products.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
confining the scope to medical purpose applications only, whereas it also extends application to other non-medical applications as well, such as chemical manufacturing, laboratories, pharmaceuticals, hospitality, food processing, aerospace, and electronics. d. The scope of the PUC should cover only medical examination rubber gloves made of NBR or NR and gloves made out of blends should be excluded. e. It may be clarified that gloves made of any other material, including but not limited to vinyl, neoprene, or other synthetic materials, are not covered within the scope of the present investigation. f. It may be clarified that the scope of the investigation is restricted to medical examination rubber gloves intended for non-invasive medical procedures, as described in paragraph 2 of the Initiation Notification, and does not extend to non-medical or industrial-grade	examination rubber gloves whereas Wadi Surgicals produces powder free NBR gloves. c. Product under consideration includes medical examination rubber gloves with thickness of below 0.2 mm. Gloves that are of thickness of 0.2 mm and above can be considered as NPUC. Gloves with thickness of 0.2 mm and above are multi-use gloves, whereas PUC is a single use glove. d. BIS/ISI certification under IS 15354 is not mandatory for medical examination rubber gloves. Imports are being made without BIS declaration, the domestic industry is	14. The exporter/producer from Thailand has requested clarification whether gloves which are blended or mixed, i.e., made of a mix of NR and NBR are included in the scope of the PUC. The domestic industry has submitted that to its knowledge, this blended glove has not been exported to India. It has also stated that there is no market for the same. The domestic industry has further submitted that since there is no market requirement, they are not regularly producing or selling the product. However, as part of their product range, the domestic industry has submitted that they have produced some quantities of mixed gloves containing both NR and NBR. It is considered appropriate to include blended gloves within the scope of the PUC, given that the domestic industry has already produced, even if there has been no or low demand for the same. 15. The Authority notes that the process of manufacturing gloves using a blend of NR and NBR is largely the same as that for producing gloves made exclusively from either NR or NBR, with the only distinction being the composition of the raw materials used. The essential production process and manufacturing facilities remain the same. Therefore, limiting the scope only to gloves made entirely from NR or NBR, while excluding gloves made out of a blend of NR and NBR, could enable exporters and importers to alter the raw material composition of the product and thereby avoid the application of duties, undermining the effectiveness of the measures. In order to prevent such circumvention and to preserve the remedial efficacy of any measures imposed, the Authority considers it appropriate to include gloves manufactured from a blend of NR and NBR within the scope of the product under consideration. 16. The Authority has also taken note of the submission of the domestic industry that blended gloves were not exported to India during the POI. The Authority, however, considers that the inclusion of blended gloves within the product under consideration rests on the following facts, and not merely on the need to prevent circumvention: (a) the product under consideration is defined by its physical, technical and end-use characteristics and not by the product types actually traded during the POI; neither the Rules nor the Anti-Dumping Agreement require that every type within the product under consideration must have been exported to India during the POI, and the Panel in EC – Salmon (Norway) (WT/DS337/R, paras 7.48–7.76) has held that the Agreement imposes no requirement of homogeneity on the product under consideration; (b) blended gloves are made from the same two raw materials, through the same process and on the same production facilities, are used for the same non-invasive medical examination, and are covered by the same standard, IS 15354 (Part 1):2023, which, as clarified by BIS in its reply dated 22nd September 2026, covers single-use medical examination gloves made from rubber latex, including natural rubber latex and nitrile rubber; they are thus technically and commercially substitutable with gloves made wholly of NR or NBR; (c) the domestic industry has produced blended gloves, and the like article is therefore produced in India; (d) blended gloves

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
gloves used in other sectors. g. Powder free NBR medical examination gloves should be excluded from the scope of the PUC for the following reasons: i. Domestic industry does not produce powder free NBR gloves that meet ISO 11193 ii. Independent lab testing comparing samples of Top Glove Group with domestic product fails to meet ISO 11193 requirements on parameters such as elongation and force at break, which are key determinants of glove performance, tensile integrity, and user safety iii. Given strict requirement of product compliance with ISO standard, domestic product and product of Top Glove group are not comparable. h. High grade powder free NBR gloves are not currently produced domestically in equivalent form and hence should be considered	aware of this, and the domestic industry itself sells non-BIS certified products. e. The applicants have submitted the official confirmation from BIS that certification under IS:15354 is purely voluntary, as affirmed in the meeting at the Department of Consumer Affairs (BIS Division) on 26th February 2024. f. Unless QCO has been issued, the Indian standard is not mandatory. Producers are allowed to sell the products without BIS standard if there is no QCO that has been issued. g. Medical Device Rules, 2017	have been assigned a separate PCN code ('M'), so that they would be compared only with blended gloves, and their inclusion has no bearing on the dumping margin or injury margin of any producer/exporter whose exports to India during the POI did not include such gloves; and (e) the clarification on blended gloves was itself sought by a producer/exporter from Thailand, which indicates that such gloves are commercially produced in the subject countries and are capable of being exported to India. 17. The exporter/producer from Thailand has requested exclusion of powdered medical examination rubber gloves. They have submitted that since the domestic industry does not produce powdered medical examination rubber gloves in commercial quantities and has limited capacity to do so, like article is not being produced. It is noted that no evidence has been provided to support this claim. The Authority has verified and noted that one of the applicant companies, Navco Industries, only sells powdered medical examination rubber gloves. Navco Industries produced and sold powdered natural rubber gloves throughout the POI. Its domestic sales of *** lakh pcs during the POI are supported by its PCN-wise production, sales and cost data furnished in the prescribed proformae, which have been verified, and on the basis of which the non-injurious price for these PCNs has been determined. The claim that the like article is not produced in commercial quantities is, therefore, not borne out by the record. Accordingly, the request for exclusion is denied. 18. The exporter/producer from Malaysia has requested clarification regarding alleged inconsistency in the description of the PUC as defined in the initiation notification. The exporter/producer has requested the Authority to clarify that the scope of the PUC covers only medical examination rubber gloves made of NBR or NR. It is clarified that the scope of the product under consideration covers only rubber gloves made of NBR, NR, or a blend of the two. Rubber gloves made out of other raw material, if any, are beyond the scope of the PUC. 19. As regards the contention that the scope of the PUC be restricted to medical examination rubber gloves solely intended for non-invasive medical procedures, with non-medical and industrial-grade gloves used in other sectors excluded from the scope, the Authority notes that while the product description in the initiation notification identifies medical examination gloves by reference to their intended medical use, such gloves are, by virtue of their physical and technical characteristics, capable of being used across a range of applications beyond the medical field. The Authority notes that a medical examination glove cannot be excluded from the scope merely on the ground that it is, in a given instance, put to a non-medical end-use. Accordingly, where medical examination rubber gloves are used for purposes other than medical examination, such gloves shall continue to fall within the scope of the PUC. 20. As regards request for exclusion of high-grade powder free NBR medical examination gloves, since domestic industry has produced and sold powder free NBR gloves, the same is not excluded. Further, no specification has been provided by the other

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
separately to avoid distortions in injury and price comparison. i. There are substantial differences in raw materials, physical characteristics, quality standards, that affects cost and price of PUC, therefore PCN methodology should be proposed. j. Key factors resulting in different cost and prices within the PUC are (i) raw material used, (ii) use of powder/lubricant content, and (iii) weight, (iv) Surface Finish, (v)Format, (vi) Sterilisation, (vii) Colouring/Grade, and (viii) Texture. k. Approach proposed is consistent with international practice in terms trade remedial investigations, such as the DECOM of Brazil on imports of non-surgical medical gloves from China, Malaysia, and Thailand. l. Gloves meeting standards such as ISO 11193-1, IS 15354, IS 15453, ASTM, EN, and FDA medical-grade requirements should be assessed within the same category as they	has stated in Rule 7, Clause 1, that medical devices must comply with standards set by the Bureau of India Standards. In Clause 2 of Rule 7, it has been stated that in the absence of standards set by the BIS, any other standards may be followed. Hence, it is clearly seen that the IS Standard is not mandatory. h. Both the applicant companies possess BIS certification and produce gloves that comply with the IS standard, they are also producing and selling goods that do not adhere to the IS Standard. This itself shows that compliance with the IS standard is not	interested party in terms of "high grade" of gloves. The other interested party has also not provided any evidence to show that the domestically produced product is different than the imported subject good or to show lack of interchangeability between the two. The domestic industry, on the other hand, submitted that Wadi Surgicals produces and sells powder-free NBR medical examination gloves and that both the applicant companies hold BIS licences under IS 15354. The Authority notes that Wadi Surgicals produced and sold powder-free NBR gloves (PCNs NBRPFNS1 and NBRPFNS2) during the POI in commercial quantities, and the non-injurious price for these PCNs has been determined on the basis of its verified cost data. As regards the laboratory test reports relied upon by the other interested party, the reports relate to a limited number of samples and to parameters such as elongation and force at break; they do not establish that the imported gloves constitute a distinct product with different physical characteristics or end uses. Further, conformity with ISO 11193 is not a criterion of the product scope notified by the Authority. 21. Clarification has been requested on whether chlorinated gloves are part of the scope of the PUC. It is clarified that chlorinated gloves have been specifically excluded from the scope of the product under consideration vide the Scope Notification dated 2nd December 2025. 22. Clarification has been requested on whether gloves made of materials other than natural rubber latex and nitrile butadiene rubber latex are included within the scope of PUC. It is seen that the domestic industry does not produce and sell the PUC using materials other than natural rubber latex or nitrile butadiene rubber latex. As there is no production of gloves through any other material, the scope of the PUC appropriately includes only gloves made of natural rubber latex or nitrile butadiene rubber latex or a blend thereof. 23. The Authority has noted the submissions made by the domestic industry to show the distinction of medical examination rubber gloves from other types of rubber gloves which have been specifically excluded from the scope of product under consideration. Following types of gloves are beyond the scope of the PUC in the present investigation a. surgical gloves, b. industrial/household/cleaning gloves c. vinyl gloves d. neoprene gloves. 24. These gloves differ in terms of their raw material, design, physical characteristics, and intended use. Surgical gloves are primarily used for invasive surgical procedures and are manufactured to more stringent requirements in terms of design, anatomical fit, precision, sterility and applicable quality standards. Industrial, household and cleaning gloves are intended for cleaning, gardening, industrial and related applications and are thicker, heavier and designed for greater durability and repeated use. Vinyl gloves are manufactured from polyvinyl chloride (PVC)

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
have distinct compliance requirements and cost structures as compared with industrial gloves. m. Glove weight varies naturally due to glove size, tactile sensitivity, dexterity requirements, ergonomic design, manufacturing technology. Pricing in global markets not determined solely by weight as it would lead to misleading outcomes that do not reflect commercial or technical reality. n. Should weight be considered as PCN parameter, it should be captured in ranges such as 2-4 grams (thin gloves), 4-6 grams (normal gloves), and 6-8 grams (thick gloves). o. Scope of PUC in the initiation notification specifically provides that "*Medical Examination Rubber Gloves are made to meet IS 15354 standards*". It appears that gloves not meeting such standards are outside scope of PUC and accordingly scope of PUC must be revised as "Medical Examination	mandatory for production and sale of the product. i. Other interested parties have contended that BIS is mandatory, but none have shown that they hold a BIS licence or have exported BIS-compliant gloves, rendering their claims contradictory and unsubstantiated. j. The scope of the product under consideration should be the same as stated in the application and notified in the PUC-PCN notification. k. PUC is produced in two sizes, which is short length and long length. Short length covers up to the palm of the hand, while the long length	and are primarily used for low-risk food service and janitorial applications, while neoprene gloves are manufactured from neoprene and are generally used in applications requiring resistance to chemicals, solvents and extreme temperatures. 25. The Authority notes that these categories of gloves differ significantly with respect to raw material, powdering, sterilisation, weight, thickness, surface finish. 26. The Authority notes that chlorinated gloves have been specifically excluded from the scope of the product under consideration vide the Scope Notification dated 2nd December 2025. Accordingly, they have not been considered as a competing or substitutable category of gloves for the purposes of the present investigation. <u>Examination of PCN related issues:</u> 27. Surface Finish- The exporter has submitted that PCN must include surface finish such as smooth or textured. The domestic industry, on the other hand, submitted that the difference in cost between smooth and textured gloves is insignificant. The Authority had specifically advised the interested parties, vide its letter dated 6th October 2025, that proposals on PCN parameters must be supported by verifiable documentary evidence of differences in costs and prices. However, no evidence has been provided showing that there is a difference in cost of product because of surface finish. Since cost difference beyond 5% has not been shown, it was not appropriate to recognise this as a PCN parameter. 28. Format- The exporter has submitted that PCN must include format of the gloves such as ambidextrous or anatomical, citing differences in prices and costs by more than 450%. The domestic industry, which opposed the parameter, submitted that there is no cost difference between the two formats, since the same production line, raw materials and process are used and only the former (mould) differs. The Authority notes that the onus of demonstrating a cost difference exceeding 5% lies on the party proposing a PCN parameter. The exporter, which claimed a difference of more than 450%, did not furnish any cost records or computation in support of its claim, despite the Authority's letter dated 6th October 2025 requiring PCN proposals to be supported by verifiable evidence of differences in costs and prices. Further, medical examination rubber gloves are usually ambidextrous, the anatomical design being a feature of surgical gloves, as noted in the product description. In the absence of evidence of a cost difference exceeding 5%, the Authority does not consider format as a parameter for PCN. 29. Colouring- The exporter has submitted that PCN must include colour of the gloves to include coloured and non-coloured gloves. The domestic industry has submitted that there is very marginal cost difference between different colour. The difference in cost between coloured and non-coloured gloves, as stated by the domestic industry, which is well below the threshold of 5%. The exporter, on the other hand, did not furnish any cost data in support of its proposal. Thus, the Authority does not consider this as a parameter for PCN.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Rubber Gloves meeting IS 15354". p. Medical examination rubber gloves fall within the definition of "medical devices" under notification S.O. 648(E) issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, and are therefore regulated under the Medical Devices Rules, 2017 (MDR). q. The Government of India (Lok Sabha reply dated 08 August 2025) confirmed that medical and surgical gloves are regulated under the MDR and must meet prescribed standards. The Department of Pharmaceuticals (Public Notice dated 01 February 2022) identified IS 15354: Part 1 as the relevant standard for single use medical examination gloves with compliance mandatory under Rule 7. r. Rule 7 of the MDR requires medical devices to conform to BIS standards or as notified by the Ministry of Health and Family Welfare, MDR framed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 where such standards exist. For	covers up to the elbow or mid-arm. l. Difference between the cost of coloured & non-coloured; format and surface finish are insignificant , thus PCN should not be based on these parameters. m. No cost difference in gloves that are made for common use in both hands between those that are specifically made for the left and right, only the mould is different. n. Weight and thickness are interlinked and can be considered in a range for the purposes of creating PCN. The thickness of the glove directly impacts the weight, and quantum of material used,	30. Length- The domestic industry has submitted that length can be used as a parameter for PCN as it is used in common market parlance. However, it is noted that since weight has been considered as a PCN parameter, length of the glove need not be considered. The weight of a glove is a function of its length and thickness, and the quantity of raw material consumed, which is the principal driver of cost, is captured by weight. Longer gloves are correspondingly heavier and fall in higher weight bands; for instance, in the export transactions reported by the cooperating producers/exporters, gloves of 240 mm length weighing 4.0 to 5.8 grams fall in weight bands 1 and 2, while gloves of 295 mm length weighing 8.0 grams fall in weight band 3. Adopting length as a separate parameter would, therefore, duplicate the effect of weight without capturing any additional cost difference, and no interested party has demonstrated a cost difference attributable to length independently of weight. 31. Weight and Thickness- The domestic industry and the importer have submitted that weight of the glove be considered as a parameter for PCN. The exporter from Thailand has submitted that there would be other factors causing variance to the weight and hence the same cannot be a reliable parameter. It is seen that the weight of the gloves would significantly impact the cost of the product. Further, the domestic industry has also submitted that the thickness of the glove directly impacts its weight and causes the quantum of raw material used to vary, thereby causing significant variation in the costs. Accordingly, Authority considered it appropriate to include weight as a parameter in the PCN methodology. Domestic industry has provided evidence of cost difference between gloves of varying weight showing that the difference is more than 5%. This is borne out by the verified PCN-wise data of the domestic industry, which show that the non-injurious price of powder-free NBR gloves in weight band 2 is about ***% higher than that in weight band 1, and that of powdered NR gloves in weight band 2 about ***% higher than that in weight band 1, as also by the verified cost data of the cooperating producers/exporters, which show differences of more than 10% between adjacent weight bands. 32. After thorough examination of the various comments on the scope of the PUC and the PCN methodology that were received from the interested parties as well as the domestic industry, the Authority clarified the scope of the PUC and the PCN methodology and notified the same vide notification (hereinafter referred to as the "Scope Notification") dated 2nd December 2025, as follows: *"The product under consideration is Medical Examination Rubber Gloves. It is made out of nitrile butadiene rubber latex or natural rubber latex, or blend thereof. All other forms of rubber gloves, such as surgical gloves, gloves used in applications such as industrial, household, gardening, cleaning, etc., vinyl gloves, chlorinated gloves, gloves made out of neoprene or any other synthetic material are specifically excluded from the scope of product under consideration.* *Medical Examination Rubber Gloves are differentiated in the market from other gloves on the basis of their use/end application,*

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
medical examination rubber gloves, the applicable standard is IS 15354. s. Even without a standalone QCO, once a product qualifies as a medical device under the MDR, conformity with the relevant BIS standard becomes a regulatory benchmark for compliance assessment. t. Non-medical gloves may be sold without BIS certification if no QCO applies, but medical examination rubber gloves cannot be lawfully sold in India without adherence to IS 15354 under the MDR regime. u. CDSCO and not the BIS enforces Rule 7 compliance. CDSCO Circular dated 29 May 2024 confirms IS 15354 is mandatory. The CDSCO clarified that where a BIS standard exists, medical devices must be tested with reference to that BIS standard, reinforcing the mandatory nature of IS 15354 compliances. v. According to the CDSCO, the MDR 2017 do not apply to all categories of	thereby causing significant variations in the costs. The cost difference between varying weights and thickness of gloves is more than 5% as the quantum of raw materials used in each weight range for different thickness would differ. o. PCN proposed on the basis of (i) raw material used, (ii) use of powder/lubricant content, (iii) length of the gloves, (iv) sterilisation, and (v)weight of the gloves. p. Any other form of reusable rubber gloves, such as surgical gloves, industrial gloves, and household gloves which are reusable	*sterility, quality standards/regulations, their composition, thickness and design. Medical Examination Rubber Gloves are intended for medical use involving non-invasive medical procedures that include routine physical examinations, administering medications and tasks that involve contact with the outer body. Further, they can also be used across industries like chemical manufacturing and labs, pharmaceutical works, hospitality sector, food processing, aerospace, electronics, etc.* *Medical Examination Rubber Gloves are different from surgical gloves. Medical Examination Rubber Gloves are usually non-sterile while surgical gloves are invariably sterile made for contact with the internal body tissues. Medical Examination Rubber Gloves are made to meet IS 15354 standards whereas surgical gloves are produced to meet stricter international standards such as ISI 3422/ASTM D3577 or EN 455-2 for surgical applications. Medical Examination Rubber Gloves are usually ambidextrous, and their thickness depends upon the application but is in conformity with the IS Standards while surgical gloves are anatomically designed for precision and comfort."* PCN Methodology

S.N.	Parameter	Values	Code
1	Raw Material	Natural Rubber	NR
		Nitrile Butadiene Rubber	NBR
		Mixed Gloves	M
2	Powdered or Not	Powdered	P
		Powder free	PF
3	Sterilisation	Sterile	S
		Non-Sterile	NS
4	Weight	2 gms and above but not exceeding 4 gms	1
		More than 4 gms but not exceeding 6 gms	2
		More than 6 gms but not exceeding 8 gms	3
		More than 8 gms	4

33. The product under consideration is classified under Chapter 40 under subheading 4015 12 00 of Schedule I to the Customs Tariff Act. However, subject goods are also being imported under codes 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30, and 4015 90 99. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

34. The Authority notes that the like article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, raw materials, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles in terms of the Rules. The

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
gloves. The applicability of the MDR 2017 is limited to surgical gloves, medical examination gloves, and other gloves intended for medical purposes. w. Random testing of medical examination gloves at the time of import is undertaken to check compliance with IS 15354, as evidenced by testing requirement notices and sample test reports submitted. This confirms that compliance with IS 15354 is actively enforced by the authorities.	gloves used in applications such as gardening, cleaning, etc., vinyl gloves, chlorinated gloves, and gloves made out of neoprene or any other synthetic material have also been excluded. q. As regards to the exclusions of chlorinated gloves, respondent relied on the Bio Medical Waste (Management and Handling) Rules, 2016 ("BMW Rules"). The BMW Rules require phase out of chlorinated gloves only for specified categories (hospitals, clinics, labs, blood banks, etc.), not for all end uses. r. However, the PUC in present investigation is not limited to	two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Antidumping Rules. 35. Final scope of the product under consideration: In view of the foregoing, the product under consideration in the present investigation, as finally determined, is "Medical Examination Rubber Gloves" made of nitrile butadiene rubber latex, natural rubber latex, or a blend thereof, as notified vide the Scope Notification dated 2nd December 2025 reproduced above. Surgical gloves, gloves used in applications such as industrial, household, gardening and cleaning, vinyl gloves, chlorinated gloves, and gloves made of neoprene or any other synthetic material are excluded. Within the product under consideration so defined, the comparison of normal value with export price, and of the non-injurious price with the landed price, has been made on the basis of the PCN methodology tabulated above, comprising raw material (NR/NBR/M), powdered or powder-free (P/PF), sterile or non-sterile (S/NS) and four weight bands (1 to 4).

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
	medical usage. The Authority's own notification explicitly states that the subject goods have multiple end uses i.e. pharma, food processing, hospitality, etc. Therefore, chlorinated gloves should remain within the scope of the PUC.	

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Views of the other interested parties 36. Following submissions have been made by the other interested parties with regards to the scope and standing of the domestic industry: a. The Applicants' standing as the domestic industry requires re-examination, given their admission that multiple	**Views of the domestic industry** 37. Following submissions have been made by the domestic industry with regards to scope and standing of the domestic industry: a. The application has been filed by M/s Navco Industries Pvt. Ltd. and M/s Wadi Surgicals Pvt. Ltd. The applicant	**Examination by the Authority** 38. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".* 39. The Authority notes that the present application has been filed by M/s Navco Industries Pvt. Ltd. and M/s Wadi Surgicals Pvt. Ltd. Both the applicant companies are MSMEs and have provided all necessary information in the form and manner prescribed by the Authority for the purpose of the present investigation. 40. The Authority notes that the application is supported by M/s Koove IOT Pvt. Ltd., M/s Latrile Gloves Pvt. Ltd., and M/s Tegamen Safety Products Pvt. Ltd., who are the other Indian producers of the PUC during the POI. Further, Alesco Surgipharma Pvt. Ltd. has set up capacities to produce medical examination rubber gloves and has also supported the present investigation.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
other Indian producers or entities have capacities to produce the PUC. b. By excluding producers having the capability to produce the PUC, the domestic industry has artificially inflated its share to meet the "major proportion" threshold under Rule 5(3). This selective inclusion is requested to be disregarded by the Authority. c. The production of Koove IOT Pvt. Ltd., Tegamen Safety Products Pvt. Ltd., and Latrile Gloves Pvt. Ltd. is substantial and constitutes approximately 35% of total production. Therefore, as per Rule 2(b) read with Rule 5(3)(a) of AD Rules, it is essential to analyse the	companies fall under the MSME category. b. The application is supported by M/s. Koove IOT Pvt. Ltd., M/s. Latrile Gloves Pvt. Ltd. and M/s. Tegamen Safety Products Pvt. Ltd. who are the only other Indian producers of the PUC during the POI who have supported the present investigation. c. Further, St. Mary's Rubber Pvt. Ltd., Hubertus Medicals and Alesco Surgipharma Pvt. Ltd. have set up capacities to produce medical examination rubber gloves. Alesco Surgipharma Pvt. Ltd has also supported in the present investigation. d. The domestic industry is a new industry as M/s Navco	41. As regards the role of the supporting producers, the Authority notes that Rule 5(1) permits an application to be filed by or on behalf of the domestic industry, and there is no requirement that every producer of the like article should join the application as an applicant. M/s Koove IOT Pvt. Ltd., M/s Latrile Gloves Pvt. Ltd., M/s Tegamen Safety Products Pvt. Ltd. and M/s Alesco Surgipharma Pvt. Ltd. have expressed their support for the application and their production of the PUC during the POI is on record, as reflected in the table below. These producers are not part of the domestic industry for the purposes of the present investigation, and their support and production data have been relied upon only for examining standing under Rule 5(3). The injury analysis in Section III has, accordingly, been confined to the applicant companies, which constitute the domestic industry under Rule 2(b). The Authority has, however, taken the sales of the other Indian producers into account in determining demand and market shares, and notes that their combined share in demand was about ***% (range 0-10%) in the POI. The decision of a producer to support, rather than join, an application does not by itself indicate the absence of injury to that producer, nor does it bear on whether the applicant companies, which constitute the domestic industry, have suffered material injury. 42. During the course of the investigation, interested parties have referred to the following entities and stated that these companies are also producers of the PUC - RR Latex, Sri Anusham Rubber Industries Pvt. Ltd., MRK Healthcare Pvt. Ltd., Amigo Surgi-Care Pvt. Ltd., and Sara Healthcare. It is seen with respect to MRK Healthcare Pvt. Ltd. that the entity has participated in the present investigation as an importer. As regards the claim regarding Amigo and Sara Healthcare, the Authority notes that the mere presence of product listings on websites does not establish commercial production and sale of the PUC in India. The domestic industry has submitted that these entities are engaged in packaging of gloves rather than their manufacture and are accordingly traders/packagers and not producers of the PUC. No verified production data has been made available for these entities, and these entities have not participated in the investigation to establish their status as producer. 43. The Authority recognises the obligation of the applicants in providing relevant information on the basis of such information as is reasonably available. It is seen that the applicants wrote to various known producers before initiation of the investigation, including RR Latex and Sri Anusham Rubber Industries Pvt. Ltd. There was no response particularly from those entities who are allegedly producers of the PUC, and not traders or importers of the product. While the other interested parties have alleged that the applicants fail to meet the standing requirements under the rules, the Authority notes that none of the interested parties have provided any verifiable evidence to support their contentions. 44. The Authority has carefully examined the conflicting claims of both sides of the interested parties in detail. In addition to initiation notification that was published in the official Gazette and on the DGTR website, the Authority wrote to various parties identified by the domestic industry, including RR Latex and Sri Anusham Rubber Industries Pvt. Ltd. There is no response from these two entities. The Authority notes that mere possible sale by a company is insufficient to qualify it as a producer nor sufficient to quantify its production. The Authority requires quantified information regarding production. These parties have not placed any information/evidence on record. The Authority also notes that

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
data of these producers to ascertain the standing of the domestic industry and for the subsequent injury analysis. d. Critical information under Rule 6 and 7, including any correspondence, support letters, or other material relied upon by the domestic industry, must be placed on record in a meaningful non-confidential form to permit effective scrutiny and rebuttal by the interested parties. However, the same was withheld by the domestic industry. The authority is requested to direct the applicants to place on record complete information in this regard. e. The domestic industry's claim of scarce	Industries Pvt. Ltd. started production in 2022 – 2023, and M/s Wadi Surgicals Pvt. Ltd. in 2023 – 2024. However, the Indian industry for the product is not a new industry as one of the domestic producers of the subject goods in the country i.e., M/s Tegamen Safety Products Pvt. Ltd., has been in production since 2021 – 2022. e. The applicants have not imported the subject goods, nor is it related to any producer or exporter of the subject goods in the subject countries. The applicants are also not related to any importer in India. f. The applicants constitute eligible domestic	mere existence of capacity, or a stated ability to produce, does not by itself qualify an entity as a domestic producer and is insufficient to quantify their production for the purpose of determining standing under Rule 5(3). 45. The Authority has also examined whether the approach adopted in respect of the entities named by the interested parties is consistent with that adopted in respect of the supporting producers. The distinction drawn by the Authority rests on the availability of quantified information on record, and not on the source of the claim. The production of the supporting producers is on record in writing, has been furnished by those producers themselves, and has not been controverted by any interested party with contrary evidence. In contrast, RR Latex and Sri Anusham Rubber Industries Pvt. Ltd. did not respond either to the applicants or to the Authority, and no interested party has placed on record any quantified information on their production of the PUC. Further, the observations on production by the domestic industry made in Section C relate to the separate question of whether the like article is produced in India, which is relevant for defining the product scope and turns on the existence of production of the product type, whereas standing under Rule 5(3) requires quantification of production during the POI. The Authority has, nonetheless, examined the sensitivity of its determination: the share of the applicant companies would remain at or above 25% of the Indian production unless the unquantified production of such entities exceeded about *** lakh pcs, i.e. about ***% of the Indian production determined below, and the producers expressly supporting the application would continue to account for well above 25% of the total production and for the entire production of the producers expressing support or opposition. No interested party has suggested, much less substantiated, production of that order by these entities. 46. It is noted that the applicant companies have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India. The Authority examined DG System's transaction-wise data and found that there are no imports of the product under consideration made by the applicant companies. 47. Based on the information on record, the Authority has determined the Indian production and share of the applicant companies in Indian production as follows. It is seen that the share of the applicant companies is ***% (range 25-35%) of the total Indian production.

S. No.	Indian Producers	Quantity (Lakh Pcs)	Share (%)
Production by Applicants			
1	Navco Industries Pvt. Ltd. (DI)	***	5-15%
2	Wadi Surgicals Pvt. Ltd. (DI)	***	15-25%
3	**Total of applicant companies**	***	**25-35%**
Production by Other Indian Producers who are also supporters			
4	Koove IOT Pvt. Ltd.	***	25-35%

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority

domestic production is factually incorrect. The websites of Amigo and Sara Healthcare confirm the existence of at least two other Indian producers of medical examination rubber gloves, contrary to the DI's assertion.

f. The omission of such manufacturers from the domestic industry's production calculation undermines its claim of representing a "major proportion" of total Indian production. The Authority must investigate why these producers were excluded and whether their inclusion would reduce the domestic industry's standing below the statutory requirements.

g. The

industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

5	Tegamen Safety Products Pvt. Ltd.	***	20-30%
6	Latrile Gloves Pvt. Ltd.	***	5-15%
7	Alesco Surgipharma Pvt. Ltd.	***	5-15%
8	Total of other Indian Production	***	***
9	**Total Indian Production**	***	**100%**

48. In view of the information on record and the above, the Authority holds that the applicant companies account for ***% of the total Indian production, which constitutes a major proportion of the Indian production for the purposes of Rule 2(b) of the Rules. Further, the applicants together with the supporting producers account for the entire identified Indian production on record. This exceeds 25% of total Indian production and 50% of the production represented by producers expressing support for or opposition to the application, thereby satisfying the support requirements under Rule 5(3)(a), read with its proviso and Explanation. Accordingly, the applicants constitute eligible "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

49. The role of the applicant companies and of the supporting producers (Sl. No. 4 to 7 of the table above, Sl. No. 8 and 9 being totals) under the different provisions of the Rules is as follows: (a) Rule 2(b) – domestic industry: the domestic industry comprises the applicant companies, whose collective production of *** lakh pcs constitutes ***% of the total Indian production of *** lakh pcs. Rule 2(b) does not require the domestic industry to account for more than 50% of Indian production; what is required is a 'major proportion'. In the present case, the Indian industry is nascent and fragmented, the applicants have furnished complete injury information, and all the other identified producers have supported the application, with no Indian producer opposing it. The applicants are thus not a subset selected to the exclusion of producers with different performance, and the injury analysis based on their data is not distorted. The Authority, therefore, considers that ***% (range 25-35%) constitutes a major proportion of the total domestic production, consistent with the interpretation of the Appellate Body in EC – Fasteners (China) (WT/DS397/AB/R, paras 411–419); (b) Rule 5(3)(a) – support exceeding 50% of the production of the producers expressing support or opposition: all the producers expressing a view, i.e. the applicants and the four supporting producers, support the application, and their support thus accounts for 100% of such production; (c) Rule 5(3)(b) – support of not less than 25% of the total production: the applicants and the supporting producers together account for the entire Indian production on record, and the applicants alone account for ***%; and (d) injury information: injury information in the prescribed proformae is required only from the producers constituting the domestic industry. The support and production data of the supporting producers are relevant only for Rule 5(3), and their performance does not form part of the injury analysis.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Authority is requested to call for verified production and installed capacity data from all known domestic producers of the PUC, including Sara Healthcare, Amigo Surgicare, etc. before concluding that the domestic industry represents a major proportion of total Indian production.		

E. CONFIDENTIALITY

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Views of the other interested parties 50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality: a. Applicants have claimed excessive confidentiality on critical economic parameters, including selling price, cost of sales, profitability, working capital, annual reports, project reports, and evidence of installed capacity, without providing meaningful non-confidential summaries.	**Views of the domestic industry** 51. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality are as follows: a. In the findings issued by the Brazilian authority, several related entities of Top Glove Corporation Bhd had participated. However, these entities have conspicuously not participated in the present investigation. b. A number of producers/exporters have claimed excessive confidentiality on distribution and marketing channel as well as details about related companies, production process and names of raw	**Examination by the Authority** 52. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry with regard to confidentiality have been examined as under: 53. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all interested parties as per Rule 6(7). With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows: *"7. Confidential Information:* *(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub - rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated*

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
b. Applicants have not disclosed the 10% adjustment for the calculation of normal value and related evidence. c. The failure to provide information inhibits the ability of exporter to make effective comments and if not rectified, the present investigation must be terminated. Reliance was placed on Automotive Tyre Manufacturers Association v. Designated Authority (2011) and Union of India v. Kumho Petrochemicals Co. Ltd. (2017) where the Supreme Court held that Rule 6 of the Anti-Dumping Rules embodies the principles of natural justice and must be scrupulously followed. d. When a party is denied meaningful access to the evidence on record, it results in a violation of the right to a fair hearing, which is the very essence of natural justice.	materials used in the production of product under consideration. c. Product catalogue and brochure as well as list of products sold which is routinely shared with the customers have been claimed confidential. d. Sample domestic and export sales documents have been undisclosed. While documents itself may be confidential, the list of documents submitted has not been disclosed. e. Total Indian production was disclosed in the non-confidential version of the application and total production of other Indian producers has been disclosed. f. Disclosure of average data would disclose information inter-se the producers who are part of the domestic industry as well as to other Indian producers and hence information on account of productivity was provided in trend. g. The exporters have not disclosed the kind of adjustments sought by them for fair comparison. h. Therefore, the Authority is requested to critically examine the completeness of the responses, particularly in light of the Brazilian investigation where Top Glove's response was rejected for similar deficiencies, and to ensure that adequate non confidential summaries are provided so that the applicants can participate meaningfully in the proceedings.	*as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.* *(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.* *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."* 54. The Authority *vide* para 36 of the initiation notification, directed interested parties to offer their comments on confidentiality by interested parties within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents. 55. The information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. 56. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		seen that wherever information is for an injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as weighted average normal value, non-injurious price and price undercutting has been disclosed in a range. 57. The Authority notes that the domestic industry and the other interested parties have shown good cause for the confidentiality claimed. The information for which disclosure has been sought by the parties is business proprietary information, the disclosure of which would be prejudicial to the business interests of the parties.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Views of the other interested parties 58. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin: a. Normal value determined by the domestic industry using e-commerce websites is flawed methodology as it is based on an unrepresentative, small sample size. Retail-level e-commerce prices are an improper basis for determining normal value, when cooperating	**Views of the domestic industry** 59. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin: a. To estimate normal value, the prices at which the subject goods are being sold on the e-commerce websites in Malaysia and Thailand have been relied upon. b. Alternatively, normal value has also been estimated based on price payable in India considering the cost of production in India, including selling, general, administrative expenses and a	**Examination by the Authority** **F.3.1 Normal Value and Export Price** 60. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means: *i. The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or* *ii. When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-* *a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or* *b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);* *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.* 61. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries and received questionnaire responses from the following exporters/producers: a. Hartalega NGC SDN Bhd b. Mun Global Sdn Bhd c. Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Ltd.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
exporters from market economy countries have submitted actual domestic sales and cost data. Online platform prices reflect different levels of trade, consumer segments, branding, packaging, and commercial circumstances, and bear no relation to the ordinary course of trade analysis. The Applicants' adjustments to such retail prices are entirely estimated, unverified, and arbitrary. b. It is submitted that the Applicants' alternative method of constructing normal value based on Indian cost of production plus SG&A and profit is unsustainable when exporter-specific, verified data from a market economy country is	reasonable profit. c. Adjustments on the selling price for an estimate of expenses that may have been incurred on account of taxes and charges levied by the e-commerce portal are made for calculation of normal value. d. No adjustments are required to be made, if the normal value is determined considering the cost of production in India, as these are based on estimates of the cost of production at ex-factory levels. e. Ex-factory export prices have been estimated based on volume and value of imports as per secondary source data. Adjustment on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges, inland freight expenses, secondary packaging, credit costs and inventory carrying costs have been made. f. Authority is requested to examine if the exporter has reported all the	d. YTY Industry Sdn. Bhd. e. TG Medical Sdn Bhd (Malaysia) f. TG Worldwide Sdn (Malaysia) g. Top Glove Sdn Bhd (Malaysia) h. Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. (Malaysia) i. Dr. Boo Company Limited (Thailand) 62. The responses of all the producers/exporters as submitted originally and through response to the deficiency letters issued have been examined hereunder: **<u>Malaysia</u>** **i. Hartalega Group** **Hartalega NGC Sdn. Bhd. ("Hartalega NGC", Producer)** **MUN Global Sdn. Bhd. ("MUN Global", Exporter)** **MUN Health Product (India) Pvt. Ltd. ("MUN Health", Importer)** 63. M/s Hartalega NGC Sdn. Bhd. is engaged in manufacturing of the subject goods in Malaysia and has produced *** Lacs PCS of the PUC during the POI. The reported export channel comprises Hartalega NGC Sdn. Bhd. as the producer, MUN Global Sdn. Bhd. ("MUN Global") as its related exporter in Malaysia, and MUN Health Product (India) Pvt. Ltd. ("MUN Health") as the related importer in India. The goods produced by Hartalega NGC were exported through MUN Global to MUN Health for resale in the Indian market. 64. As per the information filed by Hartalega NGC, it has supplied *** pieces of PUC in the domestic market to its related exporter/trader, MUN Global Sdn. Bhd. However, the domestic sales of PUC reported by the said related party have been stated to be *** pieces. The difference between the quantity supplied by Hartalega NGC and the quantity reported as sold domestically by its related party has been attributed to alleged inventory timing differences. In its response dated 3rd August 2026 to the Authority's letter dated 27th July 2026, the producer/exporter contended that the quantities resold by MUN Global during the POI do not necessarily correspond to the quantities sold to it by Hartalega NGC during the same period, since MUN Global's sales during the POI may include sales out of inventory purchased from Hartalega NGC before the POI. However, no supporting documents or other verifiable evidence have been furnished to substantiate the said explanation. 65. It is further noted that, as per Appendix-1 submitted by MUN Global Sdn. Bhd., its domestic sales of PUC amounted to only *** pieces. In respect of the aforesaid discrepancy, the producer/exporter submitted that, out of the *** pieces of PUC sold by Hartalega NGC Sdn. Bhd. to MUN Global Sdn. Bhd., only *** pieces were resold by MUN Global Sdn. Bhd. in the domestic market, while the remaining *** pieces were sold by MUN Global Sdn. Bhd. to customers in other countries and to MUN Health (India) Private Limited. 66. Upon holistic examination of the information furnished by the producer/exporter and its related trader/exporter, the Authority notes that differing explanations have been offered for the same discrepancy at different stages: (i) in the response dated 19th June 2026, that Appendix 4B covers both PUC and NPUC, whereas Appendix 4B itself classifies the entire quantity of *** pieces under PCNs of the

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
available on record. The Authority must determine normal value using the actual verified information furnished by the responding exporter, and the Applicants' estimates cannot override such verified exporter data. c. It is submitted that the export price determination by the Applicants is based on secondary source data and estimated adjustments, which cannot form a basis for exporter-specific dumping when transaction-specific data has been furnished by the respondents. Therefore, it is submitted that the respondents' own verified data should be relied upon. d. It is submitted that the Domestic Industry's	expenses incurred by them in exporting the product. Price adjustments must be made for all factors which affect price comparability between normal value and export price. g. The Authority is requested to verify export volumes and values reported by the exporter against data from DGCI&S and DG Systems, reject questionnaire response and use facts available when claims don't match Indian customs data. h. Authority may examine invoices submitted to Malaysia and Thailand and Indian customs authorities, accounting invoices used to report income and expense, payment proof, including bank statements and party account records. The response should be rejected if an exporter reports conflicting prices to Malaysian or Thai customs and Indian customs, and if exporters fail to provide sufficient proof	PUC and the product description in most of the transactions refers to examination gloves; (ii) in the response dated 3rd August 2026, that the variance is attributable to inventory timing differences; and (iii) as noted in the preceding paragraph, that only *** pieces were resold by MUN Global in the domestic market. These explanations cannot be reconciled with one another. If only *** pieces were resold in the domestic market, the domestic resales of *** pieces reported by MUN Global in Appendix 4B remain unexplained; and an inventory timing difference could not account for resales exceeding purchases by about *** crore pieces without a corresponding drawdown of the opening inventory of MUN Global, which has not been demonstrated. None of the explanations has been supported by a reconciliation statement, inventory records, sales registers or other verifiable documents. The Authority is, therefore, unable to ascertain the quantity and value of the domestic sales of the PUC to independent customers in Malaysia, which form the basis for determination of the normal value of the Hartalega Group. 67. The Authority examined the original questionnaire response, the verification information, and the subsequent clarifications filed by the Hartalega Group. During such examination, material inconsistencies were identified in the information necessary for determination of normal value and export price. The Authority sought clarifications regarding the discrepancies relating to domestic sales through MUN Global, and the information reported by MUN Health in Appendices 15 and 16. It was expressly informed to the parties that failure to provide necessary information could lead to recourse to Rule 6(8). Hartalega submitted its response to the clarifications sought. Subsequently, further deficiencies relating to the disclosure/participation of related entities and the outstanding export proceeds between related entities were also communicated. The responses filed by the party have been examined by the Authority hereinbelow. 68. Material discrepancies also remain in the information furnished by MUN Health, the related importer in India, in its Appendices 15 and 16. It was submitted by the producer that Appendix 15 contains information restricted to the PUC and the PCNs considered for dumping-margin analysis, whereas Appendix 16 reflects broader transactions appearing in its ERP/accounting records and includes NPUC, excluded PCNs, samples and other commercial transactions. In its written response dated 3rd August 2026, the party stated, inter alia, that (a) Appendix 15 has been prepared after applying PUC filters, PCN-level exclusions and investigation-specific adjustments; (b) Appendix 16 is derived from the purchase/sales registers and ERP records and represents gross transactional quantities without such exclusions; and (c) both appendices are internally consistent and "fully reconcilable once differences in scope and filtering methodology are considered", the variance being "purely classification- and scope-based". However, it is noted that no transaction-wise or numerical reconciliation has been furnished identifying the specific transactions constituting NPUC, samples or other commercial transactions and demonstrating how the figures in Appendix 16 reconcile to those in Appendix 15. In particular, the explanation does not reconcile the substantial difference in the cost of purchase of ₹*** crore reported in Appendix 15 as against ₹*** crore reported in Appendix 16. If

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
generalized allegations regarding questionnaire responses and public version deficiencies are directed largely at exporters other than Hartalega and rely on extraneous matters such as Brazilian proceedings. Such exporter-specific grievances cannot be imputed to Hartalega, a separate legal entity that has independently participated and provided all required information. e. While the Domestic Industry has sought extensive verification of export prices using customs records and contends that any discrepancy should lead to rejection of the EQR, it may be noted that the PUC forms only a part of tariff item 4015 12 00, which also covers other gloves. Therefore, any	of payment from Indian buyers. i. The dumping margin from the subject countries is not only above de minimis, but also significant.	Appendix 16 were broader in scope than Appendix 15, as claimed, the cost of purchase reported therein could not be lower than that reported in Appendix 15; yet the cost of purchase in Appendix 16 is less than one-fourth of that in Appendix 15. Therefore, the Authority is unable to ascertain from the information furnished which figures correctly represent purchases, resales and profitability relating to the PUC. Further, the figures reported in Appendix 16 have been incorrectly allocated, with no explanation provided for reasons of such allocation. 69. MUN Health is a related Indian customer and forms part of the related export chain. The reliability of the export price has therefore to be examined with reference to the complete financial and physical flow of the transactions up to resale to an independent buyer. In the absence of a reliable reconciliation of the related importer's purchase cost and the segregation of PUC and NPUC transactions, the Authority is unable to reliably determine the export price on the basis of the reported data. MUN Health, which is represented in the present proceedings by the same legal representative as the producer and the exporter, has not offered any explanation separate from that of the producer/exporter. Its submissions, as conveyed in the responses dated 3rd August 2026 and 21st September 2026, are confined to the explanation on Appendices 15 and 16 noted above and to the statement that the payments outstanding to MUN Global represent ordinary intra-group credit/cash-flow accommodation. MUN Health has not furnished its purchase and resale records reconciled with its financial statements, which would have enabled the Authority to construct the export price on the basis of the price at which the imported goods were first resold to an independent buyer, in terms of Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement. 70. The Authority had also sought details regarding the fact that payment in respect of a substantial number of export transactions from MUN Global to its related importer MUN Health remained outstanding. Hartalega stated that the outstanding amounts represented ordinary intra-group credit/cash-flow accommodation between related entities. However, the response does not provide the complete invoice-wise outstanding receivables, agreed payment/credit terms, due dates, subsequent realisation/payment particulars and corresponding credit-cost reconciliation. In the absence of such information, the Authority is unable to establish the actual terms and conditions of payment governing the related-party export transactions, the extent of credit extended to the importer, and whether the reported export prices appropriately reflect the financial terms of the transactions. The producer has also not demonstrated whether any financing or credit costs attributable to the outstanding receivables have been duly accounted for in the reported export prices or in the adjustments claimed for the purpose of comparison with normal value. Consequently, the reliability and comparability of the reported export prices, as well as the accuracy of the claimed adjustments, remain unsubstantiated for the purpose of determining the dumping margin. 71. As regards the disclosure of related entities, the Authority notes that Question 6 of Part I of the prescribed Exporter Questionnaire requires disclosure of the parent companies, subsidiaries and all other related companies, whether or not involved with the product under investigation, together with their activities. Hartalega subsequently provided explanations regarding various group entities and stated, inter

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
import data drawn from DG Systems, DGCI&S, or similar customs sources under that tariff item must be appropriately filtered to isolate data relating to medical examination rubber gloves. f. Therefore, the Authority is requested to reject the Applicants constructed normal value methodology, rely on the verified exporter-specific data submitted by the respondents, and ensure that any customs-based import data used for verification is appropriately filtered to isolate data strictly pertaining to the product under consideration.		alia, that Hartalega Sdn. Bhd. ("HSB") manufactured industrial/general-purpose gloves and did not produce the PUC during the relevant period, whereas Hartalega NSM Sdn. Bhd. ("HNSM") was dormant. Hartalega also stated that the third-country transactions appearing against HSB are related to industrial/general-purpose gloves rather than the PUC. However, even though the producer/exporter has submitted that there has been no production of PUC in the POI for HSB and that HNSM was dormant in this time, it is seen from the 2024 and 2025 Annual Reports that the principal activity for these two entities is still stated as 'manufacturing of latex gloves'. Further, the 2026 Annual Report for Hartalega shows that for HSB, the operations were temporarily ceased during the financial year and has become dormant as of 31 March 2026 and for HNSM, that it was dormant/inactive as on 31 March 2026 and 31 March 2025. Since it clearly states that the status of these entities is dormant/inactive in 2026, and the same is not mentioned in earlier annual reports, it is assumed that the principal activity as stated in the annual report for 2024 and for 2025 has been conducted. Information regarding all related producers of the PUC is material for determining the cost of production and for examination of domestic sales for the purposes of normal value. 72. In view of the foregoing, and particularly considering that the necessary information and reconciliations described above were not furnished satisfactorily despite sufficient opportunities, the Authority considers that the questionnaire response of Hartalega NGC Sdn. Bhd., together with MUN Global Sdn. Bhd. and MUN Health Product (India) Pvt. Ltd. forming its participating export chain, cannot be relied upon for determination of an individual dumping margin. The Authority has therefore not accepted the EQR for the purpose of determination of an individual dumping margin and corresponding injury margin, and has proceeded in respect of the said producer/exporter in accordance with Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, 1995 i.e on the basis of facts available. **ii. Top Glove Group** **Top Glove Sdn Bhd ("TGSB", Producer/Exporter)** **Top Glove Medical ("TGM", Producer/Exporter)** **Top Glove Worldwide ("TGWW", Producer/Exporter)** 73. The Top Glove Group claimed that it did not have sufficient domestic sales of the PUC and accordingly claimed calculation of normal value on the basis of cost of production. In this regard, vide email dated 13 August 2026, the Authority sought clarification regarding domestic sales of the PUC and the production / sales activities of other related entities within the Group. In this regard, the Authority has made a reference to the instructions provided in the questionnaire format which provide that all related producers of the PUC, irrespective of whether their production was exported to India, are required to file a separate questionnaire response. In particular, their attention was drawn to Instruction 8(ii) of the Exporter's Questionnaire, which provided that, in the case of market economy countries, all related producers involved in the production of the product under consideration, irrespective of whether their production has been exported to India or not, are required to furnish information in Parts I, II and III of the questionnaire response.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		74. It was also communicated that the related producers involved in the production of the product under consideration had neither filed a questionnaire response nor furnished any information before the Authority. Consequently, the Authority is unable to examine or verify the relevant facts pertaining to one of the related producers forming part of the producer group in Malaysia. In the absence of complete information, the Authority is presently not in a position to determine the normal value and dumping margin for the producer group in accordance with its established practice and the applicable provisions of the Anti-Dumping Rules. 75. In response, vide submission dated 16 August 2026, the Top Glove Group submitted that only TGM and TGSB have produced the grades/specifications that were exported to India during the POI. No other company or plant within the group is engaged in production of similar grades and specifications. The Authority notes that Top Glove Group failed to clarify or confirm whether any other company within the Group produced the PUC (in any grade or specification) in Malaysia. 76. The Authority, vide email dated 17th August 2026, provided another opportunity to the Top Glove Group to clarify whether any related entity had produced or sold the PUC, whether or not such grade or specification had been sold in the domestic market. The Authority has reiterated once again the participation requirements for related producers under the questionnaire instructions and the consequences of incomplete information under Rule 6(8), read with Annexure II to the WTO Anti-Dumping Agreement. In response, the Top Glove Group acknowledged that there is another entity which manufactured and sold the PUC in the domestic market during the POI. Further, no transaction wise information pertaining to domestic sales, along with the corresponding cost of production, was provided to the Authority. Instead, the Top Glove Group claimed that such domestic sales amounted to less than 5% of the Group's exports to India. 77. The Authority notes that this material fact was disclosed only after repeated and specific questions asked by the Authority at a belated stage of the investigation. Even then, the information provided was incomplete. The Authority notes that despite being provided with multiple opportunities, the Top Glove Group has not furnished complete domestic-sales and cost information for the additional related entity which it acknowledged had manufactured and sold the PUC in the domestic market. 78. In its reply dated 19th August 2026, the Top Glove Group submitted that (i) GMP Medicare Sdn. Bhd. ("GMP"), a related company, produced and sold the PUC in the domestic market during the POI; (ii) the domestic sales of the PUC by the Group during the POI amounted to *** thousand pieces (*** thousand pieces by TGSB and *** thousand pieces by GMP), as against sales to India of *** thousand pieces through TGWW, i.e. about ***%, which is below the 5% threshold for sufficiency of domestic sales, so that such sales should not be relied upon for determining normal value; (iii) GMP accounted for only about ***% of the Group's production of the PUC during the POI, TGSB and TGM accounting for the balance, so that its exclusion would not materially affect the determination; and (iv) considering the time and resources required, the Group had selected the material entities to respond, and requested that GMP be excused from filing a

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		questionnaire response. 79. The Authority has examined the reply and notes as follows. First, the requirement under Instruction 8(ii) of the questionnaire that all related producers of the PUC furnish information in Parts I, II and III is not subject to any threshold of materiality, and it is not open to a respondent to select which of its related producers will participate. Second, the sufficiency test is to be applied by the Authority on the basis of complete and verified transaction-wise data of the producer group; the Group has furnished only aggregate figures for GMP, without transaction-wise domestic sales or cost of production, so that the Authority can neither verify the claimed ratio nor examine whether the sales were made in the ordinary course of trade. Third, even if normal value were to be constructed, the cost of production of all the related producers of the PUC would be necessary to determine the cost of production of the producer group, and the cost data of GMP has not been furnished. Fourth, the existence of GMP's production and domestic sales was disclosed only in response to the Authority's second communication dated 17th August 2026, the Group having confined its response dated 16th August 2026 to the grades exported to India. 80. In view of the above, the Authority notes that Top Glove Group failed to furnish complete information and withheld crucial information, thereby impeding the investigation, and did not cooperate to the best of its ability. Accordingly, in terms of Rule 6(8) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, read with Annexure II to the WTO Anti-Dumping Agreement, the Authority has relied upon facts available for the purposes of determination and has not determined an individual dumping margin for the Top Glove Group. **iii. YTY Group** **YTY Industry Sdn. Bhd. ("YTY", Producer/Exporter)** 81. YTY Industry Sdn. Bhd. (hereinafter "YTY") has filed an exporter's questionnaire response. YTY has reported that it exported the product under consideration to India through two channels during the period of investigation: (a) directly to unrelated customers in India, and (b) through an unrelated trader, Medline International B.V., the Netherlands (hereinafter "Medline B.V."), which in turn invoiced the goods to a customer in India. The exports through Medline B.V. have been reported in Appendix 3B. 82. In terms of the exporter's questionnaire, where exports to India are made through a related or unrelated trader, the trader is required to file Parts I and II of the questionnaire response along with the profitability statement, so that the price at which the goods are exported to India can be established and verified. Medline B.V. has not filed a questionnaire response or otherwise participated in the present investigation. YTY has stated that this requirement is not applicable to it since it is a producer and not a trader. The importer in India of these consignments has not participated in the investigation either. 83. The Authority notes from the information on record and from publicly available information that Medline B.V. and the consignee in India appear to belong to the same corporate group. The price charged by Medline B.V. to the customer in India is therefore a price between

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		associated parties. In terms of Section 9A(1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with Rule 10 of the Anti-Dumping Rules and Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement, where the export price is unreliable because of association, it may be constructed on the basis of the price at which the imported goods are first resold to an independent buyer. In the absence of any response from Medline B.V. and the Indian importer, neither the price at which the goods entered India nor the resale price to an independent buyer is available on record. The information available further indicates that the price of these goods at the level of Medline B.V.'s sale to India is not consistent with the price reported by YTY in Appendix 3B. 84. In view of the above, the Authority is unable to accept the transactions reported in Appendix 3B as a reliable basis for determining the export price of the product exported to India by YTY through Medline B.V. Accordingly, these transactions have not been considered in determining the individual dumping margin or injury margin of YTY. 85. YTY has, however, cooperated with the investigation and furnished verifiable information on its direct exports to India, which account for the major part of its exports to India during the period of investigation. The Authority has therefore determined the export price, and consequently the dumping margin and injury margin, for YTY on the basis of its direct exports to unrelated customers in India, in accordance with Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement. 86. For determining normal value of YTY, it is noted that M/s YTY Industry Sdn. Bhd. is a Malaysian producer of the subject goods which has produced and sold *** lakh pcs of the like article during the POI, all to unrelated customers, which is well above 5% of its exports to India and is sufficient to permit a proper comparison. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production and SGA expenses concerning the product under consideration. The test was carried out PCN-wise. Where profitable sales exceed 80% of the domestic sales volume of a PCN, normal value is based on the weighted average price of all domestic sales of that PCN; where profitable sales are between 20% and 80%, only the profitable sales are considered; and where profitable sales are less than 20%, the domestic sales are not considered to be in the ordinary course of trade and normal value is constructed on the basis of the cost of production plus profit margin. The normal value, thus determined is mentioned in the dumping margin table. 87. With regard to determining net export price, it is noted that YTY has directly exported *** pcs of subject goods to Indian customers. Adjustments towards ocean freight, insurance, inland transportation, credit cost and bank charges have been claimed by the producer/exporter. Adjustments as claimed have been allowed by the Authority after desk verification. The adjustments have been examined with reference to the delivery terms of each transaction, ocean freight and insurance having been allowed only on transactions on CIF terms, and with reference to the supporting documents furnished. The Authority has considered the weighted average export price based on different PCNs exported to India. Accordingly, the net export price has been determined for exports to India. The determined export price is given in the dumping margin table below.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		iv. Tan Sin Lian Industries **Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. ("TSLI", Producer/Exporter)** 88. M/s Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. is a Malaysian producer of the subject goods which has produced and exported the PUC to India during the POI. The exporter has reported its export quantity in Appendix 3A as *** bags, which, considering the conversion factor of *** pieces per bag stated in its questionnaire response, is equivalent to *** pieces. However, the export quantity has not been reported in the prescribed unit (pieces) in Appendix 3A. The Authority examined the questionnaire response filed by TSLI and noted material deficiencies in the sales, production and costing information furnished by the party. 89. The Authority notes that Appendices were filed in a protected format, thereby preventing examination of the underlying data and calculations. The Authority further notes that the capacity reported therein comprises an aggregate of separate figures. However, no explanation has been provided regarding the basis of such reporting, including whether these figures pertain to multiple plants, facilities or production lines. Further, the capacity reported varies across the different periods without any explanation for such variation. It is also observed that the aggregate production of the PUC and NPUC corresponds to the reported capacity. In the absence of an explanation concerning the basis of reporting capacity and the relationship between reported production and capacity, the Authority is unable to satisfy itself as to the accuracy and reliability of the production and capacity information furnished by TSLI. TSLI has not offered any explanation on this aspect in its reply dated 14th September 2026. 90. As regards Appendix 3A, the Authority notes that PCN-wise information has not been furnished. Further, the appendix was submitted in a protected format, thereby preventing examination of the underlying data. It is also noted that the individual export transactions have not been identified according to the PCNs prescribed by the Authority, and the corresponding PCN-wise cost information has not been furnished. Consequently, the Authority is unable to examine the information at the PCN level or reconcile the quantities reported therein with the information furnished elsewhere in the questionnaire response. TSLI has not offered any explanation on this aspect in its reply dated 14th September 2026. 91. Similarly, Appendix 4A does not contain PCN-wise information and has been submitted in a protected format. The absence of PCN-wise information prevents the Authority from examining the transactions concerning the subject goods with reference to the product characteristics prescribed for the present investigation. Further, the protected format prevents examination of the underlying information and calculations forming the basis of the figures reported in the appendix. TSLI has not offered any explanation on this aspect in its reply dated 14th September 2026. 92. The Authority also notes that Appendix 6 and appendix 7 have been submitted in a protected format, thereby preventing examination of the underlying information and calculations. Further, the basis of apportionment adopted for allocation of expenses has not been furnished. Consequently, the Authority is unable to examine the manner in which the expenses reported therein have been allocated to the subject goods or satisfy itself that the allocation methodology

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		appropriately reflects the costs attributable to the PUC. TSLI has not offered any explanation on this aspect in its reply dated 14th September 2026. 93. Further, in Appendix 9, PCN-wise cost information has not been furnished. The absence of PCN-wise cost information prevents the Authority from examining costs at the PCN level and verifying the basis on which costs have been reported and allocated across different product categories. Consequently, the Authority is unable to determine whether the costs reported by TSLI appropriately correspond to the individual product types forming part of the PUC for the purposes of determination of normal value. TSLI has not offered any explanation on this aspect in its reply dated 14th September 2026. 94. The producer / exporter was requested to furnish the unprotected (without password protection) appendices on immediate basis and submit the documents in support of the cost claimed in a reasonable time. However, neither such appendices nor the supporting documents have been submitted by the producer / exporter. 95. In its only reply to the Authority's communications dated 8th and 12th September 2026, TSLI, vide e-mail dated 14th September 2026, did not address any of the deficiencies noted above. It stated that the information sought on sales by the Indian importer could only be obtained from the importer, that the time allowed was unreasonably short, that the person in charge was travelling overseas, and that it would require one month, i.e. till 15th October 2026, to furnish the information. The Authority notes that the questionnaire response was due on 7th January 2026; that TSLI filed its response twice, in January and in March 2026, with the appendices in protected format on both occasions; and that the deficiencies relate to TSLI's own production, cost and sales records, which were within its possession throughout, and not merely to information held by the Indian importer. Having regard to the statutory time-limit for completion of the investigation, the request for a further month was declined vide e-mail dated 14th September 2026 and TSLI was asked to furnish the information by 15th September 2026, which it did not do. 96. In view of the foregoing, and particularly considering that material sales, production and cost information necessary for determination of an individual dumping margin was either incomplete, inaccessible or not furnished at the requisite PCN level and prescribed unit, the Authority finds that the questionnaire response filed by TSLI cannot be relied upon for determination of an individual dumping margin. The Authority has therefore not accepted the EQR filed by TSLI for the purpose of determination of an individual dumping margin and corresponding injury margin. The Authority has accordingly proceeded in respect of TSLI on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. **<u>Thailand</u>** **i. Sri Trang Group** **Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited ("STGT")** 97. STGT is a public listed company from Thailand. STGT reported domestic sales of *** pcs of the like article during the POI. Of these, *** pcs were sold to related parties and *** pcs to unrelated customers. It was noted that the domestic sales are well above 5% of export sales to India. They are therefore sufficient to permit a proper

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		comparison under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975 read with footnote 2 to Article 2.2 of the WTO ADA. 98. Sales to related parties are about ***% of total domestic sales. The Authority examined whether they were made at arm's length. Given their negligible share, these sales have no material bearing on the determination of normal value. 99. The Authority then compared the net ex-factory price of each domestic sale with the per-unit cost of production, comprising fixed and variable costs plus administrative, selling and general expenses, over the POI. The test was carried out PCN-wise, with reference to the cost of production determined by the Authority, i.e. the PCN-wise weighted average cost of production of STGT for the POI. The request of STGT for use of its transaction-wise cost has been examined in Section I below. Where profitable sales exceed 80% of the domestic sales volume of a PCN, normal value is based on the weighted average price of all domestic sales of that PCN; where profitable sales are less than 80%, only the profitable sales are considered. 100. Accordingly, the normal value for STGT has been determined on the basis of its domestic selling prices in the ordinary course of trade, adjusted to the ex-factory level for inland freight, insurance, storage cost and credit cost. The ex-factory normal value so determined is shown in the dumping margin table below. **Determination of Export Price** 101. During the POI, STGT produced and exported *** pcs of the product under consideration to India. All of these exports were sold directly to unrelated customers in India, with no related trader or intermediary involved. 102. STGT claimed adjustments for ocean freight and shipping cost, handling charges, demurrage and detention charges, inland freight, insurance and credit cost. The Authority accepted these adjustments after desk verification. The net export price at ex-factory level is shown in the dumping margin table below. **ii. Dr. BOO Company Limited** 103. Dr. Boo Company Limited ("Dr. Boo"), Thailand, participated in the present investigation in respect of the subject goods. The Authority examined the questionnaire response filed by Dr. Boo and noted material deficiencies in the manner and form in which the response and supporting information had been furnished. The Authority further notes that Dr. Boo was, on multiple occasions, afforded an opportunity to furnish the requisite information and rectify the deficiencies in its response. In particular, vide email dated 5th May 2026, the Authority specifically informed Dr. Boo that the questionnaire response submitted by it on 10th November 2025 was "incomplete and not as per" Trade Notice No. 06/2021 dated 29th July 2021, and further recorded that the producer/exporter had not submitted the requisite format/appendices concerning the production process and cost of production of the product under consideration. Dr. Boo was accordingly called upon to explain why its questionnaire response should not be disregarded and the determination made on the basis of facts available. 104. The Authority notes that the exporter questionnaire response is required to be furnished in the form and manner prescribed by the

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		Authority so as to enable examination and verification of the information submitted by an interested party. However, Dr. Boo did not furnish a complete questionnaire response. In particular, Part I, Section C; Part II, Sections D and E; Part III, Sections F, G and I; and Part IV, Section J were not provided as part of the written response. While certain appendices pertaining to these sections were furnished, the corresponding narrative responses and explanations required under the questionnaire were absent. Consequently, the appendices furnished could not be meaningfully examined in the absence of the corresponding explanations and information required under the relevant sections of the questionnaire. 105. The deficiencies concerned information necessary for examination of the response and determination of an individual dumping margin. The Authority had specifically brought the incompleteness of the response to the attention of Dr. Boo vide its email dated 5th May 2026 and sought the requisite information/justification. In response, Dr. Boo, vide email dated 13th May 2026, resubmitted the "Answered Questionnaire" originally furnished on 10th November 2025 and additionally furnished certain information relating to the cost of production of the PUC and the production process. Thus, despite having been expressly informed that its original response was incomplete and not in accordance with the prescribed Trade Notice and having been afforded an opportunity to remedy the same, Dr. Boo did not furnish a complete questionnaire response in the prescribed form and manner. 106. The Authority further notes that the entire questionnaire response was furnished in a single PDF file without clear demarcation between the narrative responses and the appendices. The information was therefore not provided in a manner that enabled the Authority to identify and correlate the information furnished with the corresponding requirements of the prescribed questionnaire. The manner in which the information was submitted consequently prevented a meaningful examination of the questionnaire response. 107. The Authority also notes that the underlying data and appendices were not furnished in Excel format. As a result, the underlying data submitted by Dr. Boo was not available in a form that permitted the Authority to undertake the workings and calculations necessary for determination of normal value, export price and an individual dumping margin. The absence of the underlying data in workable electronic form also prevented the Authority from carrying out the necessary analysis of the information furnished in the questionnaire response. 108. The Authority further notes that the non-confidential version of the questionnaire response was not duly circulated to all interested parties. The requirement of circulation of non-confidential submissions had been specifically reiterated during the course of the investigation. In particular, the Authority, vide communication dated 7th November 2025, required interested parties to circulate the non-confidential versions of their submissions/comments to all interested parties. Dr. Boo was amongst the recipients of this communication. The requirement of circulation was therefore within the knowledge of Dr. Boo and was not merely a procedural requirement of which the exporter had not been made aware. 109. The submissions of Dr. Boo and the examination thereof by the

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
		Authority are as follows: (a) in its e-mail dated 13th May 2026, in reply to the Authority's communication dated 5th May 2026, Dr. Boo resubmitted the questionnaire response filed on 10th November 2025 and furnished the cost of production of nitrile and latex powder-free gloves and a description of the production process; the resubmission did not supply the missing narrative sections, and the cost information was not furnished in the format of the prescribed appendices or PCN-wise, so that the deficiencies pointed out were not cured; (b) in its letter dated 24th September 2026, Dr. Boo stated that it has no affiliated entities in India or related producers of the subject goods in Thailand or elsewhere, that its response is complete and accurate, and requested determination of an individual dumping margin; the Authority notes that the rejection of the response is not founded on non-disclosure of affiliates, and the letter does not address the deficiencies in the form, content and workability of the response noted above; (c) on examination of the response, the Authority further notes that the export transactions to India have not been reported PCN-wise, that the response refers to 49 export transactions to India while details of only 5 transactions have been furnished, and that the listing of domestic sales does not contain the names of customers, relationship, delivery and payment terms, gross and net invoice values, discounts, freight, insurance, inland transportation, credit period and cost, packing or other deductions; in the absence of this information, neither the normal value nor the net export price could be determined for Dr. Boo even if the response were otherwise accepted; and (d) the domestic industry, vide its submission dated 25th September 2026, stated that it was not aware that Dr. Boo had filed any questionnaire response since no non-confidential version was served on it, and that it had flagged the non-receipt of non-confidential versions from several producers/exporters, including Dr. Boo, vide its e-mail dated 27th February 2026 circulated to all interested parties; Dr. Boo has not controverted this. 110. In view of the foregoing, and particularly considering that Dr. Boo had been specifically informed by the Authority of the deficiencies in its response and afforded an opportunity to rectify the same, a non-confidential version of the response was not placed on file or circulated, substantial portions of the prescribed questionnaire response were not furnished, and that the information and underlying data submitted were not provided in the prescribed form and manner, including in workable Excel format, that permitted meaningful analysis and determination or that was prescribed the Authority, the Authority finds that the questionnaire response filed by Dr. Boo cannot be relied upon for determination of an individual dumping margin. The Authority has therefore not accepted the EQR filed by Dr. Boo for the purpose of determination of an individual dumping margin and corresponding injury margin. The Authority has accordingly proceeded in respect of Dr. Boo on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The post-disclosure comments of Dr. Boo, together with the documents stated to have been filed therewith, have been examined in Section I below and do not alter this determination. **<u>Non-cooperating producers/exporters</u>** 111. For non-cooperating producers/exporters, including those whose questionnaire responses have not been accepted for the reasons explained above, the Authority has determined normal value and

<table>
<tr><th>Comments by Interested Parties</th><th>Comments by Domestic Industry</th><th>Examination by the Authority</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>export price on the basis of facts available under Rule 6(8). The residual margins are shown in the dumping margin table below.

<u>F.3.2. Determination of Dumping Margin</u>

112. For producers/exporters for whom individual margins have been determined, the Authority has compared the PCN-wise ex-factory export price to India with the corresponding PCN-wise normal value to determine the PCN-wise dumping margin. The table below shows the weighted average ex-factory export price, weighted average normal value and weighted average dumping margin for those producers/exporters, after taking into account the PCNs exported to India during the POI, together with the residual margins determined on the basis of facts available as described above.

113. Considering the normal value and export price determined, as explained above, the Authority holds that the dumping margin is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

<u>Dumping Margin Table</u>

<table>
<tr><th rowspan="2">Particular</th><th>Normal Value</th><th>Export Price</th><th colspan="3">Dumping Margin</th></tr>
<tr><th>(USD/Lakh Pcs)</th><th>(USD/Lakh Pcs)</th><th>(USD/Lakh Pcs)</th><th>%</th><th>Range</th></tr>
<tr><td>Thailand</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited (“STGT”)</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>10-20</td></tr>
<tr><td>Any Other</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>70-80</td></tr>
<tr><td>Malaysia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>M/s YTY Industry Sdn. Bhd.</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>40-50</td></tr>
<tr><td>Any Other</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>***</td><td>95-105</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Views of the other interested parties 114. The other interested parties have made the following submissions	**Views of the domestic industry** 115. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and	**Examination by the Authority** 116. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties. 117. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “…taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
with regard to injury and causal link: a. The Applicants' request for cumulative assessment cannot bypass the statutory requirement of a rigorous exporter-specific and country-specific analysis. b. The Applicants' data shows that the applicants are recent entrants and their performance reflects the normal difficulties of a nascent industry, including start-up inefficiencies, low economies of scale, financing burden, and market-entry challenges. c. The Applicants' data contradicts their claim of injurious import volumes. Imports from subject countries declined from	causal link: a. Dumped imports are causing significant injury to the domestic industry. b. The demand for subject goods was high in base year, during the COVID-19 pandemic and thereafter decreased in 2022-23. Demand increased in the POI. c. The volume of subject imports declined till 2023-24 and increased in the POI. Subject imports constitute 90% of the total imports. d. Price undercutting was significant and positive throughout the injury period, with the exception of 2022-23. e. Imports have caused price suppression in the domestic market. f. The price gap has widened significantly over the injury period. Both landed price and domestic	consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. 118. The Authority notes that Navco Industries Pvt. Ltd. commenced production in 2022-23 and Wadi Surgicals Pvt. Ltd. in 2023-24, and are thus new producers/entrants in a nascent stage of development. Being newly established producers, increase in production, sales, and capacity utilisation over the injury period is natural and expected feature of their growth trajectory. The Authority has therefore examined the impact of the dumped imports on the domestic industry bearing in mind the nature and stage of development of the industry, and in light of the relevant injury parameters prescribed under Annexure II of the Rules. **G.3.1 Cumulative Assessment of Injury** 119. Article 3.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement and para (iii) of Annexure II to the Rules provide that, in case imports of a product from more than one country are simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of the export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the imports of the like article, or where the exports of the individual countries are less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the imports of the like article; and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported articles and the like domestic article. 120. The Authority notes that (a) the dumping margins determined for the producers/exporters from each of the subject countries are above the de minimis limit prescribed under the Rules; (b) the volume of imports from each of the subject countries is more than three percent of the total imports of the like article in the period of investigation, with imports from Malaysia and Thailand accounting for about 73% and 17% of the total imports respectively; (c) the subject goods imported from the subject countries and the like article produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable, are sold through the same channels of distribution to the same consumer segments, and compete with each other in the Indian market; and (d) imports from both the subject countries have entered the Indian market simultaneously during the injury period. In view of the above, the Authority considers it appropriate to assess cumulatively the effect of dumped imports from the subject countries on the domestic industry. The contention of the other interested parties that cumulative assessment would bypass country-specific analysis is not accepted, as the volume and price effects have also been examined separately for each subject country wherever relevant. **G.3.2 Assessment of Demand/Apparent Consumption** 121. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of the other domestic producers and imports

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority

the base year to 2023-24 and, even in the POI, remained below the 2021-22 level. The base year was abnormal due to the second COVID-19 wave, thus any increase in imports post-normalization does not, by itself, establish injury.

d. In a market the Applicants themselves describe as highly import dependent and demand rich, the mere presence of imports cannot establish injury. The Authority should recognize that post-pandemic market normalization, not dumping, explains the correction in volumes and prices.

e. Domestic industry has failed to isolate the effects of this

selling prices declined, but the decline in the landed price was higher than that in selling price of the domestic industry.

g. Capacity of domestic industry increased in 2023-24 with the introduction of a second producer and remained constant thereafter in the POI.

h. Production and sales volumes of the domestic industry showed an increase over the injury period, however, the capacity utilization remains at only 33%.

i. Market share of the subject countries remains highly significant at 81%.

j. The domestic industry was profitable when it initiated its operations in 2022-23. As import price declined over the injury period, the domestic incurred losses, cash losses, and

from all sources. The demand for the PUC is as follows.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from Subject Countries	PCS in lakhs	68,528	39,272	30,443	42,106
Malaysia	PCS in lakhs	54,764	31,286	22,147	34,222
Thailand	PCS in lakhs	13,764	7,986	8,296	7,884
Imports from other countries	PCS in lakhs	5,118	2,884	3,883	4,930
Total Imports	PCS in lakhs	73,646	42,156	34,326	47,036
Sales of domestic industry	PCS in lakhs	-	***	***	***
Trend	*Indexed*	-	*100*	*400*	*906*
Sales of other domestic producers	PCS in lakhs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*271*	*2,562*	*5,413*
Demand/Consumption	PCS in lakhs	73,704	42,498	36,546	51,841
Trend	*Indexed*	*100*	*58*	*50*	*70*
Indian capacity	PCS in Lakhs	7,200	12,910	19,507	19,507
Trend	*Indexed*	*100*	*179*	*271*	*271*

122. It is seen that the demand for the product under consideration has declined from the base year till 2023-24 and thereafter increased in the POI. It is noted that the demand for the PUC was significantly high in the base year due to the impact of COVID as the product is used heavily in the medical sector.

G.3.3 Volume Effect of Dumped Imports

a. Imports in absolute and relative terms

123. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data procured from DG Systems. The Authority has considered the data based on the finalised PUC and PCN of the subject goods. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period is as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports in absolute terms:					
Imports from Malaysia	PCS in lakhs	54,764	31,286	22,147	34,222
Imports from Thailand	PCS in lakhs	13,764	7,986	8,296	7,884
Imports from Subject Countries	PCS in lakhs	68,528	39,272	30,443	42,106
Imports from other countries	PCS in lakhs	5,118	2,884	3,883	4,930
Subject Imports in relative terms:					
Indian production	%	60,644%	6,809%	1,024%	738%
Trend	*Indexed*	*100*	*11*	*2*	*1*
Indian consumption	%	93	92	83	81
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*90*	*87*

124. It is seen that the volume of imports from the subject countries in absolute terms

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
global market correction from the effects allegedly caused by the subject imports, as required under Annexure II of the Anti-Dumping Rules. f. The Applicants' reliance on broad import trends and aggregated landed value analysis is unreliable in the absence of proper product-specific segregation and like-to-like comparison. g. The Applicants' price effect analysis is unreliable as it relies on broad aggregated comparisons of landed value with the Applicants' prices and costs, without any PCN-wise, specification-wise, or like-to-like analysis. The PUC includes multiple	negative return on investment. k. The average inventory levels increased significantly over the injury period. l. Level of employment has increased over the injury period. Salaries and wages also increased throughout the period. Productivity per day follows the same movement as employment, salaries, and wages. m. Growth of the domestic industry has been adversely impacted by the dumped imports. n. Imports from subject countries account for a significant portion of market. Consequently, domestic industry could not increase its market share. o. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.	declined from the base year to 2023-24 and significantly increased thereafter in the POI. The high imports during the year 2021-22 can be attributed to COVID. It is noted that while there is a demand supply gap in the country and imports are a necessity, the increase in imports are despite capacity with the domestic industry lying significantly idle. 125. In relative terms, subject imports in relation to Indian production and in relation to Indian consumption have declined over the injury period. This is attributable to the fact that Indian production expanded over the injury period, with the applicant companies Navco Industries Pvt. Ltd. and Wadi Surgicals Pvt. Ltd. commencing production in 2022-23 and 2023-24, respectively. The subject imports continue to remain significant in relation to Indian production and consumption, particularly in the POI. **G.3.4 Price Effect of Dumped Imports** 126. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course. 127. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries. **a. Price undercutting** 128. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the POI. Thus, weighted average price undercutting has been determined after considering associated import volumes. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject countries were imported into the Indian market at prices which were materially lower than the selling prices of the domestic industry. It is thus noted that imports of the subject goods were undercutting the domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Particulars	UOM	Malaysia	Thailand	Subject Countries
Landed price	₹/Lakh Pcs	1,22,488	1,45,397	1,26,777
Selling price	₹/Lakh Pcs	***	***	***
Price undercutting	₹/Lakh Pcs	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
Price undercutting range	Range	25-35	5-15	25-35

129. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and such price undercutting is significant.

b. Price suppression or depression

130. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
material categories, powder/powder-free forms, sterile/non-sterile forms, and weight-based variants, which require meaningful comparison on a comparable basis. The decline in import prices is from pandemic levels and not from dumping-induced price pressure, and the Applicants have failed to isolate these two distinct effects. h. Import prices being below the costs of an immature domestic producer do not automatically establish injurious dumping. The Applicants' reliance on a "normated" cost confirms that their actual costs are not yet representative of a stable, optimized cost structure, and this normation	p. The parameters provided by the domestic industry are only for domestic performance and hence export performance of the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry. q. Technology as well as the production process for producing the PUC has not undergone any significant development.	below. **Particulars** / **Unit** / **2021-22** / **2022-23** / **2023-24** / **POI** Cost of sales / ₹/ Lac Nos. / - / *** / *** / *** Trend / *Indexed* / - / *100* / *214* / *147* Net sales realization / ₹/ Lac Nos. / - / *** / *** / *** Trend / *Indexed* / - / *100* / *123* / *123* Landed value of imports / ₹/ Lac Nos. / 2,91,792 / 1,38,022 / 1,30,519 / 1,26,777 Trend / *Indexed* / *100* / *47* / *45* / *43* 131. The Authority notes that the cost of sales and selling price have increased over the injury period with the increase in cost of sales being higher than the increase in selling price. However, despite an increase in cost, the landed value of imports declined significantly till the POI. The landed price in 2023-24 and the POI is not only below the selling price of the domestic industry but also below its cost. Further, there was very significant decline of over 50% in the landed price of imports in 2022-23. The domestic industry earned marginal profits in 2022-23, but its selling price was below the cost of sales in 2023-24 and the POI. Thus, imports have caused price suppression in the domestic market. Since the applicant companies started production during the injury period, the normated cost has been compared with the selling price to examine price suppression and depression, as shown in the table below. The normated cost has been worked out by computing the cost of sales at the level of production corresponding to capacity utilisation of ***%, ***% and ***% in 2022-23, 2023-24 and the POI respectively, as against the actual capacity utilisation of ***%, ***% and ***%. **Particulars** / **UOM** / **2021-22** / **2022-23** / **2023-24** / **POI** Cost of sales Actual / ₹/ Lac Nos. / - / *** / *** / *** *Trend* / *Indexed* / - / *100* / *214* / *147* Normated / ₹/ Lac Nos. / - / *** / *** / *** *Trend* / *Indexed* / - / *100* / *169* / 147 Net sales realization / ₹/ Lac Nos. / - / *** / *** / *** *Trend* / *Indexed* / - / *100* / *123* / *123* Landed value of imports / ₹/ Lac Nos. / 2,91,792 / 1,38,022 / 1,30,519 / 1,26,777 *Trend* / *Indexed* / *100* / *47* / *45* / *43* 132. It is seen that even when compared with the normated cost, which neutralises the effect of low-capacity utilisation in the initial years of operation, the net sales realisation of the domestic industry remained below the cost in 2023-24 and the POI. Thus, the price suppression suffered by the domestic industry cannot be attributed merely to the start-up inefficiencies of a nascent industry. **G.3.5 Consequent impact on economic parameters of the domestic industry** 133. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
methodology must examined. Further, low-capacity utilization, high per-unit costs, and weak initial profitability are normal to a nascent industry. i. Domestic Industry's selling price increased during the POI despite the landed value of imports remaining lower, demonstrating that the DI retained the power to adjust its prices. j. The claim of price undercutting is based on an inflated NIP calculated using an arbitrary 22% return on capital. Reliance is placed on the CESTAT in *Indian Spinners Association v. Designated Authority* where it was held that assuming a 22% return on capital employed		and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, the various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below. 134. The Authority notes that domestic industry is at a nascent stage of development and that its profitability trends must be assessed in that context. The information on record indicates that the domestic industry earned profits only in 2022-23, which was its initial year of operations. However, subsequently, the dumped imports exerted significant price pressure in the domestic market and adversely affected the growth of the domestic industry. The Authority notes that despite being in the critical phase of establishment and expansion, the domestic industry suffered financial losses in the POI from a profitable position in 2022-23. The deterioration in profitability in 2023-24 coincided with a further decline in landed prices. Subject import volumes declined in that year and increased in the POI. **a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales** 135. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over injury period is as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed capacity	PCS (In Lacs)	-	***	***	***
	Indexed		*100*	*222*	*222*
Total Production (PUC)	PCS (In Lacs)	-	***	***	***
	Indexed		*100*	*500*	*870*
Capacity Utilization	%	-	***	***	***
	Indexed		*100*	*226*	*392*
Domestic sales	PCS (In Lacs)	-	***	***	***
	Indexed		*100*	*400*	*906*

136. The Authority notes that:

a. As noted above, Navco Industries Pvt. Ltd. commenced production in 2022-23 and Wadi Surgicals Pvt. Ltd. in 2023-24. Accordingly, it is seen that the installed capacity of the domestic industry shows increase in 2023-24 and thereafter remained the same in the POI.

b. There has been an increase in production and sales volume of the domestic industry over the injury period due to the commencement of production by the domestic industry within the injury period. However, production and sales remained insignificant when compared to the level of demand prevailing in the country. Further, even this limited increase in production and sales was achieved at the cost of incurring losses.

c. The domestic industry continues to operate at sub-optimal levels, with a substantial portion of the installed capacity remaining unutilised. Capacity utilisation was merely ***% (range 25-35%) during the POI. Thus, about ***% (range 65-75%) of the installed capacity remained idle, despite significant demand in the country.

137. It is seen that despite domestic industry commencing production on new production facility, and significant demand in the Indian market, the domestic industry has not been able to proportionately increase its production, sales and capacity utilisation. The domestic industry is suffering from significant underutilisation of production capacities.

b. Market Share in Demand

138. The market share of the subject imports and the domestic industry in demand over the entire injury period was as follows:

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority

gives an "inflated picture of price underselling which cannot be a true indicator of injury", and that the domestic industry must provide evidence of historical returns in the product segment to justify such a high benchmark.

k. The capacity, production, and domestic sales of the domestic industry have all increased over the injury period, and the POI was the best year in terms of volumes. DI's capacity utilization has increased consistently, its market share has grown, and it has been able to increase its selling price during the POI. This indicates a growing, expanding domestic industry. Any losses during this phase are consistent

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	%	93%	92%	83%	81%
	Indexed	*100*	*99*	*90*	*87*
Imports from Malaysia	%	74%	74%	61%	66%
	Indexed	*100*	*99*	*82*	*89*
Imports from Thailand	%	19%	19%	23%	15%
	Indexed	*100*	*101*	*122*	*81*
Domestic industry	%	***	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*465*	*743*
Imports- Other Countries	%	7%	7%	11%	10%
	Indexed	*100*	*98*	*153*	*137*
Other Indian producers	%	***	***	***	***
	Indexed	*100*	*470*	*5,167*	*7,696*
Total share	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

139. The Authority notes that the domestic industry for the subject goods holds merely ***% (range 0-10%) of the domestic market. The Indian industry as a whole also commands significantly low market share whereas the market share of subject imports is 81%. As noted above, while a demand-supply gap exists, dumped imports have prevented the domestic industry from securing a reasonable market share. The domestic industry should have been able to increase its production, sales and market share to the optimum levels considering the significant demand in the country. However, the market share of the domestic industry is abysmally low, with the subject imports de-facto commanding predominant share in the market.

c. Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

140. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Profit before Tax	Rs. Lakhs	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-25,604*	*-14,473*
Profit before Tax	₹/Lakh Nos.	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-6,401*	*-1,597*
Profit before Interest & Tax	Rs. Lakhs	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-1,245*	*207*

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority

with a nascent industry still climbing the learning curve and absorbing start-up costs.

l. Further the Applicants have admitted that they increased production and sales "at the cost of incurring losses" to gain market share. Losses arising from a deliberate market penetration strategy cannot be ascribed to subject imports. Such commercial choices break the causal chain required under anti-dumping law.

m. Mere existence of capacity or announced expansion plans cannot form the basis of either a dumping or threat analysis. The Applicants have not provided exporter-specific evidence

Profit before Interest & Tax	₹/Lakh Nos.	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-311*	*23*
Cash Profit	Rs. Lakhs	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-3,806*	*-2,634*
Cash Profit	₹/Lakh Nos.	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-952*	*-291*
Return on Capital Employed	%	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*-293*	*47*

141. It is noted that:

a. The domestic industry earned marginal profits in the year 2022-23. The domestic industry then suffered a sharp deterioration in profits in 2023-24, with the decline in the landed value of subject imports, before recovering only partially in the POI. The domestic industry suffered significant losses even in the POI.

b. The trends in PBIT, cash profits, and return on capital employed mirror this pattern: each parameter deteriorated sharply in 2023-24 and showed only a partial recovery in the POI, with PBIT and ROCE turning marginally positive while cash profits remained substantially negative.

142. It has been submitted by the domestic industry that the domestic producers are unable to compete with the dumped imports at such low prices, as the landed price of the subject imports is significantly below the cost of the domestic industry. The domestic industry has, therefore, been compelled to sell at unremunerative prices resulting in significant financial losses and deterioration in its profitability. The fact that the landed price remained below even the cost of the domestic industry in 2023-24 and the POI demonstrates the adverse price effect of the dumped imports and evidences the deterioration in the financial performance of the domestic industry.

d. Inventory

143. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below. It is seen that the average level of inventories with the domestic industry has increased significantly over the injury period despite sufficient demand in the country.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Inventory	PCS in lakhs	-	-	***	***
	Indexed	-	-	*100*	*8,891*
Closing Inventory	PCS in lakhs	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*8,891*	*8,372*
Average Inventory	PCS in lakhs	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*8,991*	*17,263*

e. Employment, Wages and Productivity

144. The position with regard to employment, wages, and productivity of the domestic industry is as follows.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	Nos.	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*587*	*680*

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority

showing that installed capacity is destined for India or that any change is clearly foreseen and imminent.

n. Applicants have failed to conduct a proper non-attribution analysis and have not separated the effects of known non-import factors i.e. nascent industry, start-up inefficiencies, high financing burden, low-capacity utilization, deliberate market penetration pricing, post-pandemic normalization from the alleged effects of subject imports. This fails the legal standard for establishing a causal link.

o. The primary raw material is available at a cheaper price in Malaysia & Thailand hence providing an

Salaries and wages	Rs. Lacs	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*3,427*	*3,923*
Productivity per day	Nos.(In Lacs)	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*500*	*870*
Productivity per employee	Nos.(In Lacs)	-	***	***	***
	Indexed	-	*100*	*85*	*128*

145. The Authority notes that the number of employees and salaries and wages increased over the injury period. Productivity per day also increased, following the movement of production. Productivity per employee declined in 2023-24 and recovered in the POI.

f. Growth

146. It is seen that the subject imports have adversely impacted the growth of the domestic industry as shown in the table below.

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	POI
Production (PUC)	%	-	400%	74%
Domestic Sales	%	-	300%	127%
PBIT	%	-	-1345%	-117%
Cash Profit	%	-	-3906%	-31%
ROCE	%	-	-393%	-116%

Note: The POI percentage changes for PBIT, cash profit and ROCE have negative preceding-year denominators. The negative signs do not indicate further deterioration; all three parameters improved over 2023-24.

147. It is seen that while the domestic industry has recorded positive growth in volume parameters, being production and domestic sales, over the injury period, its profitability parameters, namely PBIT, cash profit and ROCE, recorded steep negative growth in 2023-24 and, notwithstanding a partial recovery in the POI, the domestic industry continued to incur losses and cash losses in the POI. Despite this volume growth, capacity utilisation and market share remained low at ***% (range 25-35%) and ***% (range 0-10%), respectively, in the POI.

g. The magnitude of dumping margin

148. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant from each of the subject countries.

h. Impact on the ability to raise capital investment

149. The domestic industry has submitted that it made investments and added capacities over the injury period, however, dumped imports have adversely affected the domestic industry's financial performance and threaten its long-term sustainability. The Authority notes that the adverse impact on the domestic industry's economic parameters, including significant decline in its profitability over the injury period would impact its ability to raise capital investment.

150. Given the demand for the product in the country, existing capacities, and nature of product, it is evident that the product has huge potential for capacity addition. However, when the existing producers are unable to run their plants and are suffering significant financial losses, it is evident that the market is not conducive for fresh investments in the country because of significant dumping in the country.

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
infrastructure -based advantage. p. Most domestic producers focus on surgical gloves and lack the experience, equipment, or sufficient capacity to produce the PUC at competitive rates. Comparing prices of NPUC with PUC that meet BIS IS:15354 standards is misleading. Such actions risk creating an artificial shortage and escalating costs for the healthcare sector. q. The data provided by certain Indian glove manufacturers about their capacity and pricing for the PUC are inaccurate.		**i. Factors affecting prices** 151. The Authority notes that the landed price of the subject imports has been significantly below the selling price and cost of sales of the domestic industry in 2023-24 and the POI. Further, the cost of sales has increased more than the increase in the net sales realisation causing price suppression. Import prices have declined very significantly over the injury period. Therefore, dumped imports which are significantly priced lower, are the predominant factor affecting prices of the domestic industry.

G.4 NON-ATTRIBUTION ANALYSIS (OTHER FACTORS) AND CAUSAL LINK

152. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these were at the same time injuring the domestic industry, so that the injury caused by other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, *inter alia*, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in

demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

153. The imports from the subject countries have accounted for majority of the imports, across the injury period. It is seen that imports from third countries are either low in volume or at a higher price and are thus not the cause of injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

154. The Authority notes that the demand was high in the base year because of the second wave of Covid-19 pandemic. Subsequently, demand declined in 2022-23 and further in 2023-24, before increasing in the POI. While the demand in the POI has increased when compared to the previous year the capacity utilisation of the domestic industry is abysmally low because of the presence of dumped imports. Thus, injury cannot be attributed to any contraction in demand.

c. Changes in pattern of consumption

155. It is seen that there are no adverse changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

156. It is seen that there is no evidence of conditions of competition or any trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e. Development in technology

157. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f. Productivity

158. Productivity per day increased over the injury period, following the movement of production. Productivity per employee declined in 2023-24 and recovered in the POI, exceeding its 2022-23 level.

g. Export performance of the domestic industry

159. It is seen that the domestic industry's export performance is negligible. In any case, the injury information examined hereinabove relates, to the extent necessary and appropriate, only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the domestic industry's export performance has not adversely impacted the domestic industry's sales performance in domestic market.

h. Performance of other products

160. The domestic industry has provided the injury data for the like article and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold

by the domestic industry have not been considered. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

Factors establishing Causal Link

161. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the basis of the following factors:

a. Subject imports declined till 2023-24 and increased significantly thereafter in the POI. Subject imports remain significant in relation to Indian production and consumption, alongside continued underutilisation of the domestic industry's capacity.

b. The prices of the subject imports have decreased over the injury period. Resultantly, the subject imports continued to command a predominant share of the Indian market and the domestic industry lost significant market opportunity.

c. The subject imports are priced below the selling price and the cost of the domestic industry causing price suppression preventing the domestic industry from raising its prices. Resultantly the domestic industry is incurring losses.

d. The domestic industry's cash profits are also negative and the return on capital employed is barely positive.

e. The growth of the domestic industry in volume parameters has been inadequate relative to the demand in the country and its installed capacity, and its profitability parameters registered steep negative growth in 2023-24, due to the dumped imports.

G.5 MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

162. The Authority has determined the Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable pre-tax return of 22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was considered for recovery of interest, corporate tax and profit. After deducting the interest allowed in the cost of sales, the balance was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price in accordance with the principles of Annexure III of the Rules.

163. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin Table

Particular	NIP	Landed Price	Injury Margin		
	(USD/Lakh Pcs)	(USD/Lakh Pcs)	(USD/Lakh Pcs)	%	Range
Thailand					
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited ("STGT")	***	***	***	***	15-25
Any Other	***	***	***	***	20-30
Malaysia					
M/s YTY Industry Sdn. Bhd.	***	***	***	***	15-25
Any Other	***	***	***	***	25-35

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
Views of the other interested parties 164. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to public interest: a. It is submitted that the imports from the subject countries are not displacing a mature and self-sufficient domestic industry. Rather, they remain the principal source of supply. b. No product substitutes are available for the PUC. c. The primary raw material is available at a cheaper price in Malaysia & Thailand. They have many infrastructure-based advantage. d. Current raw material shortages and supply-side stress makes the anti-dumping duty counterproductive. e. Rising prices triggered by shortages in raw materials such as nitrile rubber/NBR	**Views of the domestic industry** 165. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to public interest: a. Protecting the domestic industry from dumped imports is both legitimate and essential to ensure the long-term commercial viability and self-reliance of the domestic industry in India. b. The Indian Medical Examination Gloves Industry belong to MSME Category, encouraging manufacturing activities of MSME in India is essential to aid its role in becoming a manufacturing powerhouse, boost employment and increase the GDP of the country. c. Procuring from the domestic industry is in the interest of the consumers, as the domestic industry will work for the interest of the consumers in India. d. Public interest is not limited	**Examination by the Authority** 166. The Authority considered whether imposition of the anti-dumping duty will be against public interest. This examination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers. 167. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti- dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty. 168. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
in Malaysia, shortage of ammonia used as preservative for natural rubber latex, and reduction in rubber production due to climatic conditions in India. f. Imposing duties would harm hospitals, clinics, laboratories, and other end users who rely on stable, competitively priced supply. The cumulative financial burden on high volume purchasers is substantial, contrary to the Applicants' claim of "negligible impact." The market remains import dependent and supply constrained. Duties risk reducing supply flexibility and shielding inefficiencies. g. The DI's reliance on its MSME character appears to be an appeal for protection from normal commercial competition, which is not the purpose of anti-dumping law. h. The Applicants' invocation of self-reliance, and nurturing confirms they seek protection rather than a trade remedy. Anti-dumping duties are a remedial mechanism for unfair trade practices, not a tool to incubate emerging industries or compensate for limited domestic capacity. Supply demand gaps reflect legitimate market balancing by imports, not dumping. i. The Domestic Industry's attempt to trivialise the impact of the proposed anti-dumping duty by citing a mere ₹3 per pair is flawed. Medical examination rubber gloves are high volume, recurring	to only consumer industry and also covers the interest of the applicant and ultimate public at large. e. It is in the interest of consumer's interest to have a competitive applicant capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports. f. The cost of one pair of the products is about Rs. 3 per pair. It may be seen that the impact of the proposed duty shall be highly insignificant. g. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become. h. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a tool to bring fair market competition in the country. i. Apart from the imports of the medical examination rubber gloves from the subject countries there are other sources available.	open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of the antidumping duties might affect the price levels of the product under consideration in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would prevent further decline of the domestic industry, would allow Indian industry fair market situation, and would help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration. 169. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. The domestic industry has filed the impact of anti-dumping duty on the downstream industry. Other interested parties have contended that the imposition of anti-dumping duty would increase the landed value of subject goods, thereby adversely affecting healthcare providers, hospitals, and end-users who rely on an uninterrupted and cost-effective supply of examination gloves, particularly given the essential nature of the product in medical and healthcare settings. It has further been contended that the domestic industry does not have the capacity to meet the entire domestic demand, and that imports are necessary to bridge the demand-supply gap. 170. The Authority notes that while a demand-supply gap exists in the domestic market, the domestic industry's existing capacity remains grossly underutilized. This underutilization is itself attributable to the presence of dumped imports from the subject countries, which have undercut domestic prices and suppressed the ability of the domestic industry to operate at optimal capacity levels, rather than being indicative of an inability or unwillingness on the part of the domestic industry to meet domestic demand. The Authority considers that with the removal of the unfair price advantage enjoyed by dumped imports, the domestic industry would be placed in a position to enhance capacity utilization and supply a larger share of

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
consumables used continuously across pathology labs, dental clinics, diagnostic centres, nursing homes, and government hospitals. A seemingly minimal per unit increase translates into a massive, recurring financial burden for smaller healthcare establishments operating on thin margins, as even a small facility consumes several thousand pairs per month. Aggregated across the national healthcare system, such duties would artificially inflate input costs, directly increasing patient care expenses, straining public health budgets, and undermining access to affordable medical services. j. Imposing a duty on an essential infection control barrier places a premium on safety and penalises the ultimate consumer i.e. the patient. It has also been contended that the applicants are attempting to artificially create a shortage of medical gloves in India to the detriment of the healthcare community. k. The broader public interest in maintaining low cost, sterile medical environments must outweigh the narrow commercial interests of two domestic producers. l. Most domestic producers focus on surgical gloves and lack the experience, equipment, or sufficient capacity to produce PUC at competitive rates. Comparing prices of NPUC with PUC that meet BIS IS:15354 standards is misleading. Such actions		domestic demand from existing installed capacity itself, without requiring fresh capacity addition. The Authority further notes that even after accounting for improved utilization by the domestic industry, a residual demand-supply gap is likely to persist, which would continue to be met through imports, including from the subject countries at non-dumped prices and from other sources. Improved viability would also encourage the domestic industry to enhance its capacity. 171. The Authority also takes note of the experience during the COVID-19 pandemic, when the sudden and unprecedented surge in domestic demand for Medical Examination Rubber Gloves, driven by the public health emergency, necessitated large-scale imports to meet the shortfall in domestic supply at much higher prices. The demand in the base year was highest and it was met with imports at much higher prices than what would prevail in the market, in case ADD is imposed. The Authority notes that this heavy reliance on imports left the domestic market acutely vulnerable and led to steep increase in prices. This underscores the risk of excessive import dependence for a product of such essential and strategic importance to public health. Building adequate and sustainable domestic manufacturing capacity is necessary to reduce such excessive dependence on imports. A financially viable and self-reliant domestic industry, capable of meeting a substantial share of domestic demand without undue dependence on imports serves public interest. 172. As regards the contention on price impact to end-consumers/healthcare providers, the Authority notes that the domestic industry's selling price of the product under consideration is approximately Rs. *** per piece, or about Rs. *** per pair. This price is much lower than the prices that were prevailing in the base year. The product represents a low-value consumable item, and its cost accounts for an insignificant share of the revenue generated or expenses incurred by end users. Therefore, the Authority considers that the duties recommended herein are

Comments by Interested Parties	Comments by Domestic Industry	Examination by the Authority
risk creating an artificial shortage and escalating costs for the healthcare sector. m. Malaysian and Thai companies such as Top Glove, Hartalega Holdings, Kossan Rubber, Supermax (Malaysia), and Sri-Trang (Thailand) operate massive factories benefiting from economies of scale, which ensures both quantity and quality, a stark contrast to Indian companies that typically possess only 3 to 4 production lines. n. ADD would significantly increase costs ultimately reducing accessibility and raising public health risks. Further, the cost of PUC disproportionately affects the country's healthcare sector, forcing providers to cut services or pass on costs to patients. o. ADD risk straining relations with Malaysia and Thailand, inviting retaliatory actions. p. Imports are not causing injury to the domestic producers. q. Instead of the AD measure the focus should be on building domestic capacity. r. Therefore, the public interest does not support the imposition of anti-dumping duties in a market that remains import-dependent and requires stable and competitively priced supply of the PUC.		unlikely to impose any significant financial burden on consumers or downstream industries and would not materially affect the affordability or availability of the products and services in which the subject goods are used. 173. The Authority has also analysed the contention of the interested parties regarding the quality of the product. The Authority notes that the domestic industry has placed evidence on records showing that it has acquired BIS certificate for quality. The domestic industry has supplied the product under consideration in large volume to the consumers and has also begun to export the product. Subsequent to the disclosure statement, certain interested parties have placed on record test reports on market samples of gloves of two other Indian producers, which are not part of the domestic industry; these reports have been examined in Section I below. No evidence has been placed on record to show that the quality of the like article produced by the domestic industry is not at par with that of the imported product.

I. POST-DISCLOSURE COMMENTS

174. The disclosure statement containing the essential facts under consideration was issued to the interested parties on 23rd October 2026. The comments received from the interested parties have been examined below. A number of the comments reiterate submissions made at earlier stages of the investigation, which have already been examined

in the relevant sections of these final findings. The Authority has therefore recorded and examined below the post-disclosure comments only to the extent they raise new issues or seek further reasons.

I.1 Submissions by the other interested parties

175. The submissions made by the other interested parties in their comments on the disclosure statement are summarised topic-wise below.

Product under consideration

a. The initiation notification described the PUC as gloves made to meet IS 15354, which is a substantive characteristic of the product. Medical examination gloves are medical devices and, under Rule 7 of the Medical Devices Rules, 2017, must conform to IS 15354; the absence of a Quality Control Order is irrelevant. The Authority should have sought clarification from CDSCO, which administers the Medical Devices Rules, 2017, rather than from BIS. Having stated at paragraph 12 of the disclosure statement that it does not infer that non-conforming gloves may lawfully be imported or sold, the Authority cannot treat such gloves as part of the PUC, and the PUC should be confined to gloves conforming to IS 15354.

b. Paragraph 19 of the disclosure statement must be read with the express exclusion of gloves used in industrial, household, gardening and cleaning applications. A distinction must be drawn between medical examination gloves incidentally put to non-medical use, which are within the PUC, and industrial/general-purpose gloves, which are excluded. The generic description of the principal activity of Hartalega Sdn. Bhd. (HSB) in the annual reports as "manufacturing of latex gloves" does not establish that it manufactured the PUC during the POI. Once conformity with IS 15354 is not a condition of scope, the Authority should state the operative technical criteria by which medical examination gloves are identified.

c. The findings at paragraphs 11, 20 and 173 of the disclosure statement on BIS licences, laboratory reports and quality are inconsistent with one another. Evidence that is insufficient to establish a separate product category may still be relevant to whether the domestic product is of comparable quality.

d. Test reports dated October 2026 of Trustin Laboratories, Chennai, on four market samples show that two imported brands passed the tested IS 15354 parameters, whereas samples of gloves manufactured by two Indian producers, Latrile Gloves Pvt. Ltd. and Koove IoT Pvt. Ltd., failed the thickness and force-at-break requirements. The results have been brought to the notice of the Department of Pharmaceuticals by letter dated 23rd October 2026.

Domestic industry and standing

a. Rule 2(b), which concerns the representativeness of the domestic industry, and Rule 5(3), which concerns standing, are distinct requirements, and satisfaction of the latter does not establish the former. The Authority should explain the evidential basis on which the performance of the applicants has been treated as representative of the Indian industry.

b. The Authority should clarify whether Alesco Surgipharma Pvt. Ltd., which is stated to have "set up capacities", actually produced the PUC during the POI, and the basis on which its production has been included in the standing computation.

Importer's questionnaire

a. The importers named in the disclosure statement did not receive the importer's questionnaire at any stage, which prevented their cooperation and vitiates the injury and import analysis.

Rejection of questionnaire responses

a. Recourse to facts available is a measure of last resort. The matters identified in the disclosure statement are reconciliation gaps of degree and substantiation and not refusal or non-cooperation, and the Authority should assess whether the information on record can be used in part rather than rejecting the responses in their entirety. Individual margins should be determined for the Hartalega Group and the Top Glove Group, using facts available only for the missing information, instead of equating them with exporters that furnished no information.

b. The explanations of the Hartalega Group on the domestic sales of MUN Global Sdn. Bhd. were sequential responses to distinct queries and not contradictory; the resale of only a part of the purchases in the domestic market, the balance being exported or carried in inventory, is a refinement of the explanation on inventory timing. If the explanations are considered insufficient, the specific deficiency should be identified and an opportunity given to furnish the reconciliation, in terms of paragraph 6 of Annex II to the Anti-Dumping Agreement.

c. Appendix 15 of MUN Health Product (India) Pvt. Ltd. covers the PUC and the relevant PCNs after filters, whereas Appendix 16 reflects gross ERP records including NPUC, samples and other transactions, which explains the difference in the cost of purchase; a transaction-wise reconciliation of the two Appendices should be considered. Contrary to paragraph 69 of the disclosure statement, the purchase and sample resale records of MUN Health and the list of outstanding payments between MUN Health and MUN Global were produced during desk verification and furnished by e-mail dated 19th August 2026, and no request for reconciliation with the financial statements was made.

d. Under Rule 10 read with Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement, the export price may be disregarded only if it is unreliable because of association or a compensatory arrangement. No compensatory arrangement or effect of the association on price has been found, and outstanding intra-group receivables do not by themselves render the export price unreliable.

e. The related entities of the Hartalega Group did not produce or export the PUC during the POI. Hartalega NSM Sdn. Bhd. was dormant as on 31st March 2025 and 31st March 2026; HSB was decommissioned at the end of 2023 and, in clearing its existing inventory, sold such inventory to MUN Health from January to December 2023; and the other group entities are a research entity, a shared-services entity, a philanthropic foundation and a retail/wholesale entity in New Zealand.

f. The deficiencies cited in the response of Dr. Boo Company Limited, namely PDF text-conversion issues and unlinked Excel spreadsheets, were technical artefacts arising from its internal administrative constraints as a small and medium-sized enterprise, and do not constitute non-cooperation or withholding of material information. In terms of paragraphs 5 and 7 of Annex II, information of a party which has acted to the best of its ability cannot be disregarded, and facts available must not be applied punitively against a party which has submitted, in good faith, its transaction-level export prices, domestic sales invoices and factory cost records.

g. Dr. Boo Company Limited in reply to disclosure statement, submitted that it has filed comments along with workable Excel files of its export sales to India (Appendix 3A), domestic sales (Appendix 4A) and PCN-wise costs (Appendices 8 and 9), reconciliations with its audited financial statements, and a certified non-confidential version with proof of service, and has confirmed that it has no affiliated companies in India, Thailand or elsewhere. They stated that these should be taken on record, and an individual dumping margin and injury margin should be determined for it before the final findings, as mandated by Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement.

Normal value and dumping margin

a. Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited (STGT) has requested, since its questionnaire response dated 7th January 2026 and again by its letters dated 4th and 9th September 2026, that its transaction-wise cost of production, recorded in its SAP Profitability Analysis module (KE24) after month-end adjustments for manufacturing costs and variances, be used for the ordinary-course-of-trade test. These records form the basis of Appendix 4A and, aggregated PCN-wise, of Appendix 9, and reconcile with each other. Paragraphs 99 and 100 of the disclosure statement do not state whether the transaction-wise cost was accepted, adjusted or not relied upon. Its normal value and dumping margin should be revised or, if not, the reasons and cost workings be provided and STGT be heard; its ex-factory export price and landed price may be maintained, and an individual rate of duty be determined on the basis of its verified records.

b. The disclosure statement does not give a meaningful non-confidential explanation of the sources and methodology used to determine the normal value and export price for the residual margins, or of why those margins, rather than the respondents' own information, constitute the best information available, as required by paragraph 7 of Annex II.

c. The low-priced imports into India are attributable to off-specification, downgraded or substandard products distributed through traders. Grouping a manufacturer which exports only medical-grade examination gloves with non-cooperating traders dealing in such goods undermines the fair comparison required by Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.

Import data

a. The reliance on imports under tariff items 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30 and 4015 90 99, in addition to 4015 12 00, indicates that non-medical gloves have been included, which depresses the landed price of ₹1,22,488 per lakh pcs for Malaysia and ₹1,26,777 per lakh pcs for the subject countries, and distorts the dumping margin, price undercutting and injury margin. The import data should be verified with reference to the Bills of Entry and the ADC/CDSCO referral records.

b. The Authority should disclose how the data of the domestic industry relating to the PUC have been segregated from the data relating to other gloves.

Injury and causal link

a. The worst performance of the domestic industry was in 2023–24, when the subject imports were at their lowest, and its losses narrowed in the POI, when imports increased by about 38%. The volume of imports, which did not increase continuously, must be assessed in the context of the post-COVID correction in demand and the recent commencement of domestic production.

b. The gap between cost and price arose from the more than doubling of the domestic industry's own cost of sales, whereas landed values moved only by single digits after 2022–23. The losses reflect the start-up fixed costs, initial overheads, finance costs, depreciation and employee costs of new, debt-funded facilities, as is also evident from the Directors' Report of Wadi Surgicals Pvt. Ltd. for 2024–25; salaries and wages rose to an index of 3,923 against production at 870. The normation addresses only capacity utilisation and not finance costs, depreciation and employee costs, and the normation assumptions should be disclosed in non-confidential form. The domestic industry invested on the basis of pandemic-era base-year prices. In terms of paragraph (v) of Annexure II to the Rules and Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement, such injury must not be attributed to the subject imports.

c. Price undercutting by itself does not establish causation. The decline in import prices reflects the post-pandemic normalisation of the market and fluctuations in the prices of natural rubber latex and NBR, freight and other commercial factors, and not dumping.

d. Indian capacity could meet only about 38% of the demand even at full utilisation, so that the continued presence of imports is a function of supply and not of dumping. The exports of the Hartalega Group to India declined and were priced higher than those of other exporters, and could not have contributed to the injury.

e. The non-attribution analysis does not examine the comparison of medical with non-medical gloves, whether price undercutting was computed PCN-wise, the cost disadvantage caused by duties on imported raw materials, the economies of scale and technology of established foreign producers, and the post-pandemic adjustment in demand and prices, contrary to the standard laid down by the Appellate Body in US – Hot-Rolled Steel (WT/DS184/AB/R). Kanam Latex Industries Pvt. Ltd. has stated that medical gloves are being compared with non-medical gloves.

Non-injurious price

a. The return of 22% on capital employed used in the NIP bears no relation to the actual return of the domestic industry, which was negative in 2023–24 and only partly recovered in the POI. Reliance is placed on the decision in Indian Spinners Association v. Designated Authority.

Public interest

a. Medical examination gloves are essential healthcare items consumed in high volumes on a recurring basis. Imports meet most of the demand, and the newly established domestic industry lacks the capacity, product range and specifications to supply all product types.

b. An increase of ₹1.50 per piece across 2 to 5 billion gloves would cost the healthcare system ₹300–750 crore a year, and a residual duty of 70–80% on high-quality producers would restrict supply and burden hospitals, laboratories and other healthcare facilities. The conclusion that duties would not impose a significant burden lacks a quantitative assessment of cost share, pass-through and aggregate impact.

c. India faces a structural shortfall of natural rubber latex, whose price rose by about 47% between January and October 2026; imported latex attracts duties of about 70%; and the supply of NBR is stressed by the conflict in the Persian Gulf region. Duties on imports from Malaysia and Thailand will only divert imports to China PR. The supply-resilience argument should be assessed in present rather than pandemic conditions, and anti-dumping measures should not insulate newly established domestic producers from ordinary market competition.

I.2 Submissions by the domestic industry

176. The domestic industry has made the following submissions:

Proposed determinations

a. The domestic industry concurs with the proposed determinations on the scope of the PUC, including that the PUC is not restricted to gloves conforming to IS 15354, the scope and standing of the domestic industry, confidentiality, the rejection of the questionnaire responses of the Hartalega Group, the Top Glove Group and Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. from Malaysia and Dr. Boo Company Limited from Thailand, and the analysis of injury and causal link.

Injury and causal link

a. The domestic industry comprises MSMEs with limited resources. The subject imports undercut its prices and were below even its cost of sales and normated cost in 2023–24 and the POI, so that the price suppression is not attributable to start-up inefficiencies. Its capacity remains grossly under-utilised, its market share is low, and it has suffered losses, cash losses and inadequate returns.

Public interest

a. The imposition of duty is in the public interest, having regard to the need to support MSMEs, the growing demand in India, the need to reduce over-reliance on imports for an essential healthcare product, as experienced during COVID-19, the planned capacity expansion by Indian producers, the large capacities in the subject countries, the negligible impact on end-users, and the generation of employment.

Form and duration of duty

a. Anti-dumping duty should be imposed for five years as a fixed amount expressed in US dollars, having regard to the depreciation of the Rupee, as supported by the decision of the CESTAT in the Met Coke case. A reference-price form of duty would depend on the value declared by importers and can be defeated by raising invoice values and passing back the difference through credit notes, which is a real risk where the responses of several major exporters have been rejected. An ad valorem duty is unsuitable given the significant decline in import prices.

I.3 Examination by the Authority

177. The Authority has examined the post-disclosure comments of the interested parties. Submissions that merely reiterate earlier submissions have already been examined in the relevant sections of these final findings and are not examined again. The remaining issues are examined below.

178. The submissions of the domestic industry supporting the proposed determinations, and its submissions on injury, causal link and public interest, are consistent with the findings recorded in the relevant sections of these final findings and are noted. Its submissions on the form and duration of duty are examined below.

Product under consideration

179. With regard to the contention that the initiation notification described the PUC as gloves "conforming to IS 15354", the Authority notes that the initiation notification, reproduced at paragraph 4 above, stated that medical examination rubber gloves "are made to meet IS 15354 standards", by way of distinguishing them from surgical gloves, which "are produced to meet stricter international standards". The words "conforming to IS 15354" do not appear in the description of the PUC either in the initiation notification or in the Scope Notification dated 2nd December 2025. The premise of the submission is, therefore, factually incorrect.

180. As regards the contention that conformity with IS 15354 is mandatory under Rule 7 of the Medical Devices Rules, 2017, and that the Authority should have sought the views of CDSCO, the Authority notes that it has not determined, and is not required to determine, whether particular gloves may lawfully be imported or sold in India. That question falls within the jurisdiction of the Central Licensing Authority under the Medical Devices Rules, 2017, as recorded at paragraph 12 above. The scope of an anti-dumping investigation is determined by the product that is exported to India at dumped prices and the like article produced by the domestic industry, and not by the regulatory status of individual consignments. Confining the PUC to gloves declared to conform to IS 15354 would mean that gloves which do not so conform, and which compete in the Indian market with the like article, would attract no duty, so that the measure could be avoided by a declaration of non-conformity. Such an approach would reward non-compliance and defeat the purpose of the duty. The imposition of anti-dumping duty does not, in any manner, dispense with or dilute the requirements of the Medical Devices Rules, 2017 or any other law. The submission is, therefore, not accepted.

181. As regards the request of the Hartalega Group to clarify the relationship between paragraph 19 and the exclusion of industrial, household, gardening and cleaning gloves, and to state the operative criteria for identifying the PUC, the Authority clarifies that the PUC is identified by its physical and technical characteristics, namely, single-use, disposable examination gloves made of natural rubber latex, nitrile butadiene rubber latex or a blend thereof, falling within the PCN parameters notified vide the Scope Notification dated 2nd December 2025 and not falling in any of the excluded categories. The industrial, household, gardening and cleaning gloves which are excluded are, as noted at paragraph 24 above, gloves which by their design and physical characteristics are thicker, heavier and meant for durability and repeated use. A single-use disposable glove having the characteristics of the PUC does not become an excluded industrial glove merely because it is described, marketed or sold as an "industrial" or "general-purpose" glove, or because it is put to a non-medical use; conversely, a glove which by its characteristics belongs to an excluded category does not become the PUC by being used in a medical setting. The claim of the Hartalega Group that the gloves produced by HSB were industrial/general-purpose gloves outside the PUC has, therefore, to be established with reference to the specifications of those gloves. No product specifications, production records or other evidence have been furnished by the Hartalega Group in this regard, even with its post-disclosure comments. This aspect is examined further below under the heading "Rejection of questionnaire responses".

182. As regards the alleged inconsistency between paragraphs 11, 20 and 173 of the disclosure statement, the Authority notes that the three paragraphs address different questions. Paragraph 11 records the clarification of BIS that a licence does not by itself establish conformity of every batch; paragraph 20 records that the laboratory reports then on record did not establish that the imported gloves are a distinct product; and paragraph 173 deals with the public-interest contention regarding the quality of the domestic like article. The Authority has, in light of the comments, revised paragraph 173 to take note of the test reports filed after the disclosure statement, which are examined below.

183. The Authority has examined the test reports of Trustin Laboratories filed by the importers and their association. The Authority notes that (a) the reports relate to four market samples, of which the two samples stated to have failed certain IS 15354 parameters are of gloves manufactured by Latrile Gloves Pvt. Ltd. and Koove IoT Pvt. Ltd., which are supporting producers and not part of the domestic industry, whose data have not been used in the injury analysis; (b) no sample of the like article produced by Navco Industries Pvt. Ltd. or Wadi Surgicals Pvt. Ltd., which constitute the domestic industry and hold BIS licences under IS 15354, has been tested; (c) the reports themselves state that the samples were not drawn by the laboratory, and the source, batch and chain of custody of the samples have not been established; (d) the samples were procured and tested in October 2026, more than eighteen months after the POI; and (e) the fact that two samples of imported brands passed the tested parameters does not establish that imports from the subject countries generally conform to IS 15354, any more than the

failure of two samples of other Indian producers establishes that the like article does not. The reports, which the association has also forwarded to the Department of Pharmaceuticals for regulatory action, do not therefore establish that the like article produced by the domestic industry is not comparable with the imported product, or that the two are not commercially substitutable. Whether particular brands conform to IS 15354 is a matter for the regulatory authorities.

184. Regarding format and colour as PCN parameters, neither the exporter that proposed them nor the domestic industry furnished any verifiable evidence of a difference in cost between ambidextrous and anatomical gloves, or between coloured and non-coloured gloves. Further, as per the information available on record, the cost of colour accounts for less than 1% of the cost of production of the PUC, well below the 5% threshold. Accordingly, format and colour have not been adopted as parameters in the PCN methodology.

Domestic industry and standing

185. The Authority agrees with the Hartalega Group that Rule 2(b) and Rule 5(3) serve different purposes, and the two have been examined separately at paragraph 49 above. The determination under Rule 2(b) does not rest on the support of the other producers. It rests on the fact that the applicant companies account for a major proportion of the total domestic production of the like product. Further, they were not selected so as to exclude producers with different performance, all the other identified Indian producers have supported the application, and the injury information of the applicants has been verified. No interested party has placed any information on record to suggest that the performance of the other Indian producers differed from that of the applicants, which is the relevant concern under Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement, as held by the Appellate Body in EC – Fasteners (China).

186. As regards Alesco Surgipharma Pvt. Ltd., the Authority clarifies that the observation at paragraph 40 that Alesco has "set up capacities" describes it as a new producer. Its production of the PUC during the POI, of *** lakh pcs, was furnished by it in writing in support of the application, as reflected in the table at paragraph 47, and has been included in the Indian production on that basis. The Authority notes that even if the production of Alesco Surgipharma Pvt. Ltd. were excluded, the share of the applicant companies in Indian production would increase to ***% (range 25-35%), and the determinations under Rules 2(b) and 5(3) would not be affected.

Importer's questionnaire

187. With regard to the contention of MRK Healthcare Pvt. Ltd. and Kanam Latex Industries Pvt. Ltd. that the importers did not receive the importer's questionnaire, the Authority notes that the questionnaire was sent to the known importers listed at paragraph 3.6(i) above at the addresses available, and that the initiation notification, published in the Gazette and on the website of the Authority, invited all interested parties, including importers and users, to file questionnaire responses in the format available on the website. Six importers/users, including MRK Healthcare Pvt. Ltd. and Kanam Latex Industries Pvt. Ltd. themselves, registered as interested parties and filed importer's questionnaire responses, as recorded at paragraph 3.6(ii) above. The contention that the importers were prevented from cooperating is, therefore, contrary to the record. Further, the volume and price of imports have been determined on the basis of the transaction-wise data of DG Systems covering all imports, and not on the basis of the responses of individual importers.

Rejection of questionnaire responses

188. The Authority has examined the post-disclosure comments of the Hartalega Group. The Authority notes at the outset that, in terms of paragraph 6 of Annex II to the Anti-Dumping Agreement, the Hartalega Group was informed of the deficiencies in its response and of the consequences of not furnishing the necessary information, by the Authority's letter dated 27th July 2026 and the subsequent communications, including the letters dated 18th August 2026 and 14th September 2026, to which the Group responded on 3rd August 2026, 19th August 2026 and 21st September 2026 respectively. The disclosure statement then set out, at paragraphs 64 to 72, each of the deficiencies and the reasons for which the response could not be relied upon. The post-disclosure comments were thus the further opportunity contemplated by paragraph 6 of Annex II. However, while the comments "request that the Authority consider" a reconciliation of the domestic sales through MUN Global and a transaction-wise reconciliation of Appendices 15 and 16 of MUN Health, no such reconciliation, inventory record, sales register, invoice-wise statement of outstanding receivables or statement of credit terms has been

furnished with the comments. The deficiencies identified in the disclosure statement therefore remain uncured. As regards the contention based on Rule 10 and Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement, the Authority clarifies that rejection of the response rests on the cumulative effect of the deficiencies recorded at paragraphs 64 to 71 above, in particular the inability to determine the domestic sales on which the normal value depends, the irreconcilable data of the related importer, and the absence of the terms of payment and credit governing a substantial number of related-party export transactions which remained unpaid. As regards the related entities, the Authority accepts that Hartalega NSM Sdn. Bhd. was dormant, and does not rest its determination on that entity. The statement that HSB was decommissioned at the end of 2023 and sold its inventory to MUN Health from January to December 2023 has been made without any supporting documents viz. decommissioning records, product specifications or inventory, sales records and is not in conformity with the annual reports submitted.

189. In view of the above, the Authority finds that the Hartalega Group did not furnish necessary information within a reasonable period despite repeated opportunities, and that the information furnished is not verifiable or usable for the determination of an individual dumping margin. The Authority, therefore, confirms the determination at paragraph 72 above, and the dumping margin and injury margin of the Hartalega Group have been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

190. Top Glove Group has not submitted any comments on disclosure statement. The producers / exporter failed to submit the domestic sales and cost of production of its related producer, GMP Medicare Sdn. Bhd., without which the normal value cannot be determined.

191. The Authority has examined the post-disclosure comments of Dr. Boo. The Authority notes at the outset that the deficiencies for which the response of Dr. Boo could not be relied upon, as recorded at paragraphs 103 to 110 above, are not confined to the conversion of text into PDF or to unlinked spreadsheets. They are that (a) substantial parts of the questionnaire, namely Part I, Section C; Part II, Sections D and E; Part III, Sections F, G and I; and Part IV, Section J, were not answered; (b) the export sales to India were not reported PCN-wise, and the details of only 5 of the 49 export transactions to India referred to in the response were furnished; (c) the listing of domestic sales did not contain the names of customers, their relationship, delivery and payment terms, gross and net invoice values or any of the adjustments necessary to determine the normal value at the ex-factory level; (d) the cost of production was not furnished PCN-wise or in the prescribed appendices; and (e) no non-confidential version of the response was placed on record or served on the other interested parties, despite the Authority's communication dated 7th November 2025 and the domestic industry's e-mail dated 27th February 2026. These deficiencies go to the very information necessary to determine both the normal value and the export price; they are deficiencies of substance and not technical artefacts. Dr. Boo has not, in its comments, disputed any of these findings of fact.

192. As regards the Excel appendices, reconciliation statements and non-confidential version stated to have been enclosed with the comments, the Authority notes that none of these documents were submitted.

193. Paragraph 1 of Annex II to the Anti-Dumping Agreement permits the Authority to specify the information required and the manner in which it is to be structured, and paragraph 3 requires the Authority to take into account information which is verifiable, which is appropriately submitted so that it can be used without undue difficulty, and which is supplied in a timely fashion. The Appellate Body in US – Hot-Rolled Steel (WT/DS184/AB/R) has held that whether information has been supplied within a reasonable period is to be assessed having regard to, inter alia, the nature and quantity of the information, the difficulties encountered by the party, the verifiability of the information, whether other interested parties are likely to be prejudiced, and whether its acceptance would compromise the ability of the authority to conduct the investigation expeditiously. Each of these considerations weighs against accepting a complete set of sales and cost appendices at the post-disclosure stage. The request of Dr. Boo to take these documents on record and to determine an individual dumping margin and injury margin on that basis is, therefore, not accepted.

194. Further, Dr. Boo was informed of the specific deficiencies by the e-mail dated 5th May 2026, in terms of paragraph 6 of Annex II. Its reply dated 13th May 2026 resubmitted the same response without the missing sections, and nothing further was furnished to address the deficiencies. No request for extension of time or for assistance was made by Dr. Boo at any stage. The Authority has taken due account of the size of the party, as contemplated by Article 6.13 of the Anti-Dumping Agreement. However, the information missing, such as the complete list of export transactions to India, the terms of sale and adjustments for the domestic sales, and the

answers to the narrative sections of the questionnaire, lay within the records and knowledge of Dr. Boo itself, which describes itself as having been in business since 1988, and its furnishing did not depend upon any specialised trade-remedy set-up. Dr. Boo cannot, in these circumstances, be regarded as having acted to the best of its ability. Further, the statement of Dr. Boo that its factory cost records were verified is not correct; as recorded at paragraph 3.9(iv) above, the information necessary for verification was not furnished by Dr. Boo, and no verification of its information could be undertaken.

195. As regards paragraph 7 of Annex II and Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement, the Authority notes that Article 6.10 provides, as a rule, for the determination of an individual margin for each known producer/exporter, but such a determination presupposes that the producer/exporter has furnished the information necessary for the purpose; where it has not, Article 6.8 and Annex II permit the determination to be made on the basis of the facts available. The residual margin has been determined on the basis of the information on record, as explained below under the heading "Residual margin", and applies equally to all producers/exporters from Thailand other than STGT. Paragraph 7 of Annex II itself recognises that where an interested party does not cooperate and relevant information is thereby withheld, the result may be less favourable to that party than if it had cooperated. As regards the non-affiliation of Dr. Boo, the Authority reiterates, as recorded at paragraph 109(b) above, that the rejection of its response is not founded on any non-disclosure of affiliated companies.

Normal value and dumping margin

196. Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited: The Authority has examined the request of STGT for use of its transaction-wise cost of production for the ordinary-course-of-trade test. Section 9A(1)(c) of the Act read with Article 2.2.1 of the Anti-Dumping Agreement requires the Authority to examine whether domestic sales are made at prices below per-unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs, and whether such sales are made within an extended period of time, in substantial quantities and at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. Article 2.2.1 further provides that if prices which are below per-unit costs at the time of sale are above the weighted average per-unit costs for the period of investigation, such prices shall be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time. The benchmark for the test is thus the weighted average per-unit cost for the period of investigation. In accordance with this provision and its consistent practice, the Authority has conducted the test PCN-wise with reference to the weighted average cost of production of each PCN for the POI, as reported by STGT in Appendix 9 and verified by the Authority.

197. The Authority notes that, as explained by STGT in its letter dated 4th September 2026, the cost recorded in KE24 against each sales transaction is the cost assigned at the time of booking of the sale, after month-end adjustments for manufacturing costs and variances. Such costs vary from transaction to transaction for the same PCN depending on the month of the sale and the allocation of period-end variances, and do not represent a different measure of the cost of producing that PCN. As STGT has itself stated, Appendix 4A and Appendix 9 are drawn from the same records and reconcile with each other, so that the PCN-wise weighted average cost adopted by the Authority captures the same costs over the POI, while eliminating fluctuations arising from the timing of cost allocation. The request of STGT is, therefore, not accepted. The reasons for not adopting the transaction-wise cost are recorded herein, and the exporter-specific normal value, export price and margins were disclosed to STGT along with the disclosure statement, on which STGT has commented. The dumping margin and injury margin of STGT remain as disclosed, and an individual duty has been determined for STGT.

198. Residual margin: As regards the request for a non-confidential explanation of the basis of the residual margins, the Authority clarifies that, in accordance with Rule 6(8) and paragraph 7 of Annex II to the Anti-Dumping Agreement, the residual normal value and export price have been determined on the basis of the information on record, and on the basis of facts available. The Authority has worked out residual dumping margin for non-cooperating produces and exporters from subject countries having regard to the information of the cooperating producers/exporters and the transaction-wise import data of DG Systems. It is noted that the residual margins apply equally to all producers/exporters for whom individual margins could not be determined, and no interested party has placed on record any information on the basis of which a more accurate residual margin could be determined.

199. As regards the contention based on Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, the Authority notes that Article 2.4 governs the fair comparison of the normal value and the export price of the producer/exporter concerned, and

has no bearing on the determination of the residual margin. The claim that the low-priced imports consist of off-specification or substandard gloves sold through traders is not supported by any evidence. The comparisons have been made on the basis of the notified PCNs, and the export prices of Dr. Boo itself could not be established.

Import data

200. With regard to the contention that the import data include non-medical gloves because transactions under tariff items other than 4015 12 00 have been considered, the Authority notes that, as recorded at paragraph 123 above, the transaction-wise import data of DG Systems have been examined with reference to the finalised scope of the PUC. Transactions under tariff items 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30 and 4015 90 99 have been included only where the description of the goods showed them to be the PUC, and imports of surgical, industrial, household, vinyl, chlorinated, neoprene and other excluded gloves have been excluded irrespective of the tariff item under which they were declared. Further, the dumping margins and injury margins of the cooperating producers/exporters, on which the duties for them are based, have been determined on the basis of their own verified PCN-wise export transactions, and are not affected by the composition of the DG Systems data. The import prices of particular importers, which form part of the DG Systems data, cannot by themselves represent the import price of the PUC as a whole.

201. As regards the segregation of the data of the domestic industry, the Authority notes that the applicant companies have furnished the information on the PUC separately in the prescribed proformae, and that the production, sales, cost and profitability information relating to the PUC has been verified with reference to their records. The non-injurious price has been determined PCN-wise on the basis of such verified data.

Injury and causal link

202. With regard to the contention that the injury to the domestic industry was most severe in 2023–24, when subject imports were at their lowest, and eased in the POI when imports increased, the Authority notes that 2023–24 was the first year of operation of Wadi Surgicals Pvt. Ltd., in which the installed capacity of the domestic industry more than doubled and its capacity utilisation was only ***%. The increase in the actual cost of sales in that year reflects the commencement of a new plant. It is for this reason that the Authority has also examined the normated cost, which neutralises the effect of low capacity utilisation: even the normated cost of ₹*** per lakh pcs in 2023–24 and ₹*** per lakh pcs in the POI exceeded the net sales realisation of ₹*** and ₹*** per lakh pcs respectively, while the landed price of the subject imports, at ₹1,30,519 and ₹1,26,777 per lakh pcs, remained well below both. The decline in the volume of subject imports in 2023–24 coincided with the decline in demand in that year, and their share in demand remained at 83%. In the POI, the volume of subject imports increased by about 38% and their landed price declined further. The partial improvement in the performance of the domestic industry in the POI is attributable to the higher absorption of fixed costs as its production increased, and the domestic industry continued to suffer losses and cash losses. The injury in the present case operates principally through the price effect of the dumped imports, and the causal link does not require each injury indicator to move in step with import volumes in every year.

203. As regards the contention that the losses are due to finance costs, depreciation and employee costs arising from debt-funded expansion, the Authority notes that the profit before interest and tax, which is before finance costs, was negative at ₹(-)*** per lakh pcs in 2023–24 and only ₹*** per lakh pcs, or about ***% of the net sales realisation, in the POI; and the cash profit, which is before depreciation, was negative in both 2023–24 and the POI. The finance costs and depreciation of the domestic industry cannot, therefore, explain its inability to earn a reasonable return. As regards employee costs, the number of employees increased from *** to *** (indexed 100 in 2022–23 to 680 in the POI) with the commencement of the second plant, and productivity per employee in the POI was higher than in 2022–23. In any event, salaries and wages, finance costs and depreciation are fixed costs, which are normated over the optimum level of production; even at the normated cost, the net sales realisation of the domestic industry was below cost in 2023–24 and the POI, while the landed price of the subject imports remained below both.

204. With regard to the contention that the domestic industry invested on the basis of pandemic-era prices, the Authority notes that in 2022–23, after the pandemic year, the landed price of the subject imports of ₹1,38,022 per lakh pcs was above the cost of sales of the domestic industry of ₹*** per lakh pcs, and the domestic industry

earned a profit. It was the subsequent decline of the landed price to levels below the cost and selling price of the domestic industry that caused the injury.

205. As regards the contention that price undercutting does not by itself establish causation, the Authority notes that its determination rests not on price undercutting alone but also on the price suppression caused by subject imports priced below the cost of sales, including the normated cost, of the domestic industry (paragraph 131 above). The landed price continued to decline in the POI, when demand increased over 2023–24, and no evidence has been placed on record to show that freight or other commercial factors account for the decline; it cannot, therefore, be attributed to post-pandemic normalisation.

206. With regard to the demand-supply gap, the Authority has already noted at paragraph 170 above that a residual gap is likely to persist and would continue to be met through imports. Anti-dumping duty does not restrict the quantity of imports; it only addresses the price at which they are made. The existence of a demand-supply gap does not entitle exporters to sell at dumped prices, and does not explain why the domestic industry, operating at ***% (range 25-35%) of its capacity, could not sell more at remunerative prices.

207. As regards the contention that the price competitiveness of the subject imports reflects economies of scale and technology of established producers, the Authority notes that any cost advantage of the foreign producers is reflected in their own cost of production and domestic prices, and hence in the normal value. The dumping margins have been found after taking such costs and prices into account. Lower prices attributable merely to efficiency would not result in dumping. Similarly, the cost of raw materials of the domestic industry, including any customs or other duties on imported natural rubber latex or nitrile butadiene rubber, is a feature that has prevailed throughout the injury period and is reflected in the verified cost of the domestic industry, which has been examined on an actual and on a normated basis. The increase in latex prices between January and October 2026 relates to a period well after the POI and has no bearing on the injury suffered during the POI. No evidence has been placed on record to show that the domestic industry was unable to increase its production during the POI because of non-availability of raw materials; its capacity utilisation was low because it could not sell more at remunerative prices.

208. With regard to the request of the interested party(ies) that the Authority confirm whether price undercutting has been determined on a PCN-to-PCN basis, the Authority notes that, as stated at paragraph 128 above, price undercutting in respect of each subject country has been determined by comparing the landed price of imports, derived from the transaction-wise import data of DG Systems for the product under consideration, with the net sales realisation of the domestic industry. The Authority examined the import data with a view to undertaking a PCN-wise comparison. However, the description of goods in a significant number of import transactions did not contain sufficient particulars to permit those transactions to be classified according to the PCN methodology adopted in the present investigation. Any assignment of such transactions to particular PCNs would therefore have been speculative and would not have produced a reliable or representative result. In these circumstances, it was not practicable to determine price undercutting on a PCN-wise basis weighted by the associated import volumes, and the Authority has accordingly undertaken the comparison at the level of the product under consideration as a whole.

209. The Authority notes that neither Article 3.2 of the Anti-Dumping Agreement nor Annexure II to the Anti-Dumping Rules prescribes any particular methodology for the price undercutting analysis, which requires the Authority to consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product of the domestic industry.

210. The Authority is, therefore, satisfied that the price undercutting determined on the basis of the product under consideration as a whole constitutes an objective examination based on positive evidence.

211. The injury margins, which form the basis of the duty, have been determined by comparing the PCN-wise non-injurious price with the landed price of the corresponding PCNs. As regards the statement of Kanam Latex Industries Pvt. Ltd. that medical gloves are being compared with non-medical gloves, the information of the domestic industry relates only to the PUC, as noted above.

212. With regard to the submission of the Hartalega Group that its exports declined and were priced higher than those of other exporters, the Authority notes that the effect of the dumped imports has been assessed cumulatively, the conditions for cumulative assessment having been found to be satisfied at paragraph 120 above. Cumulation is

premised on the recognition that the domestic industry faces the impact of the dumped imports as a whole, and once its conditions are met, the Anti-Dumping Agreement does not require a separate demonstration of the contribution of each country, much less of each exporter, to the injury, as held by the Appellate Body in *EC – Tube or Pipe Fittings* (WT/DS219/AB/R). Further, the export prices of the Hartalega Group are among the very information that could not be verified, for the reasons recorded above.

213. With regard to the remaining submissions on non-attribution, including those of YTY Industry Sdn. Bhd. and Dr. Boo Company Limited, the Authority notes that each of the known factors raised by the interested parties, namely, the nascent stage of the domestic industry and its start-up costs, finance costs and depreciation, the post-pandemic normalisation of demand, raw-material costs, economies of scale of the foreign producers, and the demand-supply gap, has been examined above and at paragraphs 152 to 161, and its effects have been separated and distinguished from those of the dumped imports. The Authority concludes that none of these factors breaks the causal link between the dumped imports and the material injury suffered by the domestic industry.

Non-injurious price

214. With regard to the comments of the interested parties on considering a 22% return on capital employed methodology for calculation of non-injurious price, the Authority notes that Annexure III to the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. In the present case, no evidence has been provided by other interested parties that a return of less than 22% would be appropriate for the present case. The Authority also notes that Hon'ble CESTAT has upheld the practice of the Authority of applying a 22% return on capital employed in Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority and in Perstorp Chemicals GmbH v. Designated Authority. The Authority further notes that neither Annexure III to the Rules nor the consistent practice of the Authority requires the rate of return to be derived from the historical returns earned by the domestic industry concerned, and that the said rate has been uniformly applied across investigations. Therefore, the Authority finds it appropriate to adopt a return of 22% on the average capital employed for the purpose of determining the non-injurious price of the domestic industry.

Public interest

215. With regard to the request for a quantitative assessment of the impact of the duty, the Authority notes that the duties recommended below range from USD 2.88 to USD 5.65 per 1,000 pcs, i.e. between about ₹0.25 and ₹0.48 per piece, or between about ₹0.49 and ₹0.97 per pair, at the exchange rate adopted in these findings. The assumption of the importers and their association of an increase of ₹1.50 per piece is thus about three to six times the actual duty. Even if the highest duty recommended were applied to the entire volume of the subject imports in the POI of 42,106 lakh pcs, the aggregate duty would be about ₹200 crore, which is an upper limit and not the ₹300–750 crore claimed, since the duties for STGT, YTY Industry Sdn. Bhd. and the residual rate for Thailand are lower, imports from other countries and domestic supplies do not attract the duty, and the duty need not be passed on in full. Medical examination gloves are a low-value consumable whose cost is a very small part of the cost of any healthcare service in which they are used. The impact of the duty on hospitals, clinics, laboratories and patients is, therefore, not significant, and is outweighed by the public interest in eliminating the injury caused by dumping and in sustaining the domestic production of an essential healthcare product.

216. As regards the contention of Dr. Boo that a residual duty of 70–80% would be imposed on medical examination gloves, the Authority notes that the range of 70–80% is that of the residual dumping margin for Thailand, and not of the duty. In accordance with the lesser duty rule, the duty recommended is the lesser of the dumping margin and the injury margin. For producers/exporters from Thailand other than STGT, including Dr. Boo, the duty recommended is USD 4.86 per 1,000 pcs, corresponding to the residual injury margin, which is in the range of 20–30% of the landed price, and amounts to about ₹0.42 per piece at the exchange rate adopted in these findings. The impact of the duty on users has been examined in the preceding paragraph and is not significant. As regards the capacity of the domestic industry, the Authority has noted at paragraph 170 above that the residual demand-supply gap would continue to be met through imports, which the duty does not restrict. The duty is not intended to insulate the domestic industry from fair competition; it addresses only the injurious dumping established in the present investigation, and imports at undumped prices remain free to compete in the Indian market.

217. With regard to the contention that the duty would divert imports to China PR, the Authority notes that imports from countries other than the subject countries, including China PR, accounted for about 10% of demand in the POI, and no evidence has been placed on record showing that such imports were made at prices below those of the subject countries or at dumped prices. The likelihood of future trade diversion is speculative and is not a ground for denying relief against dumping that has been established. As regards supply resilience, the Authority notes that its observation at paragraph 171 above is not based on a repetition of pandemic conditions, but on the risk of excessive dependence on imports for an essential product, which remains relevant where the subject imports account for about 81% of demand.

218. As regards the supply and price of natural rubber latex and NBR, the Authority notes that the increase in latex prices and the disruption of NBR supplies relied upon relate to 2026, after the POI. No evidence has been placed on record to show that the duty, which applies only to the subject goods and does not restrict the quantity of their imports, would affect the availability of raw materials or of medical examination gloves in India.

Form and duration of duty

219. The Authority has considered the submissions of the domestic industry on the form of duty. Having regard to the factual matrix of the case, the Authority considers that a fixed quantum of duty expressed in US dollars would be the appropriate form of duty in the present case. The Authority also considers it appropriate to recommend the duty for a period of five years.

J. CONCLUSIONS

220. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties, and the facts available before the Authority as recorded in these final findings, the Authority concludes as follows:

a. The product under consideration is "Medical Examination Rubber Gloves" made of nitrile butadiene rubber latex, natural rubber latex or a blend thereof, as notified vide the Scope Notification dated 2nd December 2025. Surgical gloves, gloves used in applications such as industrial, household, gardening and cleaning, vinyl gloves, chlorinated gloves, and gloves made of neoprene or any other synthetic material are excluded. The product under consideration is not restricted to gloves conforming to IS 15354, and the requests for exclusion of powdered gloves, high-grade powder-free NBR gloves and blended gloves have not been accepted.

b. The like article produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries are like articles within the meaning of Rule 2(d) of the Rules.

c. The applicant companies, M/s Navco Industries Pvt. Ltd. and M/s Wadi Surgicals Pvt. Ltd., account for ***% (range 25-35%) of the Indian production, which constitutes a major proportion, and constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application is supported by all the other identified Indian producers and satisfies the requirements of Rule 5(3).

d. The questionnaire responses of YTY Industry Sdn. Bhd., Malaysia, and Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited, Thailand, have been accepted, and individual dumping margins and injury margins have been determined for them. The exports of YTY Industry Sdn. Bhd. through Medline International B.V. have not been considered in determining its individual margins.

e. The questionnaire responses of the Hartalega Group, the Top Glove Group and Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd., Malaysia, and Dr. Boo Company Limited, Thailand, could not be relied upon, for the reasons recorded in these findings, and their margins, together with those of the non-cooperating producers/exporters, have been determined on the basis of facts available under Rule 6(8).

f. The product under consideration has been exported to India from the subject countries at prices below its normal value, and the dumping margins are above the de minimis limit and significant.

g. The conditions for cumulative assessment of the effect of the dumped imports from the subject countries are satisfied.

h. The volume of the subject imports increased significantly in the POI and remained significant in relation to the production and consumption in India. The subject imports undercut the prices of the domestic industry significantly and were below its cost of sales, including its normated cost, thereby suppressing its prices.

i. The domestic industry, which is at a nascent stage, has suffered material injury. Despite the significant demand in the country, it operated at only ***% (range 25-35%) of its capacity and held a market share of ***% (range 0-10%) in the POI, and it suffered losses, cash losses and a barely positive return on capital employed, with an adverse effect on its growth and ability to raise capital.

j. The material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries. The other known factors examined have not caused the injury so as to break the causal link.

k. The injury margins determined for the subject countries are positive and significant.

l. The imposition of anti-dumping duty is not against the public interest. The impact of the duty on the users and consumers is not significant, and the duty would restore fair competition in the Indian market.

K. RECOMMENDATIONS

221. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties, and adequate opportunity was given to the domestic industry, the producers/exporters, the importers/users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and the injury. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

222. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for a period of five (5) years from the date of publication of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table below.

Duty Table

Sl. No.	Heading / sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4015 11 00, 4015 12 00, 4015 19 00, 4015 90 30, 4015 90 99*	Medical Examination Rubber Gloves**	Malaysia	Malaysia	YTY Industry Sdn. Bhd.	442	1,00,000 pcs	US$
2.	-do-	-do-	Malaysia	Malaysia	Any producer other than at Sl. No. 1	565	1,00,000 pcs	US$
3.	-do-	-do-	Malaysia	Any country other than the subject countries	Any	565	1,00,000 pcs	US$
4.	-do-	-do-	Any country other than the subject countries	Malaysia	Any	565	1,00,000 pcs	US$
5.	-do-	-do-	Thailand	Thailand	Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited	288	1,00,000 pcs	US$
6.	-do-	-do-	Thailand	Thailand	Any producer	486	1,00,000	US$

Sl. No.	Heading / sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					other than at Sl. No. 5		pcs	
7.	-do-	-do-	Thailand	Any country other than the subject countries	Any	486	1,00,000 pcs	US$
8.	-do-	-do-	Any country other than the subject countries	Thailand	Any	486	1,00,000 pcs	US$

** The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.*

*** "Medical Examination Rubber Gloves" made of nitrile butadiene rubber latex, natural rubber latex or a blend thereof. Surgical gloves, gloves used in applications such as industrial, household, gardening and cleaning, vinyl gloves, chlorinated gloves, and gloves made of neoprene or any other synthetic material are excluded.*

223. The application of the individual duty rate specified for the company mentioned at Sl. No. 1 and Sl. No. 5 in the duty table above shall be conditional upon presentation to the Customs authorities of a valid commercial invoice on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (PCS) of Medical Examination Rubber Gloves sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in (name of the country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct."

224. If no such invoice is presented, the anti-dumping duty applicable to "Any", as specified in the duty table above, shall apply. This requirement is without prejudice to any verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

L. FURTHER PROCEDURE

174. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA